खण्ड-274, अंक-2
शनिवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1889
(15 जुलाई, 1967 ई0)

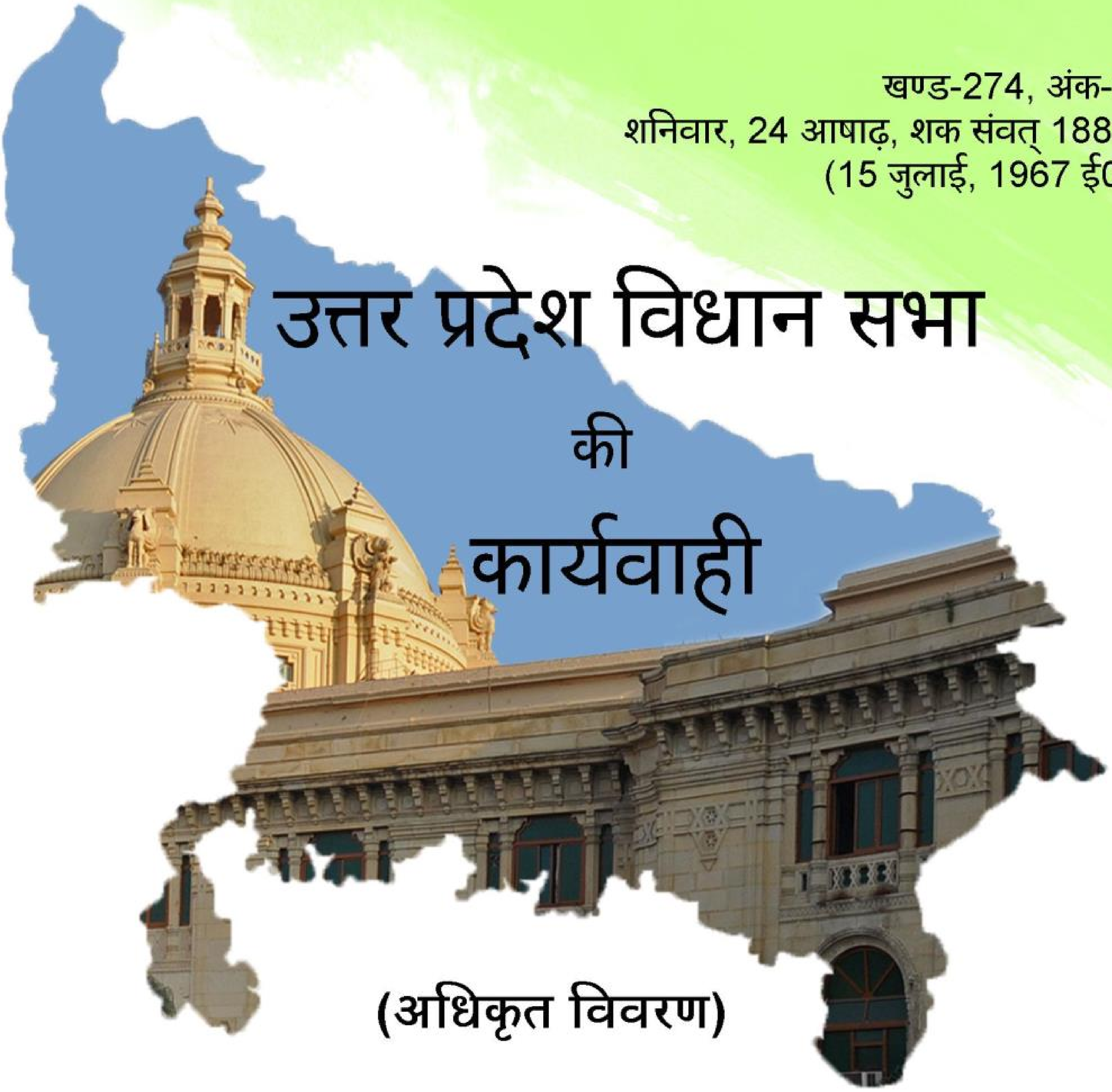

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १५ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक, सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(उपस्थित सदस्य—४०९)

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
अहमद उल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
उदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैया लाल, श्री (इटावा)
कन्हैया लाल, श्री (झांसी)
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री

केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगा भक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री

नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाल सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्म श्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलि ा, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिधे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमारि, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान सिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्म : रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री

मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राज बहादुर चन्द, श्री
राज बहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
राम दुलारे पटेल, श्री
राम दुलारे, श्री (गोंडा)
राम दुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री (आगरा)
राम प्रसाद, श्री (गढ़वाल)
राम प्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सरन सिंह, श्री
राम सिंह, श्री
राम सुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री

रूपनाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह चौधरी, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरि बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री ।

नोट—उप-मुख्य मंत्री, श्री राम प्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मुझे कुछ सूचनायें देनी हैं। मेरे पास आज विशेषाधिकार की दो सूचनायें आयी हैं। मैं उन पर कुछ जानकारी और करना चाहता हूं। यदि मुझे आज समय नहीं मिल सका, मैं इनको सोमवार को लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक यह निवेदन है कि आज प्रश्नों का घंटा नहीं है तो अगर प्रिविलेज के प्रश्नों को ले लिया जाय तो समय मिल जाता है। अन्य दिन तो समय कम मिलता है। जिन लोगों ने प्रिविलेज मूव किया है वह हाउस में मौजूद हैं, वह अपनी बात कह दें और जिन पर मूव हुआ है अपनी बात कह दें और आप निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

कुछ कारणों से मैं स्वयं देर में आ सका। अपने कार्यकाल में इस वजह से, मैं इनको देख नहीं पाया। मुझे देखना परम आवश्यक है। बात-चीत कुछ सदस्यों से करूंगा और नियमों में यह है कि जिसके विरुद्ध प्रश्न हों उससे भी सुनना चाहिये, आवश्यक जानकारी करनी चाहिये। इसमें अन्तर नहीं पड़ता, जितना समय आप आवश्यक समझेंगे, दूंगा। मैं सोमवार को लूंगा।

श्री अयोध्याप्रसाद द्वारा पुनः कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना माननीय अयोध्या प्रसाद की ओर से यह आयी है कि "मान्यवर, मैं विधान सभा के लिये झाँसी जिले से कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित हुआ था। अब पुनः मैं जन कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस दल का सदस्य हो गया हूं। कृपया इस सूचना को सदन में सुना दें।" साथ में माननीय नवल किशोर जी की चिट्ठी है कि हमने इनको कांग्रेस दल में शामिल कर लिया है और कांग्रेस दल में आ गये हैं।

श्री जितेन्द्रनाथ मिश्र और श्री भीमाप्रसाद का संयुक्त विधायक दल से संबंध विच्छेद

श्री अध्यक्ष--

एक और सूचना है। माननीय जितेन्द्र नाथ मिश्र एम० एल० ए० और भीमा प्रसाद, एम० एल० ए० है--इन्होंने लिखा है, "हम लोग अब तक संयुक्त विधायक दल के सदस्य रहे, लेकिन अब हमने संयुक्त विधायक दल से संबंध विच्छेदकर दिया है और हम विरोधी पक्ष में सम्मिलित हो गये हैं।"

श्री तिरमलसिंह द्वारा जन-कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक सूचना आयी है माननीय तिरमल सिंह जी की--इसमें उन्होंने लिखा है: "मैं अब तक कांग्रेस विधायक दल का सदस्य था। अब मैंने जन-कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर ली है। सदन में भी इस संबंध में घोषणा कर देने की कृपा करें"। और माननीय राज बहादुर द्विवेदी, मंत्री जन कांग्रेस विधायक दल, का पत्र संलग्न है। उन्होंने लिखा है कि हमने उन्हें जन-कांग्रेस दल का सदस्य स्वीकार कर लिया है।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २-भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८-दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)*

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन आपके द्वारा सरकार से करना चाहता हूं। रेवन्यू बजट में लगान की छूट के सिलसिले में बहुत सी गलतफहमी फैली हुयी हैं जो अखबारों की रिपोर्ट में छपी हैं कल की इस सदन की कार्यवाही की। उनके पढ़ने से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसके पहले कि आजकी बहस शुरू हो यदि संभव हो सके तो मुख्य मंत्री जी स्वयं स्थिति को स्पष्ट कर दें ताकि इस हाउस का डिस्कशन, रीअल हो जाय और वास्तविकता से उसका संबंध हो जाय और हमें स्पष्ट हो जाय कि सरकार किन अलाभकर जोतों को आधा लगान से मुक्त कर रही है। क्योंकि जितनी भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं उनमें कुछ सफाई नहीं हो पा रही है। इसलिये इसको वास्तविकता का जामा पहनानने के लिये आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कर वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी तो इस समय सदन में हैं भी नहीं। अभी कुछ मिनट पहले माननीय राजस्व मंत्री जी ने मुझे यह सूचना दी थी कि वे इस विषय में कुछ वक्तव्य और देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले आप माननीय राजस्व मंत्री को सुन लें, वह आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी के छूट के विषय में जो कल मैंने कहा था उसमें एक ही प्रश्न ऐसा था जिस पर विवाद था और कुछ भ्राँति हो सकती थी और वह यह थी कि २ रुपये तक लगान देने वालों के लिये लगान में कोई छूट नहीं थी। अब मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कल शाम को इस प्रश्न के उपर संयुक्त विधायक दल ने विचार किया और इस निर्णय में कुछ परिवर्तन किया और अब यह निश्चय हुआ है कि वह २ रुपये वाली बात निकाल दी जायेगी और अब सवा छै एकड़ तक आधी छूट रहेगी, उनको आधा लगान देना पड़ेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

तो क्या हम यह समझें कि वह छूट सूखे के किसी भी अंचल में सर्किल रेट का बिना कोई खयाल किये हुये सभी के लिये होगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां।

**श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा आज यह विचार था कि मैं अपने भाषण को दुर्भिक्ष तक ही सीमित रखूं और कुछ सुझाव सरकार के विचारार्थ पेश करूं। मालगुजारी के संबंध में जो कल सदन में चर्चा हुई, उसको सुनकर मैं यह समझता हूं कि ३-४ मोटी मोटी बातें मैं सदन के समक्ष रखूं। मान्यवर, सन् १९५५-५६ में नेशनल काउंसिल आफ एपलाइड एकोनामिक्स ऐंड रिसर्च ने एक सर्वे किया था और उसके फलस्वरूप यह निश्चय किया था कि भारत वर्ष में २९ जिले ऐसे हैं जिनकी आमदनी १४६ रुपये से कम है और उन २९ जिलों में से ११ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा २९ जिले उस कांउन्सिल ने ऐसे बताये जिनकी आमदनी १४६-१४७ रुपये तक

---

*१४ जुलाई, सन् १९६७, की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

है। उनमें से भी ११ जिले उत्तर प्रदेश के हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के ५८ सबसे पिछड़े हुये जिलों में से २२ जिले उत्तर प्रदेश के ही अन्दर हैं। मान्यवर, कुछ वर्ष पहले जब चौथी योजना का प्लान बना था तो उसमें भी इस बात की चर्चा थी और एक साल पहले तक भी यह आंकड़े माने गये थे। इन दो-तीन सालों में वर्षा की कमी के कारण उत्तर प्रदेश की हालत और खराब हुई है।" और वे जिले उन जगहों में हैं जहां पर वारिश नहीं हुई। इसलिये यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में २०–२२ जिले यानि एक-तिहाई प्रान्त का हिस्सा भारत के गरीब हिस्से में है। मान्यवर, इन जिलों में शहरों की आवादी भी शामिल थी। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन जो ५५–५६ में बैठा था उनके अन्दाजे के अनुसार देहात और शहर की आमदनी में ४३ और १०० का अनुपात था। सन् ६० के करीब उत्तर प्रदेश में इन आंकड़ों को फिर से जांचा गया और निश्चय किया कि देहात और शहर की आमदनी में १ और ३·४५ का अनुपात हो गया यानि शहर तरक्की कर गये और देहात पिछड़ गये। तो इस तरह से अगर शहर की आमदनी को निकाल दिया जाय तो न मालूम २२ से ज्यादा कितने जिले पिछड़े हुये हो जावेंगे।

इस संदर्भ में अगर मालगुजारी रेट्स को देखें तो उत्तर प्रदेश का रेट तमाम भारत वर्ष में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का मालगुजारी रेट ४.९८ है और बाकी स्टेट्स का किसी का ज्यादा नहीं है। मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने पिछले साल तमाम प्रान्तों से लिखा पढ़ी की और मालगुजारी के संबंध में राय मांगी। केवल ६ सूबों को छोड़कर बाकी सब प्रान्तों में या तो मालगुजारी माफ करने को लिखा या कम करने को। मद्रास में इलेक्शन के पहले कांग्रेस सरकार ने यह निश्चय किया था कि वे मालगुजारी माफ कर देंगे। इलेक्शन के बाद कांग्रेसी सरकार वहां नहीं बनी। डी० एम० के० गवर्नमेंट ने अभी माफ तो नहीं किया पर वसूलयाबी मुल्तवी कर दी है और उनका विचार अनएकानामिक होल्डिंग्स पर मालगुजारी माफ करने का है। मैसूर की सरकार ने अपनी मालगुजारी माफ कर दी है। मैसूर प्रान्त उत्तर प्रदेश के एक-तिहाई के करीब है और वहां की मालगुजारी ६ और ७ करोड़ के बीच में है। उनका कुल बजट ७० करोड़ रुपये का है। मध्य प्रदेश में साढे सात एकड़ की होल्डिंग तक मालगुजारी माफ कर दी गई है। हरियाणा प्रान्त में पांच एकड़ तक की होल्डिंग की मालगुजारी माफ कर दी गई है। बिहार में अभी २८ जून से मालगुजारी माफ करने का अनौपचारिक तौर पर निश्चय किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने एक्सपर्ट ओपीनियन हासिल करने की कोशिश की उनकी राय है कि सेल्स टैक्स को बढ़ाते हुये देखकर, मोटे टैक्स को बढ़ते हुये देख कर, एक्साइज की आमदनी को बढ़ते हुये देखकर मालगुजारी को माफ करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। बहरहाल, उनका निश्चय यह है कि मालगुजारी को रेशनेलाइज करना बहुत आवश्यक है।

इस सन्दर्भ में सोचिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है वह कहां तक मुनासिब है। ३,४ बातें मैं सामने रखना चाहता हूं। टैक्स लगाने का सिद्धांत आमदनी की इन ईक्वालीटी को दूर करने का होता है, अन अर्न्ड इनकम को छीनने का होता है। इस सरकार ने यह तो उचित समझा कि भूमि-भवन कर टैक्स को माफ कर दिया जाय पर अनइकनामिक होल्डिंग्स का टैक्स बड़ी मुश्किल से आधा ही कर पाए हैं और उसमें भी २ एपए की पख लगा दी है। जो होल्डिंग अनइकनामिक है उससे १ आने भी वसूल करना न्याय संगत नहीं है। किसी भी सिद्धांत से उसका समर्थन नहीं हो सकता है। एक तरफ तो सरकार ने करोड़पतियों की शहरों में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं और महलों को टैक्स से बिलकुल माफ कर दिया और दूसरी तरफ उन किसानों को भी माफ नहीं कर पाए जिनके पास २,३ बीघे ही जमीन है। शहरों में जमीनों की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे कौन वाकिफ नहीं है? ५०,५० रुपए गज जमीन का दाम हो गया है पर इस सरकार ने यह समझा कि उनसे तो टैक्स न लिया जाय लेकिन जो किसान गांव में खेती करता है, खाने के लिए पैदा करता है, जलती धूप और बारिश में खेतों में काम करता है, और आपके लिए अगर जरुरत हो तो फौज में जाकर लड़ता मरता है, उस पर यह सरकार समझती है कि टैक्स जरूर लादा जाय। किसान उधर भी हैं और इधर भी हैं। मैं नहीं जानता

कि उनकी इस मामले में क्या राय रही। हो सकता है कि वे अपनी राय को इस सरकार से न मनवा सके हों।

मान्यवर, इस ऐक्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब सरकार ने भूमि-भवन कर माफ किया, वह जिस दिन बजट पेश किया गया, बजट स्पीच में ही एनाउन्स कर दिया गया और उसका निफाज पहली अप्रैल, १९६७, से किया गया। मालगुजारी माफ करने का एलान उस समय नहीं कर सके, आज किया है, और उसके निफाज की तारीख अपनी जेब में रखी। यह नहीं कह पाए कि किस दिन से यह लागू होगा। यह कह दिया कि जब ऐक्ट पास होगा और उसमें जो लिखा जायगा तब से माफ होगा। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। न ऐक्ट इनका पास होगा और न यह माफ होगी। किसी ऐक्ट के निफाज की तीन स्टेजेज होती हैं। एक तो यह कि ऐक्ट बने, दूसरी यह कि उसके लागू होने की निश्चित डेट एनाउन्स कर दी जाय और तीसरा यह कि उसका रिट्रास्पैक्टिव इफैक्ट हो। तो किस उसूल पर इस सरकार ने यह मुनासिब समझा कि भूमि-भवन कर तो पहली अप्रैल, १९६७ से माफ कर दो और लगान माफ करने की जल्दी नहीं है, जब ऐक्ट बनेगा तब होगा। अगर अभी से कोई तारीख निश्चय कर दी होती तो सरकार के ऊपर कानून लाने की पाबन्दी हो गई होती। जितने बिल आ रहे हैं, जितने आदेश निकल रहे हैं, उन सब में इतना गोलमाल है, इतना हेर-फेर है, कि यह तो निश्चय है कि उससे वकीलों की चांदी हो जायगी, लेकिन किसी किसान को उससे फायदा नहीं होगा। आपने लेवी का आदेश निकाला कि ८ एकड़ से १५ एकड़ तक बीच में जो किसान हैं अगर वे २० प्रतिशत जमीन बो लेंगे तो उनकी लेवी आधी हो जायगी, हालांकि बाद में उसे माफ किया। लेकिन वही बात यहां कर दी कि सवा ६ एकड़ तो रहेगा लेकिन उसके मायने यह हैं कि हर किसान को अपना-अपना हिस्सा दिया जायगा। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह कानून, या घोषणा, न तो न्याय संगत है, न किसान के साथ न्याय है और न सरकार ने अपने साथ न्याय किया है।

जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, मेरा विचार दुर्भिक्ष के बारे में कुछ बातें करने का था। दुर्भिक्ष जब पड़ता है तो पहली कैजुअल्टी होती है फसल, और फसल में भी चारा, और जानदारों में पहली कैजुअल्टी होती है पशु। जितनी योजनायें इस सरकार की बनीं उनमें इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मई के महीने में मैं कई जिलों में गया और मिर्जापुर में भी गया। एक साहब के यहां गया तो वह बता रहे थे कि उनके पास २० बैल थे, १० तो जिन्दा हैं और १० मर गए हैं। १० जिन्दा भी मरने वाले हैं कुछ दिन में। इस सरकार ने जो कागज बांटा उसमें ६५,००० रुपए की रकम रखी पशुओं के चारे के लिए। २०० से अधिक केन्द्र हैं जहां भूखों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है। अगर यह मान लिया जाय कि उन २०० केन्द्रों पर पशुओं का भी इन्तजाम करना होगा तो एक-एक केन्द्र पर ५०, ५० मन चारा आता है। ५० मन चारे में २०० पशु एक दिन जिन्दा रह सकते हैं या १ पशु २०० दिन जिन्दा रह सकता है। इनकी यह योजना इस प्रकार से बहुत दिलचस्प है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए एक ठेकेदार को मुकर्रर कर दिया जो यह इन्तजाम करेगा। इससे ठेकेदार की परवरिश तो हो जायगी, लेकिन सारे जिलों के लोग उसे तलाश करते रहें कि वह चारा लावे, यह मुमकिन नहीं है। साधारण सालों में भी जितनी आवश्यकता चारे की होती है उसका ६० प्रतिशत ही चारा, सूखा चारा, उपलब्ध होता है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके २, ३ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री फूलसिंह—

कुछ थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं दे पाऊंगा।

श्री फूलसिंह—

बहुत अच्छा। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जो दुर्भिक्ष के समय पशुओं के चारे के काम आ सकते हों। चारे का ट्रांसपोर्ट मुश्किल होता है और न चारा अवेलेबिल है। १९१८ में जब बहुत बड़ा कहत पड़ा, तो पीपल के पत्ते, सिरस के पत्ते, और शीशम व आम के पत्ते पशुओं ने खाए। इस तरह के पेड़ों को लगाना चाहिए गांवों के आसपास, ताकि समय पड़ने पर उनके पत्तों से पशु जिन्दा रह सकें। मैं बहुत आभारी हूं अपने मित्र का, प्वाइन्ट यह नहीं है कि अगर आप डाक्टर हैं और आपके सामने मरीज आता है तो आप बहुत ही भोंडे डाक्टर हैं अगर आप बजाय इसके कि उसका इलाज करें आप यह देखने लगे कि यह बीमारी उस को कहां से हुई और कैसे हुई। यह डाक्टर का उस वक्त काम नहीं है। इस असेम्बली का काम मर्ज की तशखीश करना और उसका इलाज करना है। चाहे आप मुलजिम को सजा देते होंगे या कुछ और करते होंगे।

दो तरीके से कहत का इलाज हो सकता है, एक तो स्टेट सेल्फ सफीशियेन्ट हो जाय। कुछ इलाके ऐसे हैं वहां आप अगर थोड़ा सा पैसा और लगा दें तो वहां पैदावार बढ़ सकती है। आपका अनुदान सब जिलों के लिए बंटता है लेकिन उनमें से कुछ खर्च नहीं कर पाते। इस साल १८,८०० कुओं को एनरजाइज करना था लेकिन ११ हजार को ही बिजली मिल सकी। आपने कुछ जिलों में तो शतप्रतिशत टार्गेट एचीव किया और कुछ में आप बिलकुल पूरा नहीं कर सके। मेरा मतलब यह नहीं है कि जिन में आप आज कुछ नहीं कर पाए उनको भी हमेशा के लिए पीछे पिछाड़ दो बल्कि जिस जिले में जितनी सामर्थ्य है उसके फालतू खर्च को और जगह खर्च करके अगले साल के कोटे में उसको उतना ही और जोड़ दो ताकि जब वह जिला भी काबिल हो जाय तो उस को भी किसी का मुंह न देखना पड़े। ऐसा करें तो स्टेट सेल्फ सफीशियेन्ट हो सकती है।

आप कहत के जमाने में फेमीन रिलीफ फंड का इस्तेमाल करते हैं। जो अर्थवर्क कराए जाते हैं वे स्थायी नहीं होते और आप के बहुत से ऐसे वर्क जो कम पेइंग हैं उनको आप नहीं ले पाते हैं और जो प्रोजेक्ट बड़े इलाकों में हैं जहां बार-बार दुर्भिक्ष पड़ता है लेकिन उनकी प्रायर्टी बहुत नीचे है। उन को फेमिन रिलीफ फंड से पूरा किया जाय ताकि वहां का विकास हो जाय और जनता का धन भी बच जाय।

हरी खाद के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि हमारा कायदा ऐसा है कि एक योजना चलती है और उसको फिर छोड़ देते हैं और दूसरी हम चलाने लगते हैं। एक साल योजना हरी खाद के सम्बन्ध में चली। एक घास होती है इकोनिया कारनिया और एक होती है ससबेनिया ग्लोरिसिडी, यह दो पौधे हैं इनसे एक ढेंचा बहुत मशहूर है, इस को सदाबहार के नाम से भी पुकारते हैं और कहीं-कहीं पर इसका नाम हकीम भी है। जब यह शुरू में चला था तो कुछ इलाकों में खेतों की मेढ़ों पर, रास्तों के किनारों पर यह पेड़ लगाए गए थे लेकिन अब उनका कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। जैसे अब बारिश हुई है तो ऐसा ड्राइव होना चाहिए था कि सदाबहार के पेड़ों को काटकर खेतों में डाला जाय ताकि पत्ते सड़कर खाद बन जायं और लकड़ी उसको जलाने के लिए उठा ली जाय। ढेंचे का बीज भी आज बहुत महंगा मिलता है, उसकी लकड़ी भी जलाने के काम में आ जाती है हालांकि वह खाद के लिए ही बोए गए थे।

श्री अध्यक्ष—

अब समय बहुत थोड़ा रह गया है आज, आप बहुत जल्द २ मिनट में समाप्त करें।

श्री फूलसिंह—

आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों पेड़ों को खाद के लिए इस्तेमाल किया जाय और जो लकड़ी जलने के काम में आती थी उसकी जगह दूसरी चीजें बोई जायं। सदन के कुछ माननीय सदस्य कभी मद्रास गए होंगे और अगर उन्होंने वहां का फ्यूअल फारेस्ट देखा होगा वहां

एक पेड़ फ्रास होता है जो यहां भी आगरा डिवीजन में होता है। फारेस्ट की फेमिली है। उसकी कैफियत यह है कि उसको बोना नहीं पड़ता है। बरसात में लकड़ी गाड़ दी जाती है और ५ वर्ष में बड़े सुन्दर जंगल बन जाते हैं। यदि उस पेड़ को यहां पर लगा दिया जाय तो उसकी लकड़ी तो जलाने के काम में आ जाय और ढेंचे का सही इस्तेमाल होने लगेगा।

श्रीमन्, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में जो मेरे सुझाव हैं या जो एलान माननीय माल मन्त्री जी ने किया है मालगुजारी वाला, यह बहुत नाकाफी है। इससे बड़ा असन्तोष है और मैं चाहूंगा कि इस पर फिर गौर करना चाहिए और मुनासिब कदम उठाना चाहिए।

वन मन्त्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातों के लिए कांग्रेस के सदस्यों का धन्यवाद करना है। एक तो इस बात के लिए कि आज उन्हें किसानों की याद आने लगी है और एक इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको ऐसे कुछ प्रगतिशील व्यक्ति दिखाई देने लगे जिनकी सहायता की आज उन्हें जरूरत पड़ी।

श्रीमन्, किसानों के लगान का जहां तक सवाल है, यह आज से नहीं बहुत पहले से उठा हुआ है। आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, और मुझे भी कांग्रेस के बहुत सम्मेलनों की याद है। जब चुनाव आरम्भ होने वाले थे मुजफ्फरनगर के सम्मेलन में यह प्रश्न जरूर आया था लेकिन उसमें भी मैंने यह कहा था कि आपका प्रस्ताव अमल में नहीं आने वाला है, भले ही आप चुनाव में किसानों को और जनता को धोखा देना चाहते हों। अगर उन पर अमल करना होता तो आज से पहले कई बार इन किसानों के लगान के माफ करने के बारे में सोचा होता। श्रीमन्, मुजफ्फरनगर से पहले वाराणसी में जून के महीने में मैंने किसानों के लगान के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा लेकिन इस सवाल को तुरन्त कांग्रेस कमेटी ने रूल आउट कर दिया कि पेश ही नहीं हो सकता है। आज किसानों की बहुत याद आती है और उस समय मेरे प्रस्ताव को यह कह कर कि यह नहीं आ सकता एजेन्डे से भी हटवा दिया। यही नहीं, जब प्लानिंग का प्रस्ताव आया था तो मैंने एक संशोधन दिया परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस संशोधन पर मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। यह हालत कांग्रेस की जून, १९६६, में थी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उस समय आपका कोई अस्तित्व नहीं था?

श्री रामचन्द्र विकल—

मेरा उस वक्त भी कुछ अस्तित्व नहीं था और आज भी नहीं है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं। अस्तित्व तो आज माननीय कृष्णानन्द राय जी का है और किसी का नहीं है। मैंने बहुत सच्चाई के साथ एक बात को पब्लिक में भी कहा और आज सदन में भी कहना चाहता हूं कि जब से मैं इधर आया हूं मेरे ऊपर एक असर आया है और कल अगर मुझे उधर जाना पड़े तो मेरी आलोचना का तरीका बदल जायगा। मुझे इधर आकर कुछ कठिनाई महसूस हुई। जितना सरल आलोचना करना होता है उतना आसान काम करना नहीं है। यह एक सच्चाई की बात है। लेकिन मेरा यह अनुभव ३ माह का है। मगर २० वर्ष तक जिन्हें इन कुर्सियों पर रहने का अनुभव हुआ, मन्त्री परिषद् में, उनका अनुभव वहां जाकर वह नहीं है, जो मेरा है। बल्कि उल्टा यह हो रहा है कि जो साधारण सदस्य हैं वे शायद कुछ सही और अच्छी बात कहते हों, लेकिन जो मन्त्री परिषद् में रह चुके हैं उनका आवेश, रोष, उनके भाषण और बातें यह साबित नहीं कर सकती कि इन कुर्सियों पर रहने से कोई कठिनाई महसूस हुई होगी। आज जो उनकी बातें सुनता हूं तो मैं क्या कहूं, दुख होता है कि हम पर ३ महीने में असर हुआ, उन पर सवा २ साल में नहीं हुआ, बल्कि अगली लाइन वाले लोग ज्यादा उग्रवादी हैं, माननीय गुप्ता जीको छोड़कर, उन्होंने बहुत संयम दिखाया, वोट आन अकाउन्ट पर जो

[श्री रामचन्द्र विकल]

उदारता दिखाई उस का धन्यवाद करता हूं; उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि पास करने को कहा विश्वास के साथ। वह कुछ मान्यतायें डाल रहे हैं विरोधी दल की। मगर जो और मन्त्री परिषद् में रहे हैं उन से पूछना चाहता हूं कि किसान के साथ बड़ा फ्राड कर रहे हैं हम, मैं फ्राड शब्द का अर्थ नहीं जानता, मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि १० गुना में ४० करोड़ रुपया किसानों से लेने के बाद लगान आधा करने के बाद, लिखित सनद देने के बाद जब आप ने १९६२ और १९६५ में लगान बढ़ाया, मैंने कहा था कि लगान ४० वर्ष तक नहीं बढ़ा सकते। तो जब आप लगान बढ़ा रहे थे उस से बड़ा फ्राड और क्या हो सकता है? लगान दो दफा बढ़ाया आपने, चीन और पाकिस्तान की लड़ाई के समय।

मैं माननीय फूलसिंह से पूछना चाहता हूं, आज उन्होंने गिनाया कि गुजरात में इतना छोड़ दिया, राजस्थान में, उड़ीसा, बिहार में इतना छोड़ दिया, मैं उनके चरण स्पर्श करके कहना चाहता हूं कि मैं भी यही कहता था कि १९६२, १९६५ की लड़ाई का असर सीमा प्रान्तों पर पड़ा है और जब उन प्रान्तों ने, जैसे राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, कश्मीर में लगान नहीं बढ़ा तो आप क्यों बढ़ाते है। तब आप मेरी बात नहीं सुनते थे। मगर आज हम कुछ तो कर रहे हैं। हमने १९ सूत्री कार्यक्रम में लगान वाले सवाल को रखा है, सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि हम अपने एक भी वायदे से पीछे जाना नहीं चाहते उनको पूरा करेंगे। हमने जो आज इस लगान वाले सवाल को सवा ६ एकड़ का आधा किया है उसकी स्वीकृति प्रदेश की तमाम जनता से घूम-घूम कर ली है। हमने जनता से कहा है कि जिन हालात में हमें कांग्रेस से चार्ज मिला है, जो आर्थिक कठिनाई है, आप के साथ हमने कुछ वायदा किया है उस को मैं कर्ज मानता हूं स्टाम्प लगा कर जनता से स्वीकृति ली है कि यह कर्ज हम किस्त में अदा करेंगे। और जनता ने स्वागत किया हम किस्त में ले लेंगे। जनता को कोई परेशानी नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सारे प्रदेश की जनता की तरफ से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता हमारे वायदों को किस्तों में चाहती है। हमने लगान को किस्त में छोड़ने का वायदा किया है और जनता ने इसकी मंजूरी दी है। हम सारा लगान एक साथ नहीं छोड़ सकते, अभी हमने सवा ६ एकड़ का आधा लगान माफ किया है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा, और मिनिमम प्रोग्राम में भी है, कि किसान पर लगान जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। हमारा तो पूरा वायदा है और उस वायदे को यह सरकार पूरा करने जा रही है। आज सवा ६ एकड़ का आधा किया है, जैसे-जैसे आर्थिक साधन बढ़ेंगे हम किसान का लगान छोड़ते चले जायेंगे। लेकिन आज मुजफ्फरनगर के प्रस्ताव का जिक्र कर के कहा गया कि भूमि-भवन कर भी हमारे प्रस्ताव में था, पेशा कर भी हमारे प्रस्ताव में था, लगान छोड़ने का भी हमारे प्रस्ताव में था। मगर वह चुनाव के १ महीने पहले के वायदे थे, और सौभाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि इन कुर्सियों पर कांग्रेस सरकार को १८ दिन रहने का मौका भी मिला, लेकिन क्या आप भूमि-भवन कर छोड़ सके, पेशा कर छोड़ सके, किसान का लगान छोड़ सके? नहीं। वह तो एक वायदा था चुनाव से पहले और जब शक्ति में आ गए तब कुछ नहीं करना है। हम जितना कर रहे हैं सच्चाई के साथ कहते हैं। आगे हमारी करने की हैसियत नहीं है। लेकिन आप तो १८ दिन में भी कुछ नहीं कर सके। कल त्रिपाठी जी की तरफ से एक आवाह्न हुआ इस बात का कि यह सरकार बदल जायगी कुछ इधर के प्रगतिशील लोगों को साथ लेकर। मुझे इसमें कोई शक नहीं है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जन को अभी और पश्चाताप करना होगा, आपने पूरा प्रायश्चित नहीं किया है और कुछ सेवा भी मुल्क की करनी होगी। अभी तो आप जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं और आपको मालूम नहीं है कि ८ करोड़ जनता क्या चाहती है। जोड़-तोड़ के तरीके से आप यह सरकार आज खत्म कर दें तो कोई चिन्ता नहीं है लेकिन पहले जो जोड़-तोड़ की थी तो १८ दिन चली थी, इस बार ८ दिन नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कांग्रेस के अन्दर की बात मालुम है। कभी तो यह कहा जाता है कि जन संघ के साथ मिल कर हमने बड़ा भारी पाप किया। भूमि-भवन कर तो जन संघ माफ

कराना चाहता था। बड़े किसानों का लगान जन संघ और स्वतन्त्र पार्टी माफ कराना चाहती थी और बाकी लोग छोटों के हक में थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे संयुक्त विधायक दल का फैसला जिसे माननीय माल मन्त्री ने सुनाया वह फैसला बावजूद इसके कि हम में मतभेद हैं, एक राय से आपके सामने आया है। जन संघ ने और हमने अपने दृष्टिकोण बदले और सब एक हो गए। भूमि-भवन कर आप भी छोड़ना चाहते थे, आपने किया नहीं और हमने कहा तो कर दिया। आप पूरा भूमि-भवन कर छोड़ना चाहते थे और मुजफ्फरनगर के प्रस्ताव की आपने दुहाई दी लेकिन हमने उस पर अगर अमल कर दिया तो हम सरमायादारों के एजेन्ट हो गए और आप करना चाहते थे आप गरीबों के हमदर्द थे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं यह ठीक है कि हमारे अन्दर ९ पार्टीज हैं।

एक सदस्य—नौ ग्रह हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

हां, नौ ग्रह हैं लेकिन ये जरा कांग्रेस को कड़े पड़ रहे हैं, मुश्किल पड़ रहे हैं। आप जन संघ और हमारे मतभेदों को उकसाने की कोशिश न करके अपने संगठन को कायम रखने की कोशिश करो। अभी आपको कुछ बात मालूम नहीं है। आपको अपने संगठन तक सीमित रहना चाहिए। हमारे यहां जो फैसले होते हैं चाहे भूमि-भवन कर के बारे में हों, अथवा लगान के बारे में हों, सब एक मत से होते हैं भले ही हमारे साथ चाहे जन संघ हो अथवा कम्युनिस्ट और इन ९ दलों में इतनी एकता है जैसी कि कांग्रेस में कभी नहीं थी और न आज भी है। असलियत यह है कि आज भी जो एका है वह भी जो लोग इधर चले आए हैं उनकी वजह से है। माननीय गुप्ता जी और माननीय त्रिपाठी जी आज एक साथ जो बैठे हुए हैं उसका श्रेय भी इधर के लोगों को है, आपको नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अगर जनतन्त्र को कायम रखते हुए बदल जाती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि उनको राष्ट्रपति शासन का भय दिखाया जाता है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर जनतांत्रिक तरीके से यह सरकार हटती है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। शायद कुछ मेम्बरों को तसल्ली देने के लिये कि मध्यकालीन चुनाव हम चाहते हैं और आप नहीं चाहते यह कहा जाता है। अगर मध्यकालीन चुनावों की स्थिति कांग्रेस के लोगों की नासमझी से आये तो कांग्रेस जितनी तादाद में आज है उस तादाद में भी नहीं आयेगी। मालूम नहीं है जनता का रुख आपको। और क्यों नहीं आयेगी.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके शान्त रहें। बीच-बीच में उत्तेजना आती है और सदस्यगण खड़े हो जाते हैं यह उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

यही वजह है कि जिसके कारण मैं कहता हूं कि इतनी तादाद में नहीं आयेगी क्योंकि सहनशक्ति नाम की कोई चीज कांग्रेस के बड़े नेताओं में नहीं है। और जिसमें सहनशक्ति नहीं होती वह शासन नहीं कर सकता। सबसे पहला गुण है सहनशक्ति। और जो शोर हो रहा है यह पहली लाइन से ज्यादा हो रहा है। और परेशानी भी जो कुर्सी और गवर्नमेंट की है वह पहली लाइन में ही ज्यादा है। इसलिये मेरा विश्वास है कि दोबारा ये इतनी तादाद में भी नहीं आ पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से कि अभी जनता में जाने की जरूरत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी को मुझे कोई होमियोपैथिक की दवा दिलवानी पड़ेगी। हमको हमारी गलतियों से जाने दें। हम तो नातजुरबेकार लोग बैठे हैं, न सरकार चलाने का अनुभव है, हमने तो दुनियां भी बहुत कम देखी है, ज्यादा दुनियां का तजुरबा उधर है। तो फिर

[श्री रामचन्द्र विकल]

हमें गलती करने का मौका क्यों नहीं देते ? लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उनको यह नजर आता है कि यह सरकार अगर कुछ दिन रही तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा किन्तु हमारे अन्दर से कुछ लोग और न खिसक जायेंगे।

आज किसान भी जानता है कि इन्होंने ४० करोड़ रुपया लगान का लेकर लगान आधा किया था। कल कमलापति जी कह रहे थे कि हमने भी किसान का लगान आधा किया था। किसान आज इतना जागृत है कि वह समझ गया कि ४० करोड़ रुपये का अगर सूद लगाया जाय तो लगान आधा नहीं हुआ बल्कि उतना ही रहा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बिलकुल गलत परिपाटी है कि सारे माननीय सदस्य खड़े होकर जवाब देने लगते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

चालीस करोड़ रुपया लेकर लगान आधा करना यह फ्रॉड नहीं है तो और क्या हमने तो माननीय फूलसिंह जी चाहते थे कि लगान खत्म हो गया, यह घोषणा हो। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, घोषणा हो, जिस दिन आप कानून बनवा देंगे उस दिन से लागू हो जायगा मैं ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूं कि खरीफ का लगान रबी में वसूला गया। आपने किसान को चार आने छोड़ने की बात कही थी, मगर रबी का लगान किसान खरीफ में दे चुका। यह पेशगी लगान आज तक दुनियां में कहीं वसूल नहीं हुआ। अब आप घोषणा कर दें कि हमने चार आने लगान छोड़ दिया जिसको किसान पहले दे चुका है इसलिये कोई फर्क नहीं आया। इसलिये इसको छोड़ने का श्रेय आप को नहीं होगा बल्कि संयुक्त विधायक दल की सरकार को होगा। आप समझते थे कि किसान की कोई आवाज नहीं है। जो उन्होंने मूक समझा था वही आवाज लगाने लगा। अगर यह पहले समझ जाते तो आपको यह दिन न देखना पड़ता और हमको भी न देखना पड़ता। माननीय शर्मा जी कह रहे थे कि वह मेरी तरह मजबूरी में हैं। उनको भी उतना ही दर्द है जितना मुझे है। आप उस समय भी मजबूरी में थे और आज भी हैं। थोड़ी तादाद कम हो गई इसलिये। वरना किसान के लगान के लिये कोई आवाज नहीं उठाई। आज दोनों तरफ से होड़ लगी हुई है। हम भी कहते हैं कि लगान पूरा छोड़ेंगे। आपसे हम पूछते नहीं हैं। हमने अपनी मजबूरी जाहिर की और किसान से इजाजत ले ली है कि हम लगान किस्तों में माफ करेंगे।

गल्ला वसूली की चर्चा कल भी हुई और आज भी माननीय कृष्णानन्द राय जी बड़-बड़ा रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि गल्ला वसूली की उनकी क्या योजना थी।

श्री अध्यक्ष—

मेरा खयाल यह है कि आपका मतलब परिषद् के लोगों से होगा ?

श्री रामचन्द्र विकल—

जी हां। माननीय गेंदासिंह जी जवाब दे सकते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

कब चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र विकल—

इसी समय दे दीजिये।

श्री गेंदासिंह—

हमने गल्ला योजना आदमी के हाथ से काम करने की, आदमी की अक्ल से काम करने की बनाई थी और कुछ लोगों की राय थी कि सवा छै एकड़ तक के किसानों से भी गल्ला लिया जाय। लेकिन मंत्रिमंडल ने इसको पसन्द नहीं किया और मैं भी उस समय कुर्सी पर बैठा था। मैंने भी

इसे पसन्द नहीं किया और मैंने कहा कि लेजिस्लेचर के सामने इसे ले आया जाय। मुझे आशा थी कि जब यह वहां जायगी तो इसकी रूपरेखा अच्छी होगी और निश्चित रूप से अच्छी हुई। माननीय सदस्यों ने जो राय दी उसके अनुसार मैंने चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से कहा कि मेहरबानी करके लेजिस्लेचर की अक्ल के मुताबिक इस योजना को बनाइये। मेरी इच्छा थी और मैंने कहा कि १० एकड़ से कम किसानों की बात मत करिये। मैं नहीं चाहता था कि जो जिले भूख से पीड़ित हैं उनके साथ किसी हालत में भी छेड़खानी की जाय। मैं सोचता था कि कैबिनेट को एक मर्तबा समझाकर फैसला लिया जायेगा। जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि कोई निश्चय नहीं किया गया था जब कि केबिनेट रिजाइन कर गई। और उसके बाद तो यह केबिनेट आई उसने जो फैसला लिया वह जिम्मेदारी उसकी है। हम चाहते थे वसूली लेकिन किससे, किस प्रकार, कितनी और कैसे उगाही की जाय, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में थीं।

श्री रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय भूतपूर्व खाद्य मंत्री जी से प्रकाश मिला, इसके लिये धन्यवाद। बहुत बार सवाल करने के बाद आज उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया। उन्होंने सहारा लिया सवा ६ एकड़ तक के किसानों को छोड़ने का फैसला लिया।

अनेक सदस्य---

उन्होंने १० एकड़ के लिये कहा था।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह उनकी अब व्यक्तिगत राय होगी, पहले नहीं थी और मंत्रिपरिषद् ने फैसला ले लिया था, यह मेरी जानकारी है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी ने इस सदन में कहा था कि कांग्रेस के मंत्रिपरिषद् ने कोई स्कीम फाइनल नहीं किया था लेकिन विकल जी कहते हैं कि कैबिनेट ने फैसला ले लिया था। इस किस्म के परस्पर विरोधी बयान मंत्री लोग क्यों देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन यों रामचन्द्र जी विकल अगर उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---

कौंसिल में कैबिनेट का फैसला पढ़ा जा चुका है यह मेरी जानकारी है। लेकिन, श्रीमन्, प्रदेश के किसानों के सौभाग्य से कहिये वह फैसला कार्यान्वित करने का मौका नहीं आया अगर मौका आया होता तो आज यह जो बयान हो रहे हैं वह नहीं होते और किसान भी उसको महसूस करते। माननीय विरोधी दल के नेता जो उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने मुझे भी बुला कर मुझसे मशविरा किया था, और उस वक्त विचार जो बताये थे उनमें हमने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया था मगर हम सिर्फ यह जानकारी चाहते थे कि आप हमें विस्तृत रूप से यह जानकारी करा दें कि आपकी निश्चित योजना क्या है। उन्होंने कहा था कि हम निश्चित योजना आपके सामने रखेंगे। लेकिन वह मौका नहीं आया। खाद्य समस्या ऐसी है जिसमें किसी राजनीतिक विचारधारा का कोई व्यक्ति क्यों न हो सहयोग देता ही है। और मैं बताता हूं कि बहुत से सच्चे कांग्रेस के लोगों ने बावजूद कांग्रेस के नेताओं के बयान के गल्ला वसूली योजना में हमें सहायता दी। जिम्मेदार विधायकगण भी ऐसे रहे हैं कांग्रेस के, जिन्होंने उसमें योग दिया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

आज मैं एक बात कहना चाहता हूं और कांग्रेस के उन माननीय नेताओं से जो अगली लाइन में बैठे हैं कि चाहे संयुक्त विधायक दल की सरकार खत्म हो जाय मगर संयुक्त विधायक दल उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि आप सही रास्ते पर नहीं आ जाते हैं। हमने तय यह किया है कि जो मदान्ध हो गये थे, जो किसी की बात सुनते ही न थे, जो क्या-क्या कर रहे थे मदान्ध होकर, वे जिस दिन तक अपने सही रास्ते पर नहीं आयेंगे यह सरकार रहेगी। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि वोट आन एकाउन्ट—लेखानुदान जैसी बड़ी राशि आपने स्वीकार की है, इसलिये इस छोटी सी राशि का कट मोशन वापस लेकर पास कर देते। मैं समझता हूं यही आपको श्रेयस्कर होगा। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस छोटी सी ग्रान्ट को पास कर दो, बहुत बड़ा लेखानुदान पहले ही पास कर चुके हो।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जन जीवन से महत्वपूर्ण सम्बन्ध रखने वाला एक अनुदान आज इस सदन में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की कसौटी के रूप में इस अनुदान द्वारा विभिन्न दलों को अपनी नीतियों की स्पष्टता सिद्ध करने का अवसर मिला है। मान्यवर, जो हमारे रेवेन्यू का ढांचा है, उसके सम्बन्ध में इस अनुदान के द्वारा चर्चा होती है। किसान और सरकार का सम्बन्ध कैसा रहेगा, जमीन की मिल्कियत, जमीन का स्वामित्व और स्वामित्व से पैदा होने वाले उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में क्या-क्या आधारशिला होगी— यह इसी बजट से विदित होता है। मुझे बड़ा खेद है मान्यवर, कि ऐसे अनुदान की बहस भी राजनीतिक छींटाकशी की बहस बनकर रह गयी। हमारे साथ विकल जी ने बावजूद इसके कि अपनी अनुभवहीनता के लिये उन्होंने सदन से क्षमा याचना की तिस पर भी मैं समझता हूं, जिस कुर्सी पर वह बैठे हैं वह उन्हें अनुभवहीनता के लिये क्षमा नहीं कर सकती, भले ही हम क्षमा कर दें। मैं उम्मीद करता था—हमारी पहाड़ी इलाके की जमीन का जो मसला है, उस मसले में सरकार क्या नई बात करने वाली है, लैण्ड सैटिलमेन्ट होता रहा है उसकी क्या हालत है, जहां चकबन्दी चल रही है वहां उस चकबन्दी के सिलसिले में सरकार कोई नया प्रभावशाली कदम उठाएगी या नहीं, इन बातों पर समुचित प्रकाश सरकार अपने बजट में डालेगी। हम उम्मीद करते थे कि नई सरकार जो बड़ी सजधज के साथ नई दुल्हन की तरह आई है, बड़ी उम्मीदें दिलाती हुई आई है अपनी स्थिति को स्पष्ट कर किसानों और मजदूरों को राहत पहुंचायेगी लेकिन मान्यवर, मुझे इस बात का अफसोस है कि इस दूल्हन के चरण पड़ते ही घर का भड़भड़ शुरू हो गया है। उधर से २० साल के शासन की बड़ी चर्चा की गई, वैसे भी हर हालत में रामनाम की तरह हर बात में उसी की चर्चा छेड़ दी जाती है। किन्तु उस २० साल कि घिसिर-पिसिर में हमारे साथ रामचन्द्र विकल जी तथा चौधरी चरण सिंह जी भी शामिल रहे हैं। सूर्य से थोड़ी मिट्टी छिटकती गई और पृथ्वी बन गई, उसी प्रकार से कांग्रेस से छिटकते पिटकते निकलते लोग विकल जी हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हो जाते हैं—जो किश्त बांधते और वसूल करते रहे हैं घूमधूम कर उत्तर प्रदेश में। इस कांग्रेस का छोटे से छोटा सिपाही कितना बड़ा नेता और मंत्री हो जाता है, यह आप लोग विकल जी के रूप में स्वयं देख लें। जो आज वह कह रहे हैं विकल जी भी देखें कि वह किस के बारे में कह रहे हैं।

आज वह त्रिपाठी जी बारे में कह रहे हैं किन्तु जब वह कांग्रेस में थे तो कहते थे त्रिपाठी जी से राजनीति सीखी, वह तो उनके गुरू हैं और श्री त्रिपाठी के साथ रह कर वह गुप्ता जी को बुरा बताया करते थे जिन्होंने उन्हें सौजन्यता का पाठ पढ़ाया था। लेकिन आज जब वह उधर चले गये हैं तो त्रिपाठी जी भी ठीक आदमी नहीं रह गये हैं। उन्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। मुझे उनकी बातों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। कौन भला है, कौन बुरा है, इससे कोई फायदा नहीं, आपका बजट कैसा है यह आपको देखना है—यह प्रदेश की जनता तय करेगी। आपके कारनामों से तय होगा कि आप कैसे हैं। दूसरों की बुराई कर यह सरकार, कब तक जीवित रहेगी ? मोटी बात कहता हूं कि बड़ी मेहरबानी करके आप यह कहते हैं कि हमने किसानों की

भलाई के लिये यह कर दिया कि कुछ जोतों पर से आधा लगान हटा दिया और उधर के लोगों के लिये कहा गया कि २० साल सरकार में रहे, लेकिन इस भलाई के काम को नहीं कर पाये। मगर विकल जी भी तो रहे और चौधरी चरण सिंह भी तो २० साल कांग्रेस सरकार के साथ रहे, जिसकी आज वह इस तरह से बात करते हैं। उनके हाथ में सारा राजस्व विभाग इस प्रदेश का रहा तो उन्होंने क्यों नहीं उस चीज को होने दिया। जो सविद में आकर उन्हें अच्छी लगती है यह तो उनसे ही पूछते तो ज्यादा अच्छा था।

क्य गांव में नई सरक ने पूरी परताल की व्यवस्था की है; हाकिम परगना मौजूद हैं लेकिन क्या अब वह खुद कानून के हिसाब से कागजात दुरुस्ती का काम करेंगे? कांग्रेस शासन में भी सेहत कागजाती स्वयं प्राप्त अधिकार के अधिकारी भी नहीं करते रहे हैं। ऐसे मामलात में दरख्वास्त आती रही है और सेहत कागजात की मुकदमेबाजी होती रही है। कभी-कभी स्वयं ही आंखों से देखकर रिकर्ड दुरुस्त करते रहे हैं। कहां जुन्दरी होती है, कहां बाजरा होता है और दूसरी कोई चीज बोई जाती है क्या उसको देख कर कभी अधिकारी रिकर्ड ठीक करते हैं? जब कभी विकल जी इधर न ध्यान न देकर इस तरह से बात करते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। विकल जी जिस लोगों को थोड़े दिन पहले अच्छा समझते थे आज उनकी निगाह में वह बहुत खराब हो गये हैं। जिस पार्टी टिकट के लिये वह परेश न थे इधर के नेता को बहु अच्छा समझते थे, आज कहते हैं कि वह बिलकुल खराब आदमी हैं। यह विकल जी को शोभा नहीं देता है। विकल जी उत्साही आदमी हैं। विकल जी एक भावुक आदमी हैं, हमेशा की तरह और आज भी मैं उनको भावुक व्यक्ति मानता हूं। मैं विकल जी को पहले भी विवेकशील आदमी नहीं मानता था और आज भी उनको मैं विवेकशील आदमी नहीं मानता हूं क्योंकि जो आदमी विवेकशील हुआ करता है वह इस तरह से बात नहीं किया करता है। बात किसी की हो रही है और बात किसी को कर रहे हैं। एक ही प्रसंग में उसे जोड़ देना अच्छा नहीं होता। इस प्रकार से सीमा के बाहर नहीं हुआ करते हैं। सही बात है कि कांग्रेस ने एलान नहीं किया और आपने आधा लगान कर दिया। इतने दिनों में तो कोई एवरेस्ट पर भी चढ़ जाता। अप्रैल के महीने में माल मंत्री जी इलाहाबाद गये थे। वहां पर उन्होंने कह दिया कि परसों कबिनेट होने वाली है जिससे अलाभकर जोतों से लगान छूट जायेगा। श्यामलाल जी यादव गये तो उन्होंने भी कह दिया कि ३ दिन के अन्दर इस प्रश्न पर कैबिनेट का एलान हो जायगा। यह फैसला तो तभी होने वाला था तो इतनी देर कैसे लग गयी? चौधरी चरणसिंह अनुभवी आदमी हैं वह जानते हैं कि यह काम जल्दी नहीं हो सकता है। विकल जी हमसे कहते हैं कि आपकी १८ दिन की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने तो ४ दिन के अन्दर ही ४ आना बढ़ती लगान को छोड़ने का एलान कर दिया।

हमारी पार्टी के अन्दर कंफ्लिक्ट रहा है। कंफ्लिक्ट कांग्रेस पार्टी में सदा से रहा है और वह रहना चाहिये। हर आदमी को अपने विचार रखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। जनतन्त्र की यह परम्परा है कि उन दलों में दायें ओर दल रहते हैं, बायें ओर दल रहते हैं और बीच के विचार के भी लोग होते हैं। लेकिन संयुक्त विधायक दल में जाकर तो दायें और बायें दलों के सब टुकड़े हो गये दायां बायां सब एक हो गया। एक तरफ लोहिया जी कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ के लोग दूसरी बात करते हैं। राजनीति में हर तरह का ही जीवन होता है लेकिन जनसंघ की तरह से नहीं होता है कि न दायें के लोग हैं और न बायें के और न बीच के विचारों के लोगों के लिये वहां कोई स्थान है। इसलिये विकल जी, यह सब जरा जरा बातें विचार करने के बाद ही तय होती हैं जिसके लिये बराबर आप दुहाई देते रहते हैं। हम जो आपसी लड़ाई लड़ते थे तो वह अन्दर ही लड़ते थे लेकिन बाहर उन चीजों को जाहिर नहीं किया जाता था। ४ आना लगान के बारे में किस तरह से हमने अपना निर्णय लिया है। शायद वह भूल गये। विकल जी को अहम ज्यादा हो गया है। वह इस बात को याद करें कि इस प्रश्न पर हमने क्या रुख लिया था? अकेला चना भाड़ को नहीं तोड़

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सकता है। कुछ लोग आपके दल के यह कहते हैं कि ऐसा हो जाय नहीं तो हम मंत्रिपरिषद् से सहयोग हटा देंगे, जो करते हैं रोज रोज कहते नहीं। हम लोग भी लड़ते थे और अपनी बात समय पर कहा करते थे। मैं विकल जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सिद्धान्त को अब तो मान लें कि जिस दल से रहा करते हैं उसकी कमजोरियों से अन्दर से ही लड़ा करते हैं और अन्दर से लड़कर ही उनको दूर किया करते हैं। बाहर उनकी डुग्गी पीटना जरूरी नहीं है। अभी संयुक्त विधायक दल को पता चलेगा। अभी तो केवल एक चोट उसने सही है। विकल जी से सरकार के पहाड़पर जाने की बात सुन कर पहाड़ के लोग प्रसन्न होंगे, लेकिन किसी मंत्री को यह परम्परा नहीं डालनी चाहिये कि मंत्रिपरिषद् के निश्चयों के विरुद्ध सदन में बोलें। ऐसे बोलने वाले मंत्री को पहले मंत्रि परिषद् से बाहर निकल आना चाहिये। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विकल जी तो परमानेन्ट डिस्सीडेंट हैं। जब हमारे साथ थे तब भी डिस्सीडेन्ट थे और जब वहां हैं तब भी डिस्सीडेंट हैं। मैं यह सब कह इसलिये रहा हूं कि यदि वे भविष्य में बोलें तो जरा विवेक के साथ बोलें और उन प्रश्नों पर बोलें जिन पर विचार हो रहा हो तो कुछ अधिक लाभ होगा। कांग्रेस में लोग कहां जाया करें और कहां आया करें इसको सुनाने का काम उनका नहीं होना चाहिये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस ग्रान्ट पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह सारी अक्ल आप को अपने लिये भी इस्तेमाल करनी चाहिये। दूसरों को ही यह बात नहीं बतलानी चाहिये। यदि व्यवस्था का प्रश्न हो तभी आप बीच में खड़े हो सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं अनुग्रहीत हूं कि माननीय शराफत साहब ने मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया। मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं। प्रश्न उन्होंने बहुत ऊंचा उठाया है। व्हाइल इन रोम डू ऐज दि रोमन्स डू, जब रोम में रहे तो रोमन्स की तरह से काम करो। हमारा नेतृत्व इस समय ट्रेजरी बेंचेज से मिलता है। मार्केट में तो लोगों ने इसका नाम ट्रेजरी बेंचेज रख दिया है, लेकिन मैं इसको अभी भी ट्रेजरी बेंचेज ही कहता हूं। अब अगर यहां से एक लीड मिले बहस की, तो लाचारी होगी। यह बात उनकी ठीक है कि हमारे सामने आज विकल ग्रान्ट नहीं है, रेवेन्यू ग्रान्ट है। मैं मानता हूं, लेकिन अगर मेरे भाषण से माननीय शराफत हुसैन साहब की और सदन के दूसरे सदस्यों की बुद्धि उचित दिशा की ओर आ गयी हो तो मैं अपना शेष समय ठीक से ग्रान्ट पर ही लगाऊंगा। इस भावना का जिक्र करने में जो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिये, मैं समझता हूं कि स्वाभाविक ही है कि मुझे खुशी होगी।

इस ग्रान्ट में किसानों के लिये क्या किया गया है। जो रेवेन्यू विभाग का अरेन्जमेंट है, जो लेखपाल के कार्य और कर्तव्य हैं वे सब वैसे ही हैं। जो कानूनगो के कार्य और कर्तव्य हैं वे सब वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। तहसीलदार जैसे कांग्रेस प्रशासन में १ अप्रैल, १९६७ को इस प्रदेश में मौजूद थे, वैसे ही आज भी मौजूद हैं। उनके कृत्यों और कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे उसी प्रकार मुकदमे सुना करेंगे। दूसरों के कब्जे के सिलसिले में कागजों की दुरुस्ती के सिलसिले में कोई तब्दीली हुई नहीं। हरिजनों की आबादी वगैरह का इन्दराज या कागज दुरुस्त करने के लिये कोई आपरेशन कराया नहीं गया। हरिजनों को दिक्कतें जरूर हैं, सरकार यह बात मानती है परन्तु उन्हें दूर करने के लिये कोई इन्तजाम नहीं हुआ। अगर उसके लिये कोई विशेष व्यवस्था होती तो मैं समझता कि सरकार ने कुछ किया है। जो दबे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इस समय एक बात को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही है कि सरकार ने सवा ६ एकड़ तक का लगान आधा कर दिया है और मान्यवर, हमारे विकल जी ने कहा, दो बातें कहीं। मैं केवल

५ मिनट और चाहूंगा। विकल जी ने बनारस कांग्रेस की याद दिलायी और, मान्यवर, जब उन्होंने यह बात कही तो मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि चवन्नी लगान का उनका प्रस्ताव वहां गिरा दिया गया। रूल आउट कर दिया गया। मान्यवर, मुझे अच्छी तरह स याद है और विकल जी आयेंगे तो मैं उन्हें पूरी प्रोसीडिंग भी दिखा दूंगा कि सभापति के विचाराधीन वह प्रस्ताव कर दिया गया था और यह तय हुआ था कि, सभापति जी सरकार को उस सदन की जो भावना थी उससे अवगत करा देंगे। यह निश्चय वहां हुआ था और वह किया गया। अभी मेरे बोलने के बाद विकल जी मेरे साथ चलें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, मैं उनको सारी कार्यवाही दिखला दूंगा। त फैक्ट्स को बदल कर बोलना, उनको शोभा नहीं देता।

दूसरी बात उन्होंने कही कि मुजफ्फरनगर कांग्रेस में भूमि भवन कर छोड़ो, यह छोड़ो, वह छोड़ो, आदि बातें हुई थीं। दो तरह की बातें वहां हुई थीं। एक तो यह थी कि पूरक चुनाव घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव था। चुनाव घोषणा-पत्र किसी राजनीतिक दल को बांधता है, उसके कार्य-क्रम को बांधता है। श्रीमन्, उस चुनाव घोषणा-पत्र सम्बन्धी उस प्रस्ताव का स्वयं मैं जन्मदाता था। उसमें हम लोगों ने यह नहीं कहा था कि भूमि भवन कर को छोड़ देंगे। पूरक चुनाव घोषणा-पत्र छपे हैं और मौजूद हैं। अलग से भूमि भवन कर पर प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को अलग पास कर दिया गया था। चुनाव घोषणा-पत्र जो छपा है उसमें है कि बढ़ा हुआ चवन्नी लगान छोड़ो, अलाभकर जोत लगान पर लगान छोड़ो, दसवें दर्जे तक फीस माफ करो, हरिजनों की आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करो और पहाड़ों के लिये विशेष प्रशासनिक यन्त्र बनवा देने चाहिये ताकि वहां के कार्यक्रम आसानी से हो सकें। साथ ही जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है, सरकारी कारखाने के मजदूर हों, चाहे प्राइवेट कारखाने के मजदूर हों, उनके लिये नौकरी की शर्तें मुनासिब हों। भूमि भवन कर छोड़ने का प्रस्ताव अलग से था और घोषणा-पत्र में अलाभकर जोत से लगान हटाने का प्रस्ताव अलग से था लेकिन माननीय विकल जी ने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब मैं उनको विवेक कहां से लाकर दे सकता हूं लेकिन जो स्थिति है वह मैं उनके सामने निवेदन कर रहा हूं कि लगान छोड़ें, ठीक है, आज वे हमसे कहते हैं कि यह आवाज विरोधी कुर्सी पर बैठ कर उठाते हो, लेकिन मैं भी कहता हूं कि आप भी चूंकि उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसलिये उसूल की कोई बात न कह कर ऐसी बातें करते हैं। मैं जानता हूं कि कितने उसूलों पर यह सरकार चल रही है उनसे आज कितना दुखी है आपका मुख्य मंत्री। मैं उन बातों में नहीं पड़ना चाहता कि वे क्यों दुखी हैं, मैं तो चाहता हूं कि वे सुखी रहें, उनके दुखी रहने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आम जानकारी में यह बात है कि उनकी आत्मा कितनी परेशान है। जिनको इन कुर्सियों पर बैठना नसीब हुआ है, जिन्हें इसकी कोई आशा भी नहीं थी, वे भले ही प्रसन्न हों लेकिन इस बजट के मामले में इतनी उलझन भरी चीजें कल तक देखने को मिलीं, कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां कुछ कहा, फिर राजस्व मंत्री जी ने कुछ कहा और फिर आज जब माननीय राजस्व मंत्री जी ने भाषण दिया तब कुछ और हुआ। किसानों के सुख दुख में प्रशासनिक यंत्र जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं मांग करता हूं कि उसमें पूर्ण रूपेण तब्दीली होनी चाहिये। सेहत कागजात के लिये ९० परसेंट जिम्मेदारी हाकिम परगना की होनी चाहिये। कागजात में कोई गलती हो तो उसके लिये सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिससे किसानों के अन्दर जो इतनी मुकदमेबाजी होती है, वह काफी हद तक रुक सके।

जहां तक लगान का प्रश्न है, एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। जब मैंने सदन के सामने लेखानुदान पेश किया था तो मेरे साथी दोस्त किसी जमाने के हृदय के टुकड़े विकल जी, आज भी वे मेरे हृदय के टुकड़े हैं, उन्होंने पूछा था कि मुजफ्फरनगर प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमने क्या किया, मेरी उस समय की स्पीच मेरे पास मौजूद है, मैंने जवाब दिया कि जून के महीने में मुजफ्फरनगर में पास किये गये पूरक घोषणा-पत्र के अनुसार अगर हमारे बजट से आपको सन्तुष्ट कर सकूं तो आप मुझे सहयोग दीजियेगा। अन्यथा आप मुझे उस स्थान पर नहीं पायेंगे। वह चीज रेकार्डेड है, उस को आप चल कर देख सकते हैं। अब इस के लिए कोई कहे कि ४

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

महीने पहले ही ऐडवांस आप ने घोषणा क्यों नहीं कर दी, तो इस के लिए मैं क्या कहूं। उसी तरह से ऐप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ, ग्रान्ट्स सब मंजूर हो गये तो हो सकता है कि यह सरकार फिर नवम्बर, दिसम्बर तक लगान छोड़ने के लिये आवश्यक विधेयक को पास करने के लिये इस सदन को न बुलाये। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी बोलें तो इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वे सवा ६ एकड़ तक आधा लगान माफ करने वाला विधेयक इस सत्र में हमारे सामने ला रहे हैं। केवल इस बजट के सिलसिले में यह कह देना कि हम ने आधा माफ कर दिया या चौथाई माफ कर दिया, ये ये सुविधायें दे दीं इस से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से तो आप एक तरह से किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह असेम्बली इस सत्र में तब तक न उठे जब तक कि किसानों की लगान में छूट वाला विधेयक हम पारित न कर लें। और इसी एलान से नीयत साफ हो जायगी साथ ही प्रदेश की जनता समझ जायगी कि उस के लिये कितना दर्द हममें है। हमसे कहा जाता है कि तुमने ये ये खराबियां कीं और तुम निकम्मे थे। ठीक है हम निकम्मे थे। शतरंज के खेल में पैदल होता है वह मरते मराते कभी हाथी बन जाता है, तो यहां का पैदल वहां हाथी बन गया और हम तब भी निकम्मे हैं। हम इतने अच्छे हैं कि सामने देखिये आज के मंत्रि मंडल में ही हमारे ही निकले हुए टुकड़ों का नम्बर एक से चार तक है, दूसरा नहीं है। हां, बीच में जनसंघ जरूर टपका हुआ है, लेकिन इस संस्था का आदि अन्त दोनों साफ है। मान्यवर, अन्त में यही कहना है कि सरकार रेवेन्यू प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाये। तहसील में बड़ी जबरदस्त दुर्व्यवस्था है, उसे दूर करे मेरी मांग है कि प्रशासनिक सेवा करने वालों को कहा जाय कि वह जिम्मेदारी से कार्य करें और चकबन्दी, पड़ताल इत्यादि के सम्बन्ध में जो क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये वह उठाने की कृपा करें। हरिजनों की आबादी को दर्ज कराना, सुओ मोटो इस काम को करना चाहिये और जो आधा लगान करने का एलान किया है इसके विधेयक को इसी सत्र में पेश करें।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन और ग्रान्ट का जबरदस्त विरोध करता हूं।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुगुणा जी ने कांग्रेस के सिद्धान्त और उन के प्रस्ताव की बड़ी-बड़ी बातें कहीं और सरकार की आलोचना की। विकल जी को अविवेकपूर्ण बताया। मैं नहीं समझ सकता कि उनके यह कहने पर उनकी गरिमा कहां तक बढ़ती है। मैं यह समझता हूं कि बहुगुणा जी ने जब से कांग्रेस ज्वाइन किया है उस समय की बात वह कह सकते हैं। मैं उससे पहले की भी बात याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के लोगों ने देहात के किसानों को फंसाने, वरगलाने और एक दूसरे में विभाजन कराने के लिए उन्होंने जो नारे लगाये वह आज के नहीं हैं, बल्कि सन् ३१ में उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि हम जमींदारी खत्म करेंगे, भूमि व्यवस्था कानून लायेंगे, जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतता है और हम किसान का लगान आधा करेंगे। सन् ३७ में भी वह उस प्रस्ताव को पूरा नहीं कर सके जब सत्ता में आये और सन् ४७ में भी पास नहीं कर सके। जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का इनका १९५१ में कानून आया। उस समय भी प्रदेश के किसान आशा लगाये बैठे थे कि हमारा लगान आधा होगा, बीच का ठेकेदार चला गया। पन्त जी ने ऐलान किया कि हम लगान आधा जरूर करेंगे लेकिन १० गुना लेंगे। १० गुना किस बात का? उसके बाद भी विश्वासघात इन्होंने ही किया था, वह यह कि उन १० गुने वालों पर भी चवन्नी बढ़ायी पाकिस्तान के हमले के बाद। तो आज जनता में यह कहने के ये हकदार नहीं हैं कि हम किसानों के लिए सोचते थे। उनका दृष्टिकोण हमेशा रहा कि चूंकि किसान पढ़ा-लिखा कम है, वह तो मेंड़ पर लड़ने वाला है उसको हमेशा अंधेरे में ही रखो। तो मैं तो सन् ३१ की बात कह रहा हूं जब कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनके नेताओं ने एक डिवाइड ऐन्ड रूल की पालिसी बनाकर किसान और जमींदारों में भेद डाला ताकि अपनी सत्ता कायम रहे। उसके बाद जो इनके नारे लगे उन के विषय में मैं जाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, १९५७ में जब इसी अनुदान पर मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था, वह जन संघ का प्रस्ताव था, मैंने कहा था कि किसानों का लगान आधा किया जाय। उस समय इन लोगों ने कहा था कि पैसा कहां से आयेगा, सरकार कैसे चलेगी। मैंने टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया था, और यह साबित किया था कि उत्तर प्रदेश में लगान की दरें और प्रदेशों से दुगनी हैं। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बंगाल सभी के मुकाबिले यहां लगान ज्यादा है। उस समय मेरे कहने से उस सरकार पर जूं तक नहीं रेंगी थी। उस समय हम अल्पमत में थे और कांग्रेस वाले समझते थे कि उनको हटाने वाला कौन है। उस वक्त उन को किसान याद नहीं आता था। आज सन् १९६७ के इलेक्शन के बाद उनको किसान याद आने लगा। सन् ६७ के चुनाव ने उन को इस योग्य कर दिया कि आज वे किसान की बात करने लगे। जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, इन्होंने चवन्नी लगान बढ़ाया था और यह कहा था कि जब तक देश पर संकट है, तब तक यह बढ़ा हुआ लगान लिया जायेगा, संकट ३ महीने बाद खत्म हो गया, मगर यह लोग ४ साल तक उस लगान को वसूल करते रहे और इनको किसान याद नहीं आया। आज यह किसान की दुहाई देते हैं। चवन्नी लगान माफ करने के साथ-साथ अगर दूसरे लगानों को माफ करने की वह अपने समय में घोषणा करते तो हम समझते कि इनके दिलों में किसान के लिए हमदर्दी है। इनकी नीयत पर हमें शक था और वह शक बराबर चलता रहा। जब यह सरकार बनी तो इस सरकार ने सबसे पहले भूमि-भवन कर माफ किया। उसके बाद ही यह एलान किया कि हम किसान का लगान माफ करने की सोच रहे हैं और विचार करने के बाद इस सरकार ने निश्चय किया किसानों से लगान नहीं लेंगे और उसका एलान माननीय मुख्य मन्त्री ने यहां किया कि इसको धीरे–धीरे समाप्त करेंगे।

कल माननीय माल मन्त्री जी ने अपनी घोषणा भी की और उस घोषणा में जो कमी रह गयी थी उसको उन्होंने आज पूरा कर दिया। इन लोगों को इसका स्वागत करना चाहिये था, मगर आज तो उनको किसानों का दुखदर्द नजर आ रहा है। आज से और कमजोर स्थिति में अगर यह आ जायें तो शायद इनको किसान और ज्यादा याद आने लगेगा। ये लोग किसानों के साथ सन् १९२१ से खेल रहे हैं और १९३१ में उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, मगर क्या किया? ये तो यही कहते रहे कि किसान आज ज्यादा खुशहाल है। इन्होंने किसान के साथ कोई उपकार नहीं किया। उन्होंने तो उसकी आबपाशी को तिगुना बढ़ाय अपने समय में और उस पर सरचार्ज भी वसूल करने की कोशिश की थी। आज प्रदेश का किसान यह राहत महसूस करता है और मुझे आज बड़ी खुशी इसलिए है कि जिस काम को मैं चाहता था सन् ५१ से वह काम इस सरकार ने आकर सफल किया है और मैं समझता हूं कि यह किसान और मजदूर और प्रदेश की आठ करोड़ जनता का पूर्णतया प्रतिनिधित्व कर रही है। जिसने राज्य कर्मचारियों को दस करोड़ रुपया दिया, जिसने शहरों के गरीब किरायेदारों और मकान मालिकों को रियायत दी, जिसने किसानों के लिए सोचा और उनका लगान माफ किया, यह सरकार वह सरकार है जो प्रदेश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है।

मैं नहीं समझता कि जन संघ के बारे में उन्हें क्यों ऐंठ होती है। मेरे खयाल में शायद उसका कारण यह है कि ये समझते हैं कि जन संघ का सहयोग अगर इस सरकार को नहीं हुआ तो यह सरकार चल नहीं सकती। इसलिए उनकी नीति यह है कि इनमें तोड़ फोड़ डालें। हमारे पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट भाइयों से कहते हैं कि तुम्हारा इनका तालमेल क्या और अपनी दुहाई बहुगुणा जी बहुत देते हैं कि हम भीतर भीतर पार्टी में लड़ते हैं और हमारी बात

[श्री मलिकान सिंह]

बाहर नहीं जाती और इन्होंने विकल जी को विभीषण बताया। विभीषण बहुत पुराने समय में पैदा होते रहे हैं। कांग्रेस में भी हैं और पहिले भी थे। लेकिन वे भय की वजह से निकल नहीं पा रहे थे। उनको तो इस बात का गर्व होना चाहिये था और मुझे तो जन संघ पर गर्व है कि जन संघ की सरकार रोने पीटने के लिए इनके पास नहीं आयी और अपने में चाहे जितने भी विचार हों। लेकिन इनको तो आजकल रात दिन जन संघ और जन संघ ही दिखायी दे रहा है। नाथूराम गोडसे से जन संघ का कोई सम्बन्ध नहीं था और उस समय जन संघ था भी नहीं केवल आर० एस० एस० था। उस समय उन्होंने आर० एस० एस० पर प्रतिबन्ध लगा दिया, जैसे नहुष नाम का तपस्वी तप कर रहा था केवल इसलिए कि मोक्ष मिले। इन्द्र को अपना सिंहासन जाने का डर हुआ। इनकी निगाह में इस लिए यह आया था कि इस तरह की विचारधारा वाले लोग अगर कहीं राजनैतिक क्षेत्र में आ गये तो क्या होगा। इनको आज से वह हौवा नहीं दिखायी दे रहा है। इन्होंने गांधी जी की हत्या से ही वह हौवा बनाया है और जन संघ को दबाने की कोशिश की। इतिहास इन लोगों को नहीं बख्शेगा। मान्यवर, सन् ५१ से जब जन संघ बना है तब से वह बराबर प्रगति पर है। प्रथम बार विधान सभा में जन संघ की संख्या २ थी, बाद में १७ हुई, उसके बाद ४९ हुई और आज ९८ के रूप में यहां पर जन संघ के सदस्य बैठे हुये हैं। केवल इनको डर यह है कि जन संघ एक बढ़ता हुआ नवयुवक है और ऐसा न हो कि यह एक दल के रूप में यहां छा जाय। इसलिए इनको यह हौवा दिखायी दे रहा है।

माननीय बहुगुणा जी ने यह कहा कि पड़तालें नहीं हो रही हैं। मान्यवर, मैं जहां तक बता सकता हूं पड़ताल के लिए आदेश दिये जा रहे हैं। यह कमी इस सरकार की नहीं है, यह कांग्रेस सरकार की कमी रही है। जहां तक चक बन्दी का सवाल है उस के बारे में इसी सदन में चकबन्दी और भ्रष्टाचार के बारे में बराबर गूंज होती रही है। लेकिन उस की सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार ने तीन महीनों में ही कई सी० ओज० और ए० सी० ओज० बरखास्त किये हैं जिनके खिलाफ कैरेक्टर सम्बन्धी रिपोर्ट थी। यह सरकार की प्रगति का सूचक है और भ्रष्टाचार को दूर करने का जो प्रयास इस सरकार ने किया है यह सराहनीय बात है। यह हो सकता है कि उसमें कुछ गलत भी बरखास्त हुये हों लेकिन यह भावना इधर से प्रतिपादित रही कि कोई गलत आदमी चकबन्दी में न रहने पाये और किसानों के लेखे सही किये जायें और उनको राहत दी जाय। इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव दूंगा कि चकबन्दी में जो ५ प्रतिशत जमीन की बात थी वह सार्वजनिक हित के लिए कम रह गयी है जैसा कि श्री फूल सिंह जी ने भी उदाहरण दिया है कि फसल और पेड़ ऐसे लगाये जायं कि जिन से चारा मिले और फसल की रक्षा उनसे हो। ऊसर में तो पेड़ नहीं लगते इसलिए गांव के पड़ोस में जो अच्छी जमीन हो वह चरगाह के लिए, स्कूलों के लिए या रास्तों की दृष्टि से जो चकबन्दी विभाग ने ३ प्रतिशत रखा है, वह ४ या ५ प्रतिशत ही रहना चाहिये।

इसके अलावा माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि हम लोग ३ मास की बात तो देखते नहीं बल्कि २० साल की बात देखने लगे हैं। लेकिन अगर उन्होंने २० साल में कोई भी कदम आगे बढ़ाया होता तो मैं मानता कि यह सरकार वास्तव में गरीबों और मजदूरों का भला चाहने वाली है और प्रदेश की जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है लेकिन यह तो पूंजीपतियों की सरकार है, यह ब्लैकमार्केटियर्स की सरकार है, जो भ्रष्ट अफसर हैं उनकी यह सरकार है और उन्हीं का उसने २० साल तक पोषण किया है। आज जब भ्रष्टाचार को दूर करने का सवाल आया और जब भ्रष्टाचारी अफसरों पर कानूनी कार्यवाही हो रही है और ब्लैक मार्केटियर्स गिरफ्तार हो रहे हैं तो यह उनकी वकालत के लिए खड़े हुये हैं क्योंकि इन्हीं ब्लैक-मार्केटियर्स के पैसे से यह मेम्बर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं। अब यह गांधी जी के चेले हर कुकर्म के लिए तैयार हो गये हैं जो कोई सभ्यता की बात न होगी। यह आज कुछ भी करें लेकिन इतिहास इनको बख्शेगा नहीं। इसलिए अब मैं अपना भाषण समाप्त कर के यह चाहूंगा कि इनका किसी तरह से आगे दिमाग दुरुस्त रहे।

*श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया इस के लिए मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं।

माननीय राजस्व मन्त्री जी से हमें बड़ी बड़ी आशायें थीं और उन के अनुसार उन्होंने पहला काम यह किया कि इस सूबे के छोटे किसानों का लगान आधा किया। इस के लिए हम उन के बहुत आभारी हैं लेकिन उन्होंने प्रदेश के उन अन्य करोड़ों किसानों के साथ कोई इन्साफ नहीं किया जिस की कि उन से बड़ी बड़ी आशायें थीं। सदन के बाहर जो किसान हैं, जो निरीह किसान जनता है और जिन के पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। १९ सूत्री कार्यक्रम के अनुसार उन के साथ न्याय नहीं किया गया। आप जो कहते हैं कि २० साल में इधर से कुछ नहीं किया गया तो यह सब बातें हमें कबूल करना चाहिये, इस को इतिहास बतायेगा कि हम ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे इतिहासकार ही इस का लेखा-जोखा बाद में करते हैं; हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन इतना मैं बताये देता हूं कि जो कुछ आज बंगाल में नक्सलबाड़ी में हो रहा है वही इतिहास सारे देश में रिपीट होगा अगर वक्त रहते भूमिहीनों के साथ न्याय नहीं किया गया। हमें आशा थी कि २० साल में जो इधर से नहीं किया जा सका वह उधर से किया जायगा, उन का एलान था कि हम करेंगे लेकिन पूंजीवाद बढ़ता गया और जमीन जिस के पास अधिक थी वह और बढ़ती गयी और वह करोड़ों गरीब खेतिहर किसान जो गरीबी में तंग थे वैसे ही चले आ रहे हैं। अगर यह व्यवस्था न की गयी तो उन का खून भड़केगा और देश की धरती पर क्रान्ति होगी। गांधी जी ने जो यहां अहिंसा की एक परिपाटी छोड़ी है उस पर चलकर यदि यहां के पूंजीपति टाटा और बिरला खून खराबी को नहीं रोकना चाहते और बड़े बड़े जमींदार और पूंजीपति जमीनों पर से अपना कब्जा नहीं हटाते तो देश में क्रान्ति को कोई रोक नहीं सकेगा। उस क्रान्ति को जारर या चांगकाईशेक कोई नहीं रोक सके तो उस को हम आप भी नहीं रोक सकते। सदन के बाहर जलसों में किसान और भूमिहीनों की बात सब करते हैं और कहते हैं कि हम अन्न का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन आप याद रखिये यह कुछ भी हम नहीं कर सकते जब तक कि आप खेत पर काम करने वालों को भूमि नहीं देते हैं। आप उस को अन्न नहीं देते हैं, धन नहीं देते हैं। वह हथियार उठायेगा। कल जब मैं हजरतगंज से गुजर रहा था तो हजारों व्यक्ति एक मसाल लेकर जा रहे थे। जिस दिन हिन्दुस्तान के किसान भी इसी प्रकार से एक मसाल लेकर चलेंगे, उस दिन हिन्दुस्तान का नक्शा ही बदल जायगा। न यहां पर अन्न की कमी रहेगी, न यहां पर लोहे की कमी रह जायगी और न सोने की कमी रह जायगी। हमें गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर चलना है। हम ने माना कि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ पार्टियों के झंडे बदले लेकिन यह केवल इसलिए हुआ कि हम गांधी जी के बताये हुये रास्ते को नहीं समझे। अगर हम समझ लेते तो हमें कोई बदल नहीं सकता था। हम कुछ और बातों को सोचने लगे।

सन् १९४८ में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की गयी थी लेकिन आज तक उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज हमें वोट मिले या न मिले, चन्दा मिले या न मिले, कांग्रेस का कर्त्तव्य था कि वह गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चलती। आज बैंकों के पीछे सब बुराइयों की जड़ है। आज हरिजनों की प्रगति रोक दी जाती है, मजदूरों की प्रगति रोक दी जाती है। आप गोलियों से, मशीनगनों से रक्षा नहीं कर सकते हैं। किसान आज जाग गया है। वह ट्रेन में सफर में करता है, ट्राम में सफर करता है और बस में सफर करता है। वह सब बातों को अच्छी तरह से समझता है। वे हमारी बात करते हैं और आप की बात करते हैं। यह तो इतिहास ही बतायेगा कि हम ने क्या किया है और आप क्या करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुदयाल]—

जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है, मैं तो कहूंगा कि उस में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आप कहेंगे कि आप ने २० सालों में क्या किया। मैंने माना कि हम ने कुछ नहीं किया लेकिन इस ओर आप ने भी कुछ नहीं किया है। अगर आप क्रान्तिकारी परिवर्तन करके दिखाते तो हम मान लेते कि कुछ होने वाला है लेकिन आपने तो एक पुस्तक तक भी नहीं निकाली कि कल से राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी कुछ दिन का जिक्र है, मैं एक दिन माननीय राजस्व मन्त्री जी के कमरे में गया और उनसे कहा कि जो छोटे छोटे किसान हैं, उन की जमीनों को बड़े बड़े जमींदार छीन लेते हैं तो उन्होंने कहा कि "मैं क्या करूं"। तो जब आपका ऐसा रुख होगा तो किस प्रकार से छोटे किसान खेती कर सकेंगे ? आप कहते हैं कि हम ने कांग्रेस के शासन काल में क्या किया लेकिन हमारे सामने बहुत सी परेशानियां थीं, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। आज हमारे राजा रानी हम को दबाये जा रहे हैं। इस लिए मैंने इस ओर संकेत किया है। आज चाहे कांग्रेस वाले क्रान्ति करें या चाहे आप क्रान्ति करें, अगर आप क्रान्ति कर के गरीबी और भ्रष्टाचार को नहीं मिटाते हैं तो हम दोनों को मिटना पड़ेगा। आज सवाल यह है कि रोटी कैसे मिलेगी, गल्ला कैसे सस्ता मिलेगा। आप ने कानून बना कर हजारों एकड़ भूमि काश्तकारों को दिलायी लेकिन आज वह भी बड़े बड़े जमींदारों के पास चली गयी है। इस प्रदेश में सीलिंग हुई लेकिन वह सीलिंग की जमीन हरिजन किसानों को नहीं मिल पायी। वे हमेशा मजदूरी ही करते रहे। हमारा कर्त्तव्य है और अगर हम गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर चलते हैं तो जमीन को बांटना है। आज नक्सलबाड़ी में जो कुछ हो रहा है उस के बारे में कहा जाता है कि वहां के किसान और मजदूर चीन के इशारे पर चल रहे हैं। आप उसे परदे की ओट में लाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह अशान्ति नक्सलबाड़ी में चीन की वजह से नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जमींदार जो जमीन जोतते थे, और छोटे किसानों को जमीन नहीं मिल रही थी, उस के विरोध में आज वहां भूमिहीन उठ खड़े हुये हैं। और यहां भी यही होगा अगर आप ने हरिजन, भूमिहीनों को कोई राहत नहीं दी।

एक सदस्य—

मैं कल से, श्रीमन्, कृपापात्र बनने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं बारबार कह चुका हूं कि यह परिपाटी ठीक नहीं है कि कोई माननीय सदस्य खड़े हो कर मेरा ध्यान आकृष्ट करें। उन्हें मेरी आंख पकड़नी चाहिये, नाट दी ईयर।

*श्री गयाप्रसाद (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मुझे पहली दफा अवसर बोलने का प्राप्त हुआ इस के लिए धन्यवाद।

१ महीने से बजट पर बहस चल रही है और दो दिन से इस अनुदान पर चल रही है। जहां तक हम नये आदमियों का प्रश्न है, हमें तो विरोध पक्ष से आशा थी कि उन की बातों से हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे वह आशा तो पूरी नहीं हुई, बड़े-बड़े महानुभाव और राजनीति के कलाकार हैं। लेकिन हमारा दिमाग भ्रमित हो गया यह सुन कर कि हर वक्त एक दूसरे की बुराई। मेरा कहना है कि यह अशोभनीय है और देश के लिए सहायक भी नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न छेड़ देते हैं, कहते हैं कि आप ने ३ महीने में क्या किया। इधर से कोई कहता है कि २० साल में आप ने क्या किया तो गरम हो जाते हैं। हम ने लगान आधा किया सवा ६ एकड़ तक, आप को सन्तोष नहीं हुआ। और सन्तोष भी है। आप काश्तकारों में कहते थे कि लगान माफ हो जायगा तो आप की भूमि के राइट्स खत्म हो जायेंगे। इस फारमूले से जो हम ने आधा लगान कर दिया उस से आप की जबान बन्द हो गयी। समाजवादी पार्टियों से कहते थे कि जनसंघी लगान माफ नहीं होने देते हैं। अब जब माफ हो गया तो आप की जबान समाजवादी पार्टियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तरफ से भी बन्द हो गयी। यह तिलमिलाहट है आप को। एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे, और एक भी नहीं मार पाये। बड़ी लम्बी लम्बी बात करते हैं कि १९५६ से लगान माफ करना चाहत थे। मैं पूछना चाहता हूं कि रोकता कौन था आप को। एक सत्ताधारी सरकार आप की जब थी तब लगान माफ नहीं किया। इस सरकार ने आधा माफ किया तो बहुत नागवार गुजरा।

विरोध पक्ष वाले आश्चर्य चकित हैं कि हम सब एक साथ कैसे मिल गये। आप राजा इन्द्र की तरह विष कन्या क्यों छोड़ते हैं? आप ताज्जुब क्यों नहीं करते कि इतनी बड़ी पार्टी के होते हुए आपको क्यों जनता ने विरोधी पक्ष में बिठा दिया? सन् ५२ से आप में गिरावट होती आई है और आज आपको जनता ने इधर बिठा दिया। क्या इसमें जनसंघ का कसूर है? आप कहते थे कि कम्युनिस्ट जनसंघ के करीब नहीं आयेंगे और जनसंघ कम्युनिस्ट के करीब नहीं जायगे लेकिन आज वे एक साथ मिलकर प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं। अगर आप भुखमरी और गरीबी दूर करना चाहते हैं और अन्नाभाव को दूर करना चाहते हैं तो फिर आप कन्धे से कन्धा क्यों नहीं मिलाते? आप प्रदेश क खैरख्वाह हैं। तीन महीन हमको काम करने का मौका मिला है लेकिन आप हमको काम करने का मौका नहीं देना चाहत। आपने नहीं, जनता ने देखा कि हम क्या करना चाहते हैं आप तो जोड़ तोड़ में लग गये। आप बहकाने में लग गये। आप यह आचरण करने लगे कि लोग टूट कर इधर आयें। और किसी तरह से इस सरकार को गिरा दें। आप देखें कि समाजवादी पार्टियां इधर आई हैं। आप समाजवाद का नारा लगाते थे। फिर आप समाजवाद का काम हमको क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? आपको सत्ता से हट जाने की तिलमिलाहट है। २० वर्ष से आप सत्ता में थे और इस बार सत्ता १८ दिन में छीन ली गयी। अगर आपको तिलमिलाहट न होती तो ऐसा न करते। आप कुछ इन्तजार करते। आप तो देश में दूध और घी की नदियां बहाना चाहते थे, आपने बहाई? आपने कहा था कि बिना १० साला लिये हम लगान आधा कर देंगे। क्या आपने किया? लेकिन २० साल में यह सब आप नहीं कर सके। फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि अगर आपकी सरकार होती तो आप लगान माफ कर देते, भूमि भवन कर माफ कर देते, कर्मचारियों की तनख्वाह चौगुनी कर देते और राज काज भी चलता रहता? अभी आपका प्रायश्चित नहीं हुआ है। साल भर आप प्रायश्चित कीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजियेगा इस शासन को उलटने की और अपने कुशासन को लाने की। आप तीन महीने में ही सुधार चाहते हैं और करप्शन को दूर कर देने की बात करते हैं। इन कर्मचारियों को आपने ही नियुक्त किया था और यह भ्रष्टाचार तीन महीने में नहीं पनपा है, २० साल से पनप रहा है।

मेरा एक सुझाव यह है कि चकबन्दी में बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जितने ए० सी० ओ०, सी० ओ० हैं ये कांग्रेस क ही आदमी हैं। कानूनगो तथा लेखपाल तक कांग्रेस क आदमी ह जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब तक दूसरे जिलों में कानूनगो, ए० सी० ओ०, सी० ओ० बदल न दिय जायेंगे तब तक भ्रष्टाचार दूर न होगा।

आपने चकबन्दी की स्कीम चलायी। छोटी-छोटी, दो-दो बीघे की जोतें बना दी गयीं और जो खात थे उनके दुगुना कर दिया गया। चकबन्दी म इतनी रिश्वत चली कि कोई गांव ऐसा नहीं रह गया जिसमें रुपया न चला हो।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने लगान माफी की जो घोषणा की है उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि बुन्देलखण्ड की जमीन एक एकड़ के बजाय दो एकड़

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

मनी जायगी। वहां भी अगर सवा ६ एकड़ की ही बात लागू होती तो बुन्देलखण्ड के एक किसान को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। पिछले दिनों में हमारे जिले में बबीना में सैनिक क्षेत्र के लिए बहुत से गांव खाली कराये गये थे। सैकड़ों परिवार आज भी बे-जमीन के वहां पर हैं। माननीय राजस्व मंत्री जब वहां गये थे तो वहां के लोगों ने एक प्रार्थना-पत्र उनको दिया था और राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारा इन्तजाम करेंगे। लोग चाहते थे कि बारिश के पहले हमारा इन्तजाम हो जाय तो हम अपनी जमीन पर जा कर बस जायं। लेकिन आज तीन महीने हो गये उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजस्व मंत्री जी बुन्देलखण्ड के निवासी हैं और यह उनका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि १९५२, १९५७ और १९६२ तीन बार हमीरपुर जिला, जहां के वह निवासी हैं, वहां की जनता ने उनको आम चुनाव में हराया, तिरस्कृत किया। वे चुनाव हारे। वहां का किसान यह समझता था कि माननीय उदित नारायण शर्मा किसानों के हितों के विरोधी हैं। मान्यवर, १९६७ के आम चुनाव में कांग्रेस के नाम पर उनको टिकट मिला और झाँसी शहरी क्षेत्र से मिला। झाँसी शहर महारानी लक्ष्मीबाई का जिला है और १९६२ क चुनाव म अपन प्रिय नता खेर साहब को हरान का प्रायश्चित उसे करना था। उसने इनके मुकाबले में सारी विरोधी पार्टियों की जमानत जब्त करा क कांग्रस के नाम पर माननीय राजस्व मंत्री को वहां से विजयी बना कर भेजा।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

आज वहां की जनता अफसोस करती है माननीय उदित नारायण शर्मा की इस गद्दारी पर कि कांग्रेस को उन्होंने धोखा दिया। वह समझती थी कि माहिल का जन्म तो बुन्देलखण्ड के किसी और जिले में हुआ था, हमीरपुर तो आल्हा ऊदल का जन्म स्थान है। पर अब इस जमाने में हमीरपुर में माहिल पैदा हुए हैं। यह माननीय उदित नारायण शर्मा द्वारा विश्वासघात करने पर पता चला।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात बड़े जोर से कही जाती है। राजस्व विभाग के मंत्री जी जब १ जून को झाँसी पधारे तो जिलाधीश को फोन जाता है कि यदि हमारी दावत का इन्तजाम कहीं और न हो तो आप हमारे खाने, पीने, सम्मान, स्वागत का इन्तजाम करें। पहली जून को माननीय राजस्व मंत्री जी झाँसी पधारे। यह जिलाधीश का निमन्त्रण है जो मैं पढ़ कर सुनाता हूं—

जिलाधीश भवन,
झाँसी,
३१ मई, १९६७।

"प्रिय महोदय, माननीय श्री उदित नारायण शर्मा, राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश, के सम्मान में हमारे निवास स्थान पर आयोजित जलपान गोष्ठी में १ जून, १९६७ को सायंकाल ६.४५ बजे आप सानुरोध आमंत्रित हैं। कृपया अपनी उपस्थिति से अनुगृहीत करें।

हृदयनारायण अग्रवाल,
जिलाधीश।"

इस तरह फोन से कह कर दावत करायी जाय तो भ्रष्टाचार की क्या दशा होगी? यह सोचने की बात है। जिलाधीश के यहां कौन इन्तजाम करते ह? तहसीलदार और कानूनगो आदि की मारफत सारा इन्तजाम होता है। केवल यही नहीं कि राजस्व मंत्री जी की दावत थी बल्कि उसमें पार्टियों के सेक्रेटरीज, समस्त विधायक और प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। खाली चाय पार्टी की ही बात नहीं है। भोजन कहां हुआ? भोजन उस जगह पर हुआ है जिसके कारण सन् ६२ में माननीय खेर साहब को हार का मुंह देखना पड़ा था। माननीय खेर साहब के ऊपर

तोहमत लगाई गई थी। झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मदद करने की और उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री मेहरोत्रा जी के यहां राजस्व मंत्री का भोजन हुआ था। झांसी की जनता माननीय उदित नारायण शर्मा की गद्दारी पर रोती है और वह परेशान है। वह कहती है कि हमने १९६२ की हार के कलंक को धोने के लिये कांग्रेस को यह विजय दिलाई थी और उन्होंने वहां पहुंचकर गद्दारी की, हमको बदनाम किया है।

आज झांसी की जनता इस बात को मानती है कि इस जिले में भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली, प्रोत्साहन देने वाली यह सरकार है। कांग्रेस के रिजीम में किसी अधिकारी के यहां किसी मंत्री ने दावत स्वीकार नहीं की होगी। यह पहला मौका नहीं है बल्कि २/३ बार जाने के बाद उनके समारोह का इन्तजाम नहीं किया गया तो ३१ मई को टेलीफून पहुंचा और जिला-ईश ने इन्तजाम किया तब दावत हुई और समारोह हुआ। अगर माननीय उदित नारायण शर्मा जी को थोड़ी-बहुत भी शर्म है और अपने जिले में तीन बार हार जाने के बाद और यहां तक कि हमीरपुर की नगरपालिका की सदस्यता तक के लिए उनको नहीं चुना जा सका तो मेरा निवेदन है कि वे सदन से त्यागपत्र दे कर जन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर सदन में आयें।

मान्यवर, आज राजस्व मंत्री जी ने जो लगान की छूट की बात कही है, यह हमारी तरफ के पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि हमने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया और उस पर हम अमल करने वाले थे। उन्होंने तो सवा छः एकड़ तक आधा लगान ही माफ किया है लेकिन उसके पहले लैवी के नाम पर जैसा कि माननीय भानुप्रताप सिंह जी कहते हैं कि किसानों का १२ करोड़ रु० का नुकसान किया गया है। इनका कहना यह है कि हमने बड़े लोगों से लिया है। लेकिन हमारे यहां मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुयी है तो छोटे-छोटे मजदूर पोटलियों में गल्ला ले आते हैं। उनसे लैवी ली गई और उनको पकड़ा गया। चिपलोठा गांव के चार किसानों को शनिवार को हवालात में बन्द कर दिया गया। यह किसानों पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। किसानों को १२ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के बाद आपने आधा लगान माफ किया है। आपने बुन्देलखण्ड का कुछ ध्यान नहीं रखा है क्योंकि आप वहां के किसानों से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, इसलिए कि पिछले तीन चुनावों में उन्होंने इनको हराया है। इसलिए निवेदन है कि हुकूमत की इस कुर्सी पर बैठने के बाद आपको इस तरह की नाराजगी और द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि बुन्देलखण्ड में साढ़े बारह एकड़ छूट लगान म शामिल की जायगी। बबीना क्षेत्र के लोगों की मेरे पास दरख्वास्तें आयीं हैं। उन्होंने लिखा है कि राजस्व मंत्री जी आये थे तो उन्होंन वादा किया था कि उनका मामला शीघ्र ही निपटा दिया जायगा। उनको कोई जमीन शीघ्र देन की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। वहां बहुत-सी जमीन वन विभाग में फालतू पड़ी हुई है। माल विभाग उसको ले रहा है लेकिन पता नहीं कि लेने-देने में कितनी देर लगेगी। इसलिए यह जमीन जल्दी ट्रांसफर करके उन लोगों को बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहता था। खसरा खतौनी की नकल लेने के लिए एक-एक किसान को दस दस रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए मेहरबानी करके प्रत्येक वर्ष, यह नियम बना दीजिए कि किसान को अनिवार्य रूप से खसरा और खातौनी की नकल दे दी जाया करे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में राजस्व मंत्री द्वारा उपस्थित की गयी मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से आज तक उस पक्ष के बहुत से नेताओं के भाषण

[श्री रामदत्त]

सुनने को मिले। माननीय गेंदासिंह जी कटौती के प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं उनके भाषण को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनकी जुबान की शीरानी उनकी दलीलों में दम नहीं ला सकी। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता, तो मैं सारा लगान माफ करते हुए ढाई करोड़ रुपये की बचत करके दिखला देता। मैं गेंदासिंह जी से पूछता हूं कि वह पिछले तीन साल से कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। नयी बहू होने के नाते उनके नाज भी उठाये जाते थे। उनकी बात चलती थी। तब शक्ति में होते हुए उन्होंने ये जौहर क्यों नहीं दिखाये? फिर उन्होंने माननीय चौधरी चरणसिंह की पुरानी पुस्तक में से उद्धरण पेश करते हुए बतलाया कि उपयुक्त समय आने पर सरकार पूरा लगान भी माफ कर सकती है। आज उन्हें उपयुक्त समय नजर आ रहा है। पिछले बीस सालों में जब कांग्रेस का शासन रहा कोई साल ऐसा नहीं गया जब नये टैक्स नहीं लगाये गये हों, कोई ऐसा टैक्स नहीं था जो हर साल बढ़ाया न गया हो, इतनी बड़ी आमदनी के बावजूद उनको बीस साल के अन्दर उपयुक्त समय नजर नहीं आया। लेकिन यह संविद सरकार जिसको शासन संभाले हुए तीन महीने हुए, जरा गौर कीजिए कि किन हालात में इसके हाथ में बागडोर आयी है। आपने हमारे लिए एक दिवालिया दुकान छोड़ी थी, एक मकरूज स्टेट छोड़ी थी। उसके बावजूद आपको उस संविद सरकार की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उस ने ऐलान किया है कि वह कोई नया टैक्स नहीं लगायेगी। प्रदेश के एक तिहाई हिस्से में भुखमरी की हालत है कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। पुराने आपके लगाये हुए टैक्स माफ करती चली जा रही है। इस सब के बावजूद आपको आज उपयुक्त समय नजर आ रहा है और पिछले बीस साल के अन्दर एक साल, एक दिन भी उपयुक्त नजर नहीं आया। आज आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो जादू की छड़ी से वह सब कर देते जो पिछले बीस सालों में आप नहीं कर सके। जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की।

श्रीमन्, तीन महीने में जो हमने लगान आधा किया उस पर कहा गया कि ३ महीने में तो आदमी एवरेस्ट पर पहुंच जाता है, आपने आधा माफ किया तो क्या कमाल किया। मैं कहता हूं कि हमने तीन महीने में आधा किया किन्तु आपने तो २० साल में सवाया किया। आदमी तीन महीने में एवरेस्ट पर पहुंच जाता है लेकिन आपने तो २० साल में प्रदेश को नर्क में पहुंचाया है। आप हमारे १९ सूत्री कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। हमने आपकी तरह मुजफ्फरनगर में, चुनाव में वोट ठगने के लिए प्रस्ताव पास नहीं किया, हमने चुनाव के बाद अपना यह प्रोग्राम बनाया और शुरुआत में उसका ५० फीसदी प्रोग्राम पूरा किया, ५० फीसदी पर पूरी तरह से अमल किया। मैं विश्वास दिलाता हूं और प्रदेश की जनता विश्वास भी करती है कि यह लगान जो आज की परिस्थिति में आधा किया गया है, यदि इस सरकार को थोड़ा और अवसर मिला, एक साल का भी अवसर मिला तो पूरा लगान माफ करके रहेगी।

एक सदस्य—

एक साल की ही क्यों बात आप करते हैं?

श्री रामदत्त—

मैं आपको बताता हूं कि हमें कुर्सियों से कोई चिपक नहीं है, आप हमें हमेशा कुर्सियां छिन जाने की धमकी क्यों दिया करते हैं? हम ऐसी भभकियों से डरा नहीं करते। कुर्सी रहे या जाय, लेकिन हम जिन इरादों को लेकर आये हैं, हमें जितना भी समय मिलेगा हम अपने इरादों की पूर्ति करते चले जायेंगे, जनता का हित करते चले जायेंगे। मैंने माननीय चतुर्भुज शर्मा जी का भाषण सुना, उन्होंने अपनी चारों भुजायें घुमा घुमा कर कहा कि लगान तो आधा माफ किया लेकिन भूमि भवन कर पूरा माफ कर कहा—यह तो पूंजीपतियों की हिमायत है। चतुर्भुज शर्मा जी जरा अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें, अपने बनाये कानूनों पर नजर डाल कर देखें, जिसमें यह है कि "भूमि भवन कर उस किरायेदार से वसूल किया जायगा जिसके पास न भूमि

है न भवन"। हमने उसे माफ कर दिया तो आपको बड़ा दर्द होता है। भूमि-भवन कर किरायेदार से लिया जाता था। यह कानून में व्यवस्था है कि वह किरायेदार से वसूल किया जा सकता है। चतुर्भुज शर्मा ने एक दलील और दी, बड़ी आहें भरते रहे कि सवा छः एकड़ तक का लगान पूरा माफ कर दिया जाता तो बेचारा किसान बीज खरीद लेता, बैल और खाद खरीद लेता उस पैसे से। सवा छः एकड़ का लगान ज्यादा से ज्यादा ५० रुपया होता है, तो वह ५० रुपये में बैल खरीदेगा? वह मंत्री रह चुके हैं, तिस पर भी ऐसी थोथी दलील दिया करते हैं। जो लोग अक्ल का ठेका लिये फिरते हैं उनकी अक्ल का यह नमूना है। इस सरकार ने तीन मास के अल्पकाल में वह काम करके दिखाया है जो आप २० सालों में भी नहीं कर पाए, हम ऐसा करेंगे ऐसी कल्पना भी आपने नहीं की थी। जिसको देखकर आपके दिलों में बौखलाहट हो रही है किन्तु आपको तो इसको धन्यवाद देना चाहिए था। जाहिर है कि आपको इनफीरियोरिटी काम्प्लेक्स की वजह से झुंझलाहट हो रही है वरना आपको अपने निकम्मेपन पर हया आती।

श्रीमन्, अभी इसके सिवा कांग्रेस के कारनामे और भी हैं जो रौशन नहीं हैं। नई सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस प्रदेश के लोगों की जानें बचा लीं। मैदानी इलाके में और पहाड़ी इलाके में कांग्रेस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया था किन्तु मेरे जिले में यानी नैनीताल के तराई-भावर के इलाके में अब भी आपकी जमींदारी कायम है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, तीन मिनट का समय और चाहूंगा। इसलिए वह खत्म नहीं की गयी कि चूंकि जो चन्द्रभानु गुप्त जिनके राज में चन्द्र और भानु अर्थात् चांद और सूरज दोनों गुप्त या गायब थे अर्थात् अंधेरा ही अंधेरा था, जनता को फरेब दिये जाते थे। मेरे क्षेत्र में हर चुनाव के मौके पर इश्तहार बांटे जाते थे कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो तुम लोगों को भूमिधर बना दिया जायगा और चुनाव खत्म होते ही यह कहा जाता था कि अगर तुमको अधिकार दिया गया तो तुम जमीन को बेच लोगे। हमको फ्राड कहा गया लेकिन इससे कोई फ्राड और बड़ा हो नहीं सकता जो आपने किया। चुनाव में वादे करके चुनाव के बाद बदल जाना, तीन तीन बार यह हुंडी भुनाई गई।

इसी तरह से बेदखली का मामला है। १५ हजार भूमिहीन किसान जो शरणार्थी के रूप में आंसू और खून का दरिया पार करके पाकिस्तान से आये थे और अपना पसीना बहा कर वहां की जमीन में सुनहरी फसलें उगा रहे थे उनको बेदखल किया जा रहा था। हर चुनाव के मौके पर आश्वासन दिये जाते थे कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो हम तुमको जमीन दिलायेंगे। यह मैं यूंही नहीं कह रहा हूं। रेवेन्यू विभाग के सेक्रेटेरियट के रेकर्ड में देखा जा सकता है कि हर इलेक्शन के तीन महीने पहले बेदखलियों के स्टे आर्डर (stay order) जारी कराये गये हैं। इससे बड़ा फ्राड और क्या हो सकता है? मैं इस सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इन १५ हजार भूमिहीन किसानों को धरती पर बसा दिया और धरती पर अधिकार दे दिया।

श्रीमन्, अब मैं कुछ सुझाव रेवेन्यू प्रशासन के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। कमिश्नर का पद एक पोस्ट आफिस के समान है और वह हर डिवीजन में कलेक्टरों की और सरकार की चिट्ठियां इधर से उधर भेज देता है। आप कहेंगे कि वह कलेक्टर की अपील सुनता है। लेकिन वह भी बेकार है। पहले, चुनाव की अपीलों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल होते थे लेकिन अब हटा दिये गये हैं और सीधे हाई कोर्ट में अपील होती है। इसी तरह से कलेक्टर से सीधे हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। इसलिए कमिश्नर का पद व्यर्थ है, फिजूलखर्ची है अय्याशी है और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। इसी तरीके से बोर्ड आफ रेवेन्यू की जुडीशियल शाखा है। यह एक बड़ा कबूतरखाना है। उसे समाप्त किया जाना चाहिए। बोर्ड आफ रेवेन्यू के सेक्शन ८ और सेक्शन ११ जो तराई खास और कालोनाइजेशन की शाखा है उ को खत्म करके अगर तराई के किसानों को भूमिधरी राइट्स दे दिये जायं तो २ करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में आपको साल में मिल सकता है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

कम्युनिस्ट पार्टी के नये नेता माननीय भीखालाल जी और पुराने नेता और नये मंत्रिमण्डल के मंत्री श्री झारखण्डे राय जी, सोशलिस्ट पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों, पी० एस० पी० के भाई रामदत्त जी का और जनसंघ क कुछ भाइयों के भाषण मैंने सुने। जहां तक जनसंघ की बात है मैं उसको प्रतिक्रियावाद का प्रतीक मानता हूं लिहाजा उनकी बातों का जवाब देना मुन सिब नहीं समझता हूं। माननीय भीखालाल जी का भाषण सुनकर मुझे निराशा हुई कि कांग्रेस ने २० साल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे खुशी हुई उन्होंने यह कहा कि जो ५ साल में करना चाहते हो वह क्यों न कर देते और ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाकर उसको क्यों नहीं पूरा कर देते ? उनकी और माननीय झारखण्डे राय जी के भाषणों को सुनकर मुझे एक शेर याद आ गया :—

"ऐ चमनवालों चमन में यों गुजारा चाहिए,
बागबां भी खुश रहे और खुश रहे सैयाद भी।"

यानी गवर्नमेंट की भी बात रह जाय और उनकी पार्टी का जो आदेश है वह भी रह जाय। श्रीमन्, बार बार एक ही बात कही जाती है कि आपने २० साल में क्या किया और क्या नहीं किया। मान्यवर, हर अक्लमन्द आदमी जब चीजों का विश्लेषण करता है तो वह देखता है कि जितनी बातें हुईं उनमें कितनी सही हुईं।

हमारा कभी यह दावा नहीं है कि हमने २० साल में अच्छे काम किये लेकिन भीखालाल जी यह बात मानने पड़ेगी कि १९१९ के बाद १९६७ तक हिन्दुस्तान का इतिहास जो है वह मान्यवर, सारा कांग्रेस का इतिहास है और किसी का इतिहास नहीं है। आपने मान्यवर, यह बात कही कि हमने २० साल तक क्या किया। मैं इस की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। जो आज आप के मुख्य मन्त्री हैं, जो आपकी ९ पार्टियों के लीडर हैं वह हमारी सरकार के रेवेन्यू मन्त्री थे और ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। जब हमारे प्रदेश में जमींदारी अबालिशन हुआ तो उस जमींदारी अबालिशन कमेटी के वह एक बरिष्ट मेम्बरों में से थे। उन्होंने एक बार नहीं २० बार इस बात को इस सदन में कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो टेनेंसी ला है और जो हमने लैंड रिफर्म्स किये हैं वह हिन्दुस्तान में ही सब से ज्यादा क्रान्तिकारी नहीं है बल्कि उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि दुनिया की कम्युनिस्ट कन्ट्रीज से ज्यादा वह हमारा कानून क्रान्तिकारी है। आज जो आप के संयुक्त दल के मुख्य मन्त्री हैं उनका यह कहना है। जब उनका यह सर्टिफिकेट मौजूद है तो इस से ज्यादा और मैं क्या आप की सेवा में सर्टिफिकेट पेश कर सकता हूं। लिहाजा आपने यह जो कहा कि आपने क्या किया तो जो हिन्दुस्तान में हुआ है वह कम्युनिस्ट देशों से ज्याद हुआ है।

मैं कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हूं और हम को २१ साल के बाद इधर बैठने का मौका मिला है तो यह हो सकता है कि हमारा दिमाग कुछ प्रिजडिस हो गया हो लेकिन आपके कम्युनिस्ट लीडर आप के बारे में क्या कहते हैं यह तो आप देखिये। जन संघ के लिए कहा जाता है कि वह सरकारी यन्त्र को इस्तेमाल करके अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हो रही है इस बारे में डांगे जी और जेड० ए० अहमद क्या कहते हैं इस पर आप सोचें। मैं हर एक का कोटेशन नहीं देना चाहता हूं लेकिन एस० एस० पी० के राज नारायण जी क्या कहते हैं ? उनका आज ही वक्तव्य निकला है। वह कहते हैं कि अगर १९ सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हुआ तो वह अनिश्चित काल के लिए उपवास करने वाले हैं। मसानी साहब और भानु प्रताप सिंह जी ने जो कहा है वह भी एक अजीबो गरीब बात है। वह भी आप की पार्टी के एक यूनिट हैं। इन पार्टियों के लीडरों ने अलग अलग बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कही है। कोई मेम्बर पार्टी का बचा नहीं है। जन संघ को भी मैं इस में शामिल करूं तो बताऊं कि झांसी में नाना साहब जो वहां पर प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जन संघ ने बुन्देलखण्ड में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर यू० पी० की सरकार ने बुन्देलखण्ड में कुछ नहीं किया तो हम को सत्याग्रह करना पड़ेगा। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि आप की प्रोक्योरमेंट स्कीम के अन्दर जो ज्यादती हुई है उसके लिए हमको मौका दिया जाय कि हम उस के खिलाफ आवाज उठायें। पीताम्बर जी उसके सबसे बड़े नेता हैं। उन दोनों ने इस बात को बहुत गलत माना है लेकिन वह इस गवर्नमेंट को एक मौका देना चाहते हैं। यह हमारी बात नहीं है जो आप लोग कहते हैं इस हाउस के बाहर उन बातों पर ही आप ध्यान दें कि आप की बातों से उनको ही सन्तोष नहीं है।

मान्यवर, यहां पर जिस समय लेपिटस्ट बोलते हैं तो वे भी बड़ी तारीफ करते हैं और बहुत प्रगति इसमें मानते हैं। यह वही बात कहते हैं कि—

"कुछ मजबूरन, कुछ मसलहतन, कातिल को मसीहा कहते हैं।"

यह इन कुर्सी पर बैठने का ही असर है कि वह इन से कुछ का कुछ कहला देती हैं। झारखंडे राय जी हमारे पुराने साथी हैं। बहुत दिनों से इस हाउस के अन्दर हैं। मान्यवर, भीखालाल जी और झारखंडे राय जी से कहना चाहता हूं कि उनकी वह बात मुझे याद है जब वह रात-दिन यहां पर रक्तपूर्ण क्रान्ति की बात कहा करते थे। आज सरकार में शामिल होने के बाद उनका जोश ठंडा हो गया है। मैं अपने मित्र प्रताप सिंह जी और कम्युनिस्ट भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं आपकी इन हरकतों को यहां हाउस में देखता हूं तो मुझे जर्मनी नेशनलिस्ट पार्टी की मूर्खतापूर्ण नीतियां याद आ जाती हैं कि जब उन की गलत नीतियों ने जर्मनी में हिटलर को पैदा किया और नाजी के हाथ में सत्ता आयी। मैं आपको चार्ज नहीं करता, भले ही आप अनकांशसली यह करते हों, लेकिन प्रताप सिंह जी, आपका जो समर्थन है यह हिन्दुस्तान में नाजिज्म और फासिज्म को ताकत पहुंचा रहा है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रताप सिंह)—

आप के बनारसीदास जी के गठबंधन से तो अच्छा है।

श्री नवलकिशोर—

प्रताप सिंह जी, आप को तो एक ही बात नजर आती है। आप ने इस मंत्रिमण्डल में शामिल होकर समाजवाद का जनाजा उठाया है। आप बनारसी दास जी की बात कहते हैं। कहा जाता है कि हमने १९ प्वाइन्ट प्रोग्राम जो दिया है उस को हम किश्तों में इम्प्लीमेंट करेंगे। मान्यवर, इस से बड़ा फैन्टैस्टिक इन्टरप्रिटेशन कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर दे नहीं सकता। जो गवर्नर का एड्रेस होता है उस का दायरा सीमित होता है और उस में रहता है कि एक साल के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम होगा। उस के अन्दर जिन्दगी भर का ठेका नहीं होता। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने दो बातें कहीं। जैसे ही सरकार बनी उन्होंने बताया कि यह जो अमेंडमेंट है यह मैन्डेटरी है। मैं नहीं जानता कि यह इन्टरप्रिटेशन कहां से आ गया कि हाउस के अन्दर कमिटमेंट हो, हाउस के कमिटमेंट पर गवर्नमेंट चेंज हो जाय और वह चीज भी उन के लिए मैन्डेटरी न हो। यह १९ प्वाइन्ट का प्रोग्राम भी तफरीहबाजी है। जिस मां ने उन को जीवन दिया, पैदा किया, परवरिश की, उस की कोख पर लात मार कर, विश्वासघात कर के वह आप के साथ शामिल हो जायेंगे इस का आप को भी विश्वास नहीं था इसीलिए आप ने १९ प्वाइन्ट का प्रोग्राम बना कर दे दिया। हमें देखना है कि वह अब कहां तक पूरा होता है।

विकल साहब ने कहा कि इस गवर्नमेंट में आने के बाद उनमें कुछ जिम्मेदारी बढ़ी है। तब्दीली तो हुई नहीं। पहले भी वह सत्तारूढ़ दल के साथ थे और आज भी वह सत्तारूढ़ दल के

[श्री नवल किशोर—]

साथ हैं। एक बात अवश्य हुई। जब तक वह कांग्रेस में थे, हम उनको मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं कर पाये, लेकिन आज चौधरी साहब की मेहरबानी से वह मंत्रिमण्डल में शामिल हो गये हैं। तो शायद मन्त्री बनने के बाद ही जिम्मेदारी आती है, ऐसी बुद्धि उन की है। लेकिन मुझे खुशी है, बुद्धि जब भी आयी, आयी तो।

माननीय झारखंडे राय जी बहुत क्रान्ति की बात किया करते थे। श्री भीखालाल जी ने तीन बातें बतायीं। उन्होंने कहा कि आपने वायदा किया था कि देश आजाद होने के बाद लगान माफ कर दिया जायगा। श्रीमन्, यह बात सही है कि हम उस लगान को माफ नहीं कर पाये, लेकिन मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। कमलापति जी ने बता दिया कि चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस की नीतियों के मुख्य निर्माताओं में से एक थे खास कर भूमि के सम्बन्ध में। उनका हमेशा से मत यह था कि हम को भूमि का लगान माफ नहीं करना चाहिये। मुझे खुशी है कि आज आपके बीच में वह अपनी बात का प्रायश्चित कर पा रहे हैं। भीखालाल जी स्टेट ट्रेडिंग की बात किया करते थे। इम्प्लाईज के लिए आप लोगों ने सात दिन का उपवास किया था। और आज दुहाई देते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। साधन सीमित हैं, यह बात सही है। वह साधन हमारे पास भी सीमित थे। हमारे दोस्त कहते हैं और जोशी जी ने कहा कि हमने एक दिवालिया स्टेट छोड़ा था आपने उसको साल्वेंट बना दिया। कहां से बना दिया? सब चीजें तो आप छोड़ जा रहे हैं। यह साबित करता है कि हमने काफी सरप्लस पैसा छोड़ा था जिसको अय्याशी में आप लगा रहे हैं।

मैं दो एक बातें और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय माल मन्त्री जी ने कल घोषणा की कि दो रुपये से ऊपर का जो लगान है सवा ६ एकड़ तक का वह माफ कर दिया जायगा। इसके पहले भी अखबारों में मैं पढ़ा करता था कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कम्युनिस्ट और एस० एस० पी० के दोस्तों को बधाई देता हूं इस बात की कि आप ने आधा लगान माफ करा दिया। आपने एक कदम उठाया और इस का क्रेडिट आप को जाता है। और माल मन्त्री कितने कन्फ्यूज्ड हैं, यह इनके जवाब में ही लगता है कि सिर्फ २४ घंटे के अन्दर दो-दो चार चार इन्टरप्रिटेशन किये गये और अखबारों के भी अन्दर आ गया कि आपने आधा लगान माफ कर दिया। मेरा तो कहना यह है कि यह तो फोर्स्ड चेक है। वरना बहुगुणा जी ने जो चुनौती दी है उसे एक्जेक्ट कीजिये कि यह हाउस उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि यह बिल पास न होगा। वरना माननीय भीखा लाल जी, आप धोखे में रह रहे हैं, फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। अगर यह हाउस उठ गया और बदकिस्मती से यह सरकार बनी रही तो मान्यवर, अगले ६ महीने तक यह असेम्बली होने वाली नहीं है। इसलिए इसी सेशन के अन्दर आप इस विधेयक को पास करके उठें।

तस्वीर क्या है? उसकी तस्वीर यह है कि आप लगान माफ कर रहे हैं लेकिन एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स लगा रहे हैं। नीयत यह है कि ३,६०० रु० की आमदनी के ऊपर टैक्स लगाया जायगा। जमींदारी एबालिशन के समय १० एकड़ तक अनएकोनामिक होल्डिंग मानी गयी थी, उसके बाद सवा ६ एकड़ हुई और अब चौधरी चरण सिंह जी का ख्याल है कि ३ एकड़ तक अनइकोनामिक होल्डिंग है। जैसा कि माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि हर किसान को हिसाब देने में आसानी न होगी, मुश्किल होगी, दिक्कत तलब होगी तो अच्छा यह है कि जब आप एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स लगावें तो इस चीज को भी अपने दिमाग में रखें कि कोई मिनिमम वेज फिक्स कर दें, जिस तरह से कि सीलिंग कानून में है कि १०० रुपये एकड़ की आमदनी ४० एकड़ तक की जिसकी हो। तो इस को भी आप अपने ध्यान में रखें।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि कारवां वही है, इनक्लाब वही है, खयालात वही हैं और जनता हमें पसन्द करती है। मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं, उनकी बहुत सी शक्लें हमने देखी हैं। मुझे इस बात को कहने में तकलीफ है कि इस पार्टी का कोई

एक उसूल नहीं है। सन् १९४२ में हमने देखा, जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि ये ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के एजेंट हैं, इन्डियन रिएक्शनरीज के एजेंट हैं। माननीय झारखंडे राय जी ने बड़े जोश के साथ स्पीच दी और कहा कि पिछले २० साल के अन्दर हमने यहां नरक कुंड कर दिया। हमने तो नरक कुंड कर दिया तो जनता ने हमें यहां १९८ की संख्या में भेजा और माननीय भीखा लाल जी की पार्टी के १४ सदस्य आये और पी० एस० पी० के ११ सदस्य आये। पिट्ठी न पिट्ठी का शोरबा, ये तो १४ और ११ की तादाद में आये तो अपने को उत्तर प्रदेश की जनता का ठेकेदार बनते हैं और जब कि हमने नरककुंड बना दिया तो जनता ने हमें १९८ की संख्या में भेजा। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आपका जो यह नापाक गठबन्धन है वह अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। जिस दिन जनता उठी और अपनी सही आवाज उठा सकी, उस दिन सही माननीय सदस्यों के हाथ में शक्ति आयेगी।

*श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि यह तो वैसी ही बात हुई "हरी गयी थी जनक नन्दिनी दसमुख द्वारा, बांधा गया वृथा रत्नाकर प्यारा"। पिछले २० सालों में कांग्रेसी निजाम ने जिन गरीब किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, उसी कांग्रेस सरकार के लोग आज इस संविद सरकार पर आरोप लगाते हैं और यह सरकार किसान विरोधी कही जाती है। मान्यवर, हमें वह दिन भी याद है जब कि अंग्रेजों का जमाना था और जबरिया गल्ला वसूली का विरोध, कांग्रेस के लोग करते थे। हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत से भाई जो इधर और उधर भी बैठे हैं उसमें शामिल थे और उन्होंने गल्ला वसूली का विरोध किया था लेकिन सन् १९४७ में जब हिन्दुस्तान में आजादी आयी, हिन्दुस्तान के किसानों ने जिस आजादी के लिए बड़ी बड़ी कुरबानियां कीं, जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को कुरबान कर दिया, अपने बच्चों से माताओं ने अपनी गोदें खाली कर दीं, उसके बाद सन् १९४८ में जब कांग्रेस का निजाम आया तो उसने उस आजादी का फायदा हिन्दुस्तान के किसानों को क्या दिया, यह आप भी मान्यवर, अच्छी तरह से जानते होंगे। मान्यवर, आपको मालूम है कि सन् ४८ में इस प्रदेश की हुकूमत ने किसानों से किस प्रकार जबरन गल्ला वसूल किया। पुलिस ने गांव गांव में जाकर किस तरह का जुल्म ढाया। इटावा जिले की घटनायें मुझे याद हैं, मैं उस समय सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता था, मुझे मालूम है कि उस कांग्रेसी हुकूमत के जुल्मी अफसरों ने किसानों से जबरन गल्ला छीन लिया था और किसानों को लाकर थाने में बन्द कर दिया करते थे। आज प्रदेश में भुखमरी की जो हालत है उसको देखते हुये, उन लोगों को राहत देने के लिए, आज किसानों से अगर गल्ला लिया जा रहा है तो इसमें मैं समझता हूं कि ज्यादती की कोई बात नहीं है। अगर ज्यादती की बात होती तो केन्द्र के खाद्य मन्त्री, श्री जगजीवन राम अपने कांग्रेसी साथियों की क्यों आलोचना करते ?

मान्यवर, माननीय माल मन्त्री की सवा छः एकड़ तक आधे लगान की माफी से मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है, मैं उनका आधे दिल से ही स्वागत करता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि वे भी इस घोषणा का आधे दिल से ही स्वागत करेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब माननीय माल मन्त्री अपना भाषण दें तो वे कम से कम २ रुपये तक लगान देने वाले काश्तकारों का लगान बिलकुल माफ करने की घोषणा करें। दो रुपये लगान देने वाले किसान की हालत कितनी नाजुक होती है। अगर सरकार इसकी घोषणा नहीं करती तो सरकार का लगान माफी का मूलभूत सिद्धान्त ही खत्म हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भारत सिंह चौहान]

मैं उस तरफ विरोध पक्ष में बैठे हुये अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि जिसमें गेंदा बाबू जैसे लोग भी हैं कि अगर उनको सवा छः एकड़ तक के किसानों का लगान माफ करना था, वे मुजफ्फरनगर के प्रस्ताव को सही मानी में कार्यान्वित करना चाहते थे, तो उन्होंने इसकी घोषणा उसी समय कर देनी चाहिये थी जब कि मन्त्रि परिषद् का गठन होने पर उन्होंने सवाया लगान माफ करने की घोषणा की थी। आपने वह घोषणा उस समय नहीं की। आपकी कथनी कुछ और थी, करनी कुछ और। आबपाशी की दरें भी कांग्रेसी जमाने में चौगुनी बढ़ गयीं। आपने तो वही किया कि खेत खायें बन्दर, और पकड़ा जाये कलन्दर। मैं मन्त्री जी का ध्यान किसानों की हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। उनसे सिंचाई का रेट १२ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जाता है किन्तु उनको उतना पानी नहीं दिया जाता जितना कि इतना रुपया देने पर मिलना चाहिय। अगर यह सरकार चाहती है कि वह कांग्रेस की तरह अलोक-प्रिय न होकर, लोक प्रिय बने तो उसे यह देखना चाहिये कि किसानों को १२ रुपये के हिसाब से पानी भी मिले, अगर पानी उतना सरकार नहीं दे पाती तो आबपाशी माफ कर देना चाहिये। सरकार अगर वक्त पर किसान को पानी नहीं दे पाती तो आबपाशी लेने का भी सरकार को अधिकार नहीं है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। चकबन्दी में आबादी की जमीनें छोड़ी गयीं थीं, उन पर जबरदस्ती गांव के सत्ताधारी लोगों ने कब्जा कर रखा है और पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मन्त्री जी को अवश्य कदम उठाना चाहिए और किसानों के लिए जमीनें छोड़नी चाहिये। मुख्य मन्त्री जी घोषणा कर चुके हैं कि जो गैर-कानूनी तौर से जमीनों पर कब्जा किये हुय हैं उन जमीनों को भूमिहीनों में बांट दिया जायगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस ओर ठोस कदम उठायें। दूसरे किसानों को खतौनी के इन्तखाब देने में जो ज्यादतियां होती हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो यह सवा छः एकड़ से नीचे की जोत पर से मालगुजारी आधा करने की घोषणा की है और कहा है कि यह आरोप दूसरे लोगों का गलत था कि हम समाजवाद नहीं लाना चाहते, यह हमने समाजवाद की तरफ कदम बढ़ाने की दिशा में काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद की तरफ चलने की एक इंच भी उन्होंने कोशिश नहीं की है। चूंकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नयी बहुरिया की तरह से ठुमुक रही थी, कुछ गहने के लिए तो राजस्व मन्त्री ने एक नथुनी पहिना दिया। यह खाली नारा नहीं था, हजारों हजारों किसानों ने कांग्रेसी सरकार के जेलखानों को भोगा है और उसके पीछे आवाज यह थी कि बिना मुनाफा खेती पर लगे न मालगुजारी! जितनी खेती से प्रतिवर्ष साल भर का खर्चा, लड़कों की पढ़ाई, बीमार पड़ने पर दवाई, घर की फेराई, नाती का न्योता देने से बचत न हो तो वह बचत नहीं मानी जा सकती और न उस पर सरकार का कोई लगान लगाने का हक है। जिस तरह से ठेका करने वालों पर, नौकरी पेंशा करने वालों पर, दूकान करने वालों पर जिनकी ३०० से अधिक आमदनी नहीं होती है तो राज्य चलाने के लिए टैक्स नहीं लिया जाता है लेकिन किसान से एक धूर खेत जोतने पर लगान अर्से से वसूल किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है और उसी के रास्ते पर यह संयुक्त समाजवादी दल की सरकार भी चल पड़ी है। सिर्फ डा० राम मनोहर लोहिया के सवा छः एकड़ के नारे पर उनके मुंह में कपड़ा ठूंसने के लिए उसने यह नारा लगाया है और समस्त किसानों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है। जिस तरह से पुराना जमींदार शादी-ब्याह में पीढ़ा के लिए लकड़ी दे देता था और उसके बहाने वह तरह तरह की बेगार लेता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था ठीक उसी तरह से यह आधा लगान करने के बहाने कुर्सी पर जमे रहने की यह नाजायज हरकत है। किसान और मजदूर कार्यकर्त्ताओं ने अर्से से इसके लिए कुरबानी की थी, उनके साथ वह जबरदस्त धोखा है जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी है जिसके नेता डा० राम मनोहर लोहिया हैं जिन्होंने सवा छः एकड़ पर लगान माफ करने के लिए कुरबानी की थी और करायी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सवा छः एकड़ की मालगुजारी माफ न करके संयुक्त विधायक दल की सरकार ने अपने वायदे को तोड़ा है और जनता के साथ विश्वासघात किया है। १९ सूत्री कार्यक्रम साल भर के अन्दर पूरा करने की है। माननीय विकल जी जब कुर्सी पर जाते हैं तब कहते हैं कि हम अब जिम्मेदारी महसूस हो रही है। विरोधी पक्ष में गैरजिम्मेदारी की बात और कुर्सी पर जाने के बाद जिम्मेदारी आयी। ऐसा ये क्यों करते हैं? जब १९ सूत्री कार्यक्रम बन रहा था तो सब बातें लड़ झगड़ कर तय हुयी थीं और जब अमल करने का सवाल आता है तो भागते हैं। लेकिन अपनी जो तनख्वाह पांच सौ थी उस को एक हजार कर लेनें में एक मिनट की चूक नहीं हुई। जिस दिन मुख्य मन्त्री के पद पर माननीय चरण सिंह बैठे तो उसी दिन महापालिका के मैदान क सामने दावत थी। मैंने विरोध किया था कि आपने इतनी बड़ी दावत क्यों ली। जब विरोध किया तो वे रुके नहीं और उस समय शर्मा जी आह भर रहे थे। इनको मिनिस्टर बना दिया है, पन्द्रह सौ कमाते हैं। यह रुपया और कहां मिलेगा? इन्हीं शर्मा जी के खिलाफ मुख्य मन्त्री के पास दो हजार शिकायतें आयीं कि इनको मिनिस्टर न बनाइये लेकिन माननीय चरण सिंह, जिन्होंने एक तरफ तो अपना नाम कमाया हुआ है उसी के पीछे कितनी गन्दगी है। जब तक पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ईमानदार हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बेईमान हो जाते हैं। शर्मा जी को, जिनको जनता पसन्द नहीं करती है, राजस्व विभाग दे दिया है। उस राजस्व विभाग का हाल यह है कि बीस साल पहिले मकान गिरने पर, जलने पर, जो दस या पन्द्रह रुपये सहायता थी, वह आज भी दी जा रही है और उसी हिसाब से इसका दुर्भिक्ष सहायता के नाम से पैसा मांगा गया है। जिसका नतीजा क्या है जो लोक-कल्याण की बातें हैं उससे ये भागते जा रहे हैं, हरिजनों को, महिलाओं को काम देते समय ये भाग रहे हैं। मालगुजारी को खत्म करने का सवाल था, अलाभकर जोतों से, तो उस से भाग रहे हैं। रोज अपने वायदों को तोड़ रहे हैं। जब तक क्रान्तिकारी पार्टियां, प्रतिक्रियावादी पार्टियों के साथ मिल जुलकर काम करती हैं, तो मतलब यह होता है कि क्रान्तिकारी पार्टियां चार कदम आगे बढ़ती हैं तो प्रतिक्रियावादी पार्टियां चार कदम पीछे होती हैं। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टियां और ये गौ और साधुओं की इज्जत करने वाली पार्टी के साथ मिल गयी हैं और उसी का नतीजा है कि गरीब और दुखिया इन्सान की तरफ से इनकी निगाहें कम हो गयी हैं और हट गयी हैं। जनता के लोग यह नहीं रह गये हैं। जनता को कोई राहत नहीं मिली है। राहत तो उस घड़ी मिलेगी जब आम जनता की हुकूमत कायम हो। आज तो हिन्दुस्तान के कांग्रेसी, जन कांग्रेसी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इनके नेता एक उमर की और एक हैसियत के निकले हुये हैं, हारे हैं, थके हैं मांदे हैं, इनको कुर्सी चाहिये। ये क्रान्तिकारी काम कर ही नहीं सकते। जहां तक जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी का सवाल है, ये लोग पुरातनवादी हैं, पुरानी संस्कृति के पोषक हैं जिन्हीं के विचारों से एकलव्य का अंगूठा काटा गया है, शम्बूक की हत्या हुई है और सीता मां को जंगल भेजा गया है, इनके रहते देश की जनता का भला कैसे होगा। इस देश का भला तभी होगा जब जनता के लोग आम जनता से पैसा लेकर राजनीति करने के लिये निकलेंगे। जैसे कांग्रेस पहले, स्वतन्त्रता से पहले काम चलाती थी उसी तरह से जो राजनैतिक पार्टी काम करेगी वही आगे बढ़ सकती है। आज, जैसे कानपुर के मिल वाले गुप्ता जी को थैली देते थे वैसे ही चौधरी चरणसिंह को भी देने के लिये तैयार हैं। डाक्टर राममनोहर लोहिया की इच्छा के बावजूद भी मैंने वी० आर० मोहन का विरोध किया जो कि सबसे बड़ा शराब का कारखानदार है। मुझे एस० एस० पी० से निकाला गया इसके लिये। मैं तो

[श्री चन्द्रबली]

अच्छा रहा क्योंकि वेश्या नाराज हो गई तो मैं पाप से बचा। डाक्टर राममनोहर लोहिया एक तरफ सीख देते हैं सिद्धान्तों की, सिद्धान्तों को तोड़ने की और दूसरी ओर शाप देते हैं ऐसा करने के लिये। वह सिद्धान्त लागू करने को भी कहते हैं, सिखाते भी हैं कि कैसे तोड़ा जायगा। मालगुजारी के सवाल पर उनके विचार सबको मालूम हैं। उसे तोड़ने का रास्ता नहीं बतलाया था लेकिन आज चरणसिंह ने आधी मालगुजारी ले ली, उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। कहा जाता है कि यह नाराज हैं, वह नाराज हैं, लेकिन कोई कितना ही ठुनके, वह समझते हैं कि निकल कर कहां जायेगा। कांग्रेस क २० साल के राज्य के बहाने आपको जिन्दा रहना है। अगर जनता ने कांग्रेस को उधर से हटाया है तो आप भी यह न समझिये कि जनता आपको भी हमेशा के लिये वहां बैठा देगी। जनता के लिये कुछ अच्छा काम कीजिये, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

एक सदस्य—

आप भी नथुनी ले लीजिये।

श्री चन्द्रबली—

मैं नथुनी लेता होता तो आपके पास बैठा रहता।

मैं चाहता हूं कि सरकार जनता की भलाई के खयाल से परिभाषा करे। ६। एकड़ अनएकोनामिक जोत की, ५ एकड़ की, ४ एकड़ की, ३ एकड़ की, जितनी आप मुनासिब समझें उतनी की कीजिये, मगर कीजिये तो। आप साफ कहिये कि इतनी अलाभकारी जोत हैं और इनकी मालगुजारी हम माफ करना चाहते हैं। जैसे कारखानेदार से, दूकानदार से, नौकरपेशा से जब तक उसे आमदनी नहीं होगी कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है, वैसे ही आप उस किसान से क्यों टैक्स लेते हैं जिसकी जोत अलाभकर हैं? है कोई आपका सिद्धान्त? मैं उदित नारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपना बयान बदलें और परिभाषा शीघ्र करने की कृपा करें। इसी के पीछे तमाम सिद्धान्त और इरादा हो सकता है। तभी सचमुच तारीफ आप पावेंगे। लेकिन तारीफ की कोई बात नहीं है क्योंकि आप तो इस काम के लिये बनाये ही गये हैं। पूरा काम करके आप दें, यही हमको देखना है।

जय हिन्द!

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय चन्द्रबली सिंह जी इस अनुदान पर भाषण कर चुके हैं। मैं आपके द्वारा उनकी तारीफ करता हूं। वह मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उसका मैं अक्षरशः आदर करता हूं। मैं उससे सहमत हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात के लिये उन्हें उलाहना देने के लिये विवश हूं। एक बात को उन्होंने छिपा लिया। मैं चाहता था कि उसे भी वह कह देते। उन्होंने यह तो बता दिया कि एस० एस० पी० से क्यों अलग हुए। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह एस० वी० डी० में थे और सरकार बन रही थी तो अखबारों में उनके बयान निकले थे कि मिनिस्ट्री बनाने में छोटी पार्टियों का खयाल नहीं रखा जा रहा है। अन्त में जाकर वह एस० वी० डी० से अलग हो गये। अगर वह सारी बात कह देते तो उनकी बात हमारे ही ऊपर नहीं, सबके ऊपर ज्यादा असरदार होती।

लगान के बारे में असिल में आज कोई बहस नहीं होनी चाहिये थी। कांग्रेस की तरफ से भी कोई बहस नहीं होनी चाहिये थी। राजस्व का मामला ऐसा है कि हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक जनता से, किसानों से, यह सम्बन्ध रखता है। आज का दिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये बहुत ही शुभ दिन है। जिस बात की चर्चा कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता लोग करते आये लेकिन उसे कर नहीं सके, वह इस सरकार ने थोड़े ही समय में करके दिखा दिया है। कौन सा नया तर्क यहां रखा जा रहा है? आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक अग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी

बनी जिसके अध्यक्ष कृपालानी जी थे। अनएकानामिक होल्डिंग्स की बात उसमें की गई है। उसके बाद बहुत सी कमेटियां बनीं। बड़े भाषण हुए और प्रस्ताव पास किये गये। अगर भाषणों और प्रस्तावों से काम चलता तो किसानों का दर्द मिट गया होता। जनता ने समझ लिया कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। संयुक्त विधायक दल की सरकार आगे बढ़ी है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक माननीय सदस्य जो बुजुर्ग और बूढ़े हैं, उन्होंने कहा कि अनएकानामिक होल्डिंग पर एक आना भी लगान लेना अनुचित है। सन् ४७ से ६५ तक अनुचित नहीं था, आज हो गया। यह कौन सा तर्क है?

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सवा ६ एकड़ तक के किसानों को राहत देना कोई राहत का काम नहीं है। किसान को कुछ देने का सवाल नहीं है। यह सवाल है उसूल का। लगान किस पर लेना चाहिये? चन्द्रबली सिंह जी ने कहा कि लगान लेना ही नहीं चाहिये। एक पैसा भी लगान नहीं लेना चाहिये। जो आमदनी करेगा वह टैक्स देगा लगान खत्म होना चाहिये। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ५ साल में पूरा लगान माफ करने का एलान किया है। मैं एक बात और भी कहूंगा कि जो ३३ सूत्री कार्यक्रम बना है जिसको बनाने में कि श्री चन्द्रबली सिंह भी शामिल थे, उसके बारे में मैं जानता हूं, सब जानते हैं और सूबे की जनता जानती है कि वह कार्यक्रम ३ मास का नहीं है बल्कि वह ५ वर्ष का कार्यक्रम है, वह ५ साल के लिये उन्होंने....

श्री चन्द्रबली—

३३ सूत्री कार्यक्रम ५ साल का है लेकिन १९ सूत्री एक साल का है।

श्री अश्वनी कुमार—

मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० सरकार ने ऐलान कर दिया है कि लगान खत्म करेंगे और उसके बाद अब केवल सवाल यह है कि वह किस तरह से खत्म होगा, किस हिसाब से खत्म होगा, सरकार ने उस दिशा में अभी पहला कदम उठाया है और सवा ६ एकड़ की जोतवाले किसानों तक का आधा लगान माफ कर दिया है। अभी श्री भरत सिंह ने सुझाव दिया है कि १ रुपया या २ रुपया की एक छोटी से छोटी रकम रख दी जाय कि इतनी मालगुजारी देने वाले किसानों को बिलकुल लगान मुक्त किया जाता है और इससे उस सिद्धान्त का प्रतिपादन भी हो जाता है।

इसके अलावा राजस्व विभाग में बहुत सी गड़बड़ियां हैं जिनको सरकार को दुरुस्त करना चाहिये, इस सम्बन्ध में मैं १–२ सुझाव भी देना चाहता हूं। आज प्रदेश का किसान २ आदमियों से डरता है, एक पुलिस से और दूसरे पटवारी से, और उनका नाम सुनते ही कांपता है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। हमारे यहां गोरखपुर में ताल नदोर मतोल एक १२०० एकड़ का बड़ा ताल है, जिसमें मस्य पालन का काम सरकार का विभाग करता था लेकिन कुकर्मी पटवारी ने उसको ग्राम समाज में कर दिया और उसने मनमाने रूप में उसको लोगों को बांटना आरम्भ कर दिया, इस १२०० एकड़ जमीन को बांटने में लेखपाल ने २ लाख रुपया कमाया। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब से बड़ा फ्राड है जो कानूनी रूप से रचा गया है और २ लाख रुपया लेकर उस जमीन को बांटा गया है। कायदे में लिखा हुआ है कि ५ साल के बाद कोई लेखपाल एक हल्के में नहीं रह सकता लेकिन वह १५ नम्बर हल्के का लेखपाल वहीं मौजूद है। वह ४ बार सस्पेंड हुआ, ट्रान्सफर हुआ, मुअत्तल हुआ, ४०६ में उसको वारन्ट हुआ लेकिन सिफारिश के बल पर कुछ नहीं हुआ, कलेक्टर से सिफारिश नहीं हुई, जिला अधिकारियों से भी नहीं हुई। जिला अधिकारियों ने ट्रान्सफर किया लेकिन पटवारी की पहुंच तो है राजस्व विभाग में और श्री एल०आर० सिंह, अनुसचिव ने ट्रान्सफर के आदेश को, सस्पेंशन के आदेश को और वारन्ट को, सब को खत्म कर दिया। इस तरह से राजस्व विभाग सारे नीचे के हुक्म कैंसिल करता है यह कितने दुख की बात है। मैं तो आज के राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि कांग्रेस सरकार के इस भ्रष्टाचार को दूर करने में अगर आप भी विफल रह तो यहां आप भी नहीं रह सकेंगे, हमारे

[श्री अश्वनी कुमार]

यहां के दो-दो विधायक इस बात को लेकर मंत्री जी के पास गय कि क्यों यह आदेश स्थगित हुये। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर किसान लेखपाल के चंगुल से न निकला तो उसे राहत नहीं मिलेगी, इसका आप जल्द से जल्द प्रबन्ध करें।

*श्री आत्मा (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात के लिये आपको धन्यवाद देना है कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया। वैसे मैं इस सदन में बहुत बोलने की इच्छा नहीं रखता और माननीय सदस्यों द्वारा जो उनक विचार व्यक्त होते हैं उन्हें हृदयंगम कर के उन से कुछ हासिल करना चाहता हूं लेकिन आज माननीय सदस्यों की बातें सुन कर मन में कुछ ऐसे भाव पैदा हुये कि मैं भी इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर कुछ ऐसीऐसी बातें सुनी गय जिन्हें सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। इस सदन में यह परम्परा पड़ती जा रही है कि जब कोई म ननीय सदस्य अपनी बातें कहने को उठता है तो कांग्रेस की २० साल वाली बात अवश्य कहता है, जैसे यह सखुन तकिया हो गया है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आपके द्वारा निहायत अदब के साथ माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे उस समय यहां पर मौजूद नहीं थे? और अगर नहीं थे तो व २० सालों का इतिहास देख लें तो उन्हें पता चल जायगा कि कांग्रेस वालों न क्या क्या किया। थोड़े से शब्दों में अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन २० वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा महान कार्य किया है जिससे कन्याकुमारी से हिमालय तक सारा भारतवर्ष जो अनेकों टुकड़ों में विभक्त था, अनेकों राज्यों में बंटा हुआ था, एक झंडे के नीचे आ गया। इन बीस वर्षों में ही जो हमारे देश में ६०० रियासतें थीं, जो हिन्दुस्तान के नकशे पर एक कोढ़ के रूप म थीं, बिना रक्त की एक बूंद बहाये बगैर समाप्त करके भारतवर्ष के नक्शे से हटायी गयी और उन ६०० रियासतों को हिन्दुस्तान में विलीन कर लिया गया। क्या यह कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था? आप ठंडे दिल से सोचें उसके बाद भी अनेकों कार्य हुये हैं। माननीय सदस्यों को बताया गया है कि इस दरिमियान में बड़े बड़े ताल्लुकदारियां और जमींदारियां, जो कि हमारे मुल्क में अभिशाप स्वरूप थीं और जो हमार मजदूर और हरिजनों से हमेशा बेगार लिया करत थ, उन पर अत्याचार किया करते थे, उनको एक कलम की नोक से कानून के जरिये समाप्त कर दिया गया है। क्या आप यह सब भूल जाते हैं?

आपको यह भी बता दिया गया है कि हमने २० सालों में जो हमारे किसान थे, या काश्तकार थे, उनको सीरदारी का हक दिया, जो भूमिहीन थे, उनको भूमि दी गयी और उन्हें आबाद किया गया। इन २० वर्षों के अन्दर हमने हकूमत का विकेन्द्रीकरण किया, गांवों में पंचायतें स्थापित की और उनके जरिये से गांव वालों को बहुत कुछ अधिकार दे रखे हैं जिनसे वे अपने ग्रामों का निर्माण कर सकें। मैं अपने दोस्तों से निहायत अदब के साथ और बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वे किसी तथ्य पर न जाकर किसी आवश में न आवें। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन स नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले सदस्य हों, चाहे उधर के मित्र हों, सब अपने हैं, कोई बेगाने नहीं है, सभी राष्ट्र के प्रति ममता और भाव रखते हैं। कोई मुझे किसी के प्रति अविश्वास नहीं है। लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस सदन में कोई ऐसी बात प्रस्तुत की जाय जो कि सारे प्रदेश के लिये हो तो उस पर बड़ी गम्भीरता से और बिला किसी शत्रु भाव के उस पर विचार करना चाहिए। तब तो इस प्रदेश के प्रति कुछ कर सकेंगे और कुछ सोच सकते हैं। अगर हम आवेश में और क्रोध में केवल एक दूसरे से उत्तर प्रत्युत्तर करने में अपने को महान समझें और यह समझें कि हमने कितना अच्छा भाषण किया है, साहित्यिक भाषण किया है, इसकी तारीफ सुनने की अगर अभिलाषा हो तो मैं कहूंगा कि वह अपने क्षेत्र की जनता को धोखा देना है। यहां तो बैठ कर गम्भीरता से विवेचन करना है कि हम कौन सा काम सही कर रह हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कौन सा गलत। इस तरीके से विरोध पक्ष की बातों को सुनना चाहिये और उसमें में से जो सही बात हो, उसे स्वीकार कर कुछ रद्दोबदल कर सकें तो करना चाहिये। इसमें कोई झेंप की न बात होनी चाहिये और न शर्मिन्दगी की बात होनी चाहिये। मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी एक छोटा सा किसान हूं और मैं उसकी दशा को जानता हूं। मैं यह आशा में था कि जब राजस्व मंत्री यह अनुदान प्रस्तुत करेंगे तो उस में किसानों के प्रति हमदर्दी का व्यवहार करेंगे।

इसके साथ ही कुछ कहने के पहले मुझे याद पड़ गयी अपने कम्युनिस्ट दोस्त, श्री झारखंडे राय की बात और इनकी पार्टी की बात। मैं देखता था अपने चुनाव के जमाने में और उसके बाद बड़े बुलन्द शब्दों में नारा लगाते रहे कि धन धरती सब बट कर रहेगी और जब कार्य रूप में परिणत करने का मौका उनको मिला तो आज उसके वह विपरीत हो गये। जहां तक धरती और धन के बटवारे का प्रश्न था वहां किसानों का आधा लगान भी पूरी तौर स माफ नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि जहां आप आधा लगान की बात कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि आधा लगान कैसे माफ हुआ जब कि दो रुपये छूट दी जायगी। मसलन १० रु० जिसका लगान है उसमें से २ रु० निकाल देने के बाद ८ रु० शेष बचता है उसमें से आधा यानी ४ रु० हुआ। तो फिर आधा कहां हुआ माफ? और फिर इसके साथ मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में हरिजनों की सबसे बड़ी संख्या है और सबसे अधिक पद दलित हरिजन भाई है। जिनके सम्बन्ध में सहानुभूति और हमदर्दी की बातें करते हैं और अधिक वोट उन्हीं से लेने के लिये उन हरिजन बस्तियों में जा कर उनसे बड़ी लुभावनी बातें कह कर उन का वोट हासिल करते हैं। लेकिन आज सदन में उनके प्रति गद्दारी की बातों को देख कर मुझ बड़ा दुख हो रहा है। मैं अपनी पार्टी क सदस्यों को कहूंगा, मैंने तो पहले कह दिया कि आप लोगों के प्रति मेरा कोई अविश्वास नहीं है, मैं आप सभी के प्रति स्नेह रखता हूं और मुझे विश्वास है कि आप का भी हिन्दुस्तान है, उतना ही अधिकार आप का है जितना हमारा है, हमें और आप को वह बराबर प्यारा है। लेकिन झूठ मूठ शान में आ कर इन बातों को भुलायें नहीं, आज हरिजनों के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा सहनीय नहीं है। मुझे अधिष्ठाता महोदय, आपक द्वारा यह निवेदन कर देना है कि मैंने आप से पहले ही अर्ज किया था कि मैं कभी बोलता नहीं हुं और न बोलने की इच्छा रखता हूं, मैं तो माननीय सदस्यों से कुछ सीखने की आशा करता हूं जिससे कि हमारी कुछ ज्ञान वृद्धि हो। लेकिन आज मजबूर हुआ हूं बोलने के लिये। मैं आपसे यह निवेदन करताहूं कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या हरिजनों की है और कोई हरिजन ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा काश्तकार हो। मेरे जिले में किसी हरिजन के पास १० अथवा १५ विस्वा खेत होगा और अधिक से अधिक १ बीघा लेकिन दो रुपया लगान जो देगा उसको माफ नहीं किया जायगा, यह कितना बड़ा अन्याय किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

*श्री राज राजेश्वर (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्व मंत्री ने बहुत समय से जो एक मांग किसानों की चल रही थी उसको इस बार पूरा कर दिया जिसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। जनता जब अपनी शक्ति पहचान जाती है जो प्रजातंत्र में मदान्ध लोगों की आंखें खुल जाती हैं और आज जब समय परिवर्तित हुआ, उधर बैठने वाले इधर आ गये और इधर बैठने वाले उधर पहुंच गये तो उनको किसानों की हमदर्दी का खयाल आया, भले ही मगर मच्छ के आंसू क्यों न हों और वे सोचने लगे कि किसानों की तकलीफें खत्म होनी चाहिये। अभी तक किसानों के लगान माफी की बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया था। वह प्रस्ताव तब पास किया था जब चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज राजेश्वर]

के थोड़े दिन रह गये थे। इस से पहले भी न जाने कितने प्रस्ताव पास किये थे लेकिन उनको व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया। १८ दिन इनके पास शासन रहा तो चार आने अधिभार को हटने की घोषणा की लेकिन लगान माफ होने के बार में कोई घोषणा नहीं की। लेकिन अगर हमने सवा ६ एकड़ वाले किसानों का लगान आधा कर दिया तो कहते हैं कि पूरा लगान माफ होना चाहिये। एक समय वह था जब कांग्रेस वालों के द्वारा यहां पर ड्योढ़े लगान का बिल पेश किया गया था। फिर गांधी जी की दुहाई दी जाती है। गांधी जी कहते थे कि जो सबसे नीचे हो उसको सुविधा दी जाय, उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिये। यह भी कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्होंने जमींदारी खत्म कर दी लेकिन जमींदारी खत्म क ने पर जमींदार द्वारा जो करोड़ों रुपया वसूल किया जाता था और जमींदार जिस पर गुलछर्रे उड़ाता था, मोटर पर घूमता था, अहलकारों को हजारों रुपये देता था, वह आमदनी कहां चली गयी? वह सब कांग्रेस सरकार के खजाने में चली गयी और एक, दमड़ी भी किसान को नहीं मिली। आज आप कहते है कि अगर लगान माफ कर दिया जाता तो काश्तकार बीज खरीदता, बैल खरीदता, खेती की सुविधाओं को बढ़ाता, सिंचाई के साधन बढ़ाता। आज आपको यह याद आ गया। आधा या पूरा माफ कर देने के बाद १०, १२ रुपये की अगर उसको छूट मिल जाती है तो उतने में कौन सिंचाई के साधन बना सकता है? आपको बड़ी शिकायत होती है जब हम बीस वर्ष की चर्चा करते हैं। क्यों आपको तकलीफ होती है? हम तो आपको उसमें आत्म निरीक्षण करने का अवसर देते हैं। बीस साल में तो आपने कुछ किया नहीं और जनता न जब आपको एक ठोकर दी तब आपकी जरा आंखें खुलीं और आपने अपने कर्त्तव्य को पहचाना।

अधिष्ठाता महोदय, पंचवर्षीय योजनाओं की बड़ी दुहाई दी जाती है और कहते हैं कि हमने इनके द्वारा देश का बड़ा विकास किया। मान्यवर, एक कहानी याद आती है। एक सज्जन अपनी ससुराल गये और एक घोड़ा मांग कर ले गये। जब ससुराल पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि यहां तो घोड़े चोरी हो जाते हैं। वह बड़े होशियार थे, कांग्रेसी भाइयों जैसे। उन्होंने सईस से कहा कि इस घोड़े को तुम रात भर मालिश करते रहना। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से घोड़ा चोरी भी नहीं होगा और इसकी थकान भी दूर हो जायगी। सईस ने कहा कि अच्छी बात है। उसने घोड़े को खरहरा करना शुरू किया। ये शासन करते रहे, और सो गये, इनके नींद आ गयी। सईस ने देखा कि मौका अच्छा है, वह भी सो गया और घोड़ा चोरी चला गया और घोड़े की जगह पर एक खरगोश बांध दिया गया। जब मालिक की आंख खुली तो पूछा कि घोड़ा कहां गया सईस ने कहा कि यही घोड़ा है। आपने कहा था कि रात भर खरहरा करना। मैंने रात भर इसे खूब खरहरा किया और खरहरा करते-करते यह इतना सा रह गया। इसी प्रकार जब आज देश की स्थिति बिगड़ गयी, चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गयी तब कहते हैं कि हमने विकास योजनायें चलायी थीं उनके लिये जनता पर टैक्स लगाये थे और जब जनता ने आन्दोलन किये तब इनके पास कोई जवाब नहीं था। मान्यवर, आज जब उन्होंने देखा कि लगान माफ कर दिया गया है तो कहते हैं कि यह काश्तकारों के साथ एक फ्राड है। ऐसा ही फ्राड अगर आपने किया होता तो संतोष की बात होती। आज भी पटवारी का रोना, रेवेन्यू बोर्ड का रोना रोते हैं।

आज आप कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, उसमें भ्रष्टाचार है। आखिर यह भ्रष्टाचार दूर करने का दायित्व किसका था? बीस सालों में आपने इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया और हमसे तीन महीने में उम्मीद करते हैं। आज आप कहीं कालागढ़ कांड की बात करते है कहीं पुलिस अत्याचार की बात करते हैं। पिछले साल की बात है कि २०-६-६६ को पुलिस वालों ने गोला गोकरननाथ में मजदूरों पर लाठी चार्ज किया और उनको पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया। आज भी उनकी तनख्वाह बाकी पड़ी है। उस समय इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ था। एक शब्द भी उनकी सहानुभूति में इन लोगों के मुंह से नहीं निकला। उस समय माननीया मुख्य मंत्री ने कुछ सहानुभूति दिखाई जिसके परिणामस्वरूप उनके ऊपर

से मुकदमे वापस ले लिये गये। लेकिन तनख्वाह आज तक उनकी बाकी पड़ी है। (व्यवधान) जरूर देंगे। मुझे अफसोस है कि आप नहीं ला पाये। देते नहीं तो कोई बात नहीं थी लेकिन दो शब्द तो उनकी सहानुभूति में कह देते।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोगों ने कटौती का प्रस्ताव दिया है और हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से बजट पेश होता है इसलिये यहां पर यह भी हुआ था कि विरोधी पक्ष को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जायेगा। यह व्यवस्था हुई थी, उसका आप ध्यान रखें।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, घोड़ों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। कल्ल इसके कि मैं और बात कहूं और माननीय राजस्व मंत्री को बधाई दूं इसके पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर गौर करें कि जब प्रदेश में सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव एण्ड जुडीशियरी की बात चली है और मैं समझता हूं कि इसको कार्यान्वित किया जायेगा तो इसकी जरूरत नहीं है और जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के द्वारा केसेज में रिलीफ मिल सकती है, वही हाई कोर्ट से जमीन के मामले में मिल सकती है। माननीय उचित नारायण शर्मा जी ने यदि बोर्ड आफ रेवेन्यू के मुकदमों के फैसलों को देखा होगा तो उन्हें मालूम हुआ होगा कि उनमें इतना कम ध्यान दिया हुआ होता है जो शायद ही किसी अदालत या ट्रिब्यूनल का दिया हुआ हो। सारे के सारे लिटीगेशन्स जो प्रदेश में हैं वह बोर्ड आफ रवेन्यू के जजमेंट के बाबत ही हैं। जो इसके सीनियर और दूसरे मेम्बर्स होते हैं, उनको जुडीशियरी का ज्ञान नहीं होता। यह भी निवेदन है कि पैसे की कमी है और एडीशनल कमिश्नर जो अपील सुनते हैं उनको सिविल जज सुन सकते हैं। इसलिये इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो काम एस० डी० ओ० से लेते हैं वह जुडीशियल आफिसर से ले सकते हैं। जब जुडीशियरी और एक्जीयूटिव के सैपरेशन की बात कही जाती है तो सीधी व्यवस्था होनी चाहिये और कानून में कहीं कनफ्यूजन नहीं रहना चाहिये। दाखिल खारिज के मामलों में अनडिसप्यूटेड केसेज कानूनगो करते हैं। मेरा दावा यह है कि जितने दाखिल खारिज के मुकदमे यह करते हैं, उनमें ९० परसेंट डिसप्यूटेड केसेज होते हैं। जो लोग दूसरों की जायदाद लेना चाहते हैं वे कानूनगो से अपने हक में दाखिल खारिज करा देते हैं। कानूनगो को दाखिल खारिज का अधिकार नहीं होना चाहिये। मुंसिफ साहब को अधिकार पांच हजार रुपये तक है, उससे ज्यादा का जुरिस्डिक्शन सिविल जज के पास। हमारे जैसे पिछड़े जिले में एक बीघा जमीन की कीमत डेढ़ हजार रुपये है। आपने कानूनगो को यह अधिकार दे दिया कि वह १०० बीघा, दो सौ बीघा जमीन का दाखिल खारिज कर दे। जब कि मुंसिफ को उस वैलुएशन का अधिकार नहीं था तो कानूनगो को ऐसा अधिकार न दें। दूसरे जो सक्सेसन के केसेज होते हैं उनके फैसले तहसीलदार करते हैं और जो ट्रांस्फर के केसेज होते हैं वह एस० डी० ओ० करते हैं। यह अजीब बात है। अगर आप रेवेन्यू विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि आप उत्सुक हैं, तो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में यह तरमीम अविलम्ब करनी चाहिये। इस सिलसिले में एक बात और कह दूं। जो डी० डी० सी० सिविल हैं क्या उनकी कार्यवाही पर सरकार का कोई प्रतिबन्ध है? इसी कारण से डी० डी० सी० रेवेन्यू की तरफ से ऐसी कार्यवाही होती है।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सोहनलाल धुसिया पीठासीन हुए।)

इसके बाद पंडित जी को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। ३१ मार्च १९४८ को मैंने और पंडित उचित नारायण शर्मा ने कांग्रेस को छोड़ा। १० जून, १९६४ को हम लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी—]

कांग्रेस में शरीक हुए, पंडित उदितनारायण शर्मा के आग्रह से, उनकी वकालत से, उनकी दलीलों से। यह हुस्ने इत्तफाक है कि पंडित जी उधर बैठे हैं, मैं इधर पहुंच गया। मैंने बार-बार सोचा, मैं केवल इस नतीजे पर पहुंचा कि १९४८ से १९६४ तक पंडित जी कांग्रेस को धराशायी न कर सके। उन्होंने केवल एक तरकीब सोची कि चलो कांग्रेस में चले, तो धराशायी वैसे ही होगी। कांग्रेस में आ कर कांग्रेस को धराशायी करने की कला के लिये पंडित उदितनारायण जी को मैं बधाई दे सकता हूं। मगर इतिहासकार क्या लिखेगा : पंडित जी ने कभी इस पर सोचा ? यह बात कही जाती है कि हमने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, जनता के साथ नहीं की। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं। इस सदन में १९९ सदस्य कांग्रेस के चुन कर आये और १७ वह चुन कर आये जिन्होंने कहा कि हम कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन जिन को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। इस तरह से २१६ सदस्य कांग्रेस की आयडियालाजी पर चुन कर आये। ऐसी सूरत में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है और किसी दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इस बधाई के सिलसिले में कुछ और बधाइयां जो बाकी हैं, देना चाहता हूं। इस सदन में जितने सदस्य बैठे हैं उनको कभी सत्तारूढ़ दल में रहने का मौका मिला कभी अपोजीशन में रहने का मौका मिला। मगर मान्यवर, चौधरी चरणसिंह, चौधरी श्यामलाल, चौधरी रामचन्द्र विकल, चौधरी जयराम वर्मा ने क्या किस्मत पायी है एक दिन भी अपोजीशन में रहने का मौका नहीं मिला। यह बात सही है कि आपको शासन मिला इस प्रदेश का। आप मुख्य मंत्री हुए इस प्रदेश के। लेकिन क्या वह आपके राजनीतिक आचरण की बात कभी भुलायी जा सकती है ?

यह जो पंडित जी ने एनाउन्समेंट किया है आज का उसमें एक राजनीति वाली बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूं। यह जो मालगुजारी की छूट है, यह निश्चित रूप से जनसंघ की पोलटिकल विजय है। मैं उसको यहां पर साबित भी करता हूं, आप उस पर गौर करें। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने यह कहा था कि अलाभकर जोत की सवा छः एकड़ तक मालगुजारी माफ होगी। किन्तु आपने क्या किया ? आपने किया इसके विपरीत। आपने तो ऐसी भी जोतों का लगान माफ कर दिया जो अलाभकर जोतें नहीं थीं। जैसे यदि किसी परिवार में चार भाई हैं और उनके पास २५ एकड़ जमीन है तो आप हर भाई की सवा छः एकड़ जमीन मानेंगे और इस प्रकार से हर भाई का लगान माफ होगा यानी २५ एकड़ का भी लगान माफ होगा। तो क्या २५ एकड़ जमीन अलाभकर जोत की है : जो आपने किया है वह आपके १९ सूत्री कार्यक्रम में कहीं नहीं दिया है। १९ सूत्री कार्यक्रम में था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की भी यह मांग थी और अन्य प्रगतिशील पार्टियों की भी यह मांग थी कि अलाभकर जोतों का लगान माफ हो किन्तु जनसंघ ने यह कहीं नहीं कहा था। जनसंघ ने आपकी इस मांग को तब्दील करा दिया, और आपने राजनीतिक प्रेशर में यह विचार नहीं किया कि २५ एकड़ तक के लैन्ड होल्डर्स की कोई बात नहीं थी जिनकी जनसंघ वालों ने पैरवी की है। तो मेरा यह कहना है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों की अपेक्षा जनसंघ ने अपने राजनीतिक प्रभाव को इसके द्वारा जीता है और उसका हथियार उसने पंडित उदित-नारायण शर्मा और चौधरी चरण सिंह को बनाया है।

*श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं आज आपके द्वारा इस सदन में जीवन में पहली बार खड़ा होकर यह वक्तव्य दे रहा हूं। मैं नया नौजवान सदस्य चुनकर इस सदन में सन् ६७ में आया हूं। कल से जो यह प्रस्ताव चल रहा है उनके द्वारा और हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार द्वारा जो भूमि भवन कर समाप्त किया गया था उसके द्वारा शहरी जनता को तो बहुत खुशी थी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्तु अब आज की घोषणा से जो हमारे राजस्व मंत्री ने सवा ६ एकड़ का लगान आधा किया है उससे देहाती जनता को खुशी न जाने कितनी हुई है। मान्यवर, मैं नया आदमी हूं, इसलिये चाहता हूं कि किसी बात के लिए यदि मुझसे त्रुटि हो तो क्षमा किया जाये। मान्यवर, मैं एक बात इस सदन में सुनाना चाहता हूं जो अभी अभी मेरे ऊपर बीती है। इन २० साल में से इस कांग्रेसी सरकार ने जो प्रशासन चलाया है उसी का नतीजा है कि आज वह उधर बैठे हैं। अब यह कांग्रेसी भाई जो कुचक्र चला रहे हैं उसको हम इस सदन के द्वारा सुनाना चाहते हैं। इसी १८ जून को मेरे यहां एक लखनऊ से जीप, जिसका नम्बर ५२३ था, पहुंची। जिस गांव में मैं रह रहा था उस गांव को ढूंढ़ते ढूंढ़ते सारी रात जीप चलाकर वे हमारे यहां ८ बजे रात के करीब पहुंचे, जिसमें मान्यवर, तीन व्यक्ति सवार थे मय ड्राइवर के। मेरा जैसा किसान जो एक कांग्रेसी उम्मीदवार को ६ हजार मतों से हराकर विजयी होकर आया था, वे लोग लालच देने पहुंचे थे। मैं एक झोपड़ी में रहने वाला और मेरी बूढ़ी मां जो करीब ८० साल की है और मेरे भाई जो हल जोतकर आये थे और उनके हाथ में बैलों का हांकन वाला पैना लगा हुआ था, उन्होंने मेरे लिये ५० हजार और पी० डब्लू० डी० की मिनिस्ट्री का आफर दिया। हमारी बूढ़ी मां को यह समझाया गया कि तुम छप्पर में रहने वाली हो और अपने बेटे को लाड़चाव से तुमने पाला है। क्यों नहीं तुम यह फल उठा लेतीं? जीप का नम्बर ५३३ था। मेरे हल जोतने वाले भाई ने तो कहा, लेकिन मेरी बूढ़ी मां ने उत्तर दिया कि मेरा बेटा १ लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है और उसको १ लाख जनता ने चुनकर भेजा है, उसको तुम पैसे और गद्दी का लोभ देकर खरीदने आये हो। तो मैं साफ बताना चाहता हूं कि इस कुचक्र को लेकर इन कांग्रेसी कुचक्रियों ने पहुंच लगाई कि मैं गरीब आदमी हूं और उनके जाल में आ जाऊंगा। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं वह नवजवान हूं जिसने पैदल चल कर ऐसे एक कांग्रेसी उम्मीदवार को हराया है जिसने १० हजार रुपया इकट्ठा कर रखा था और मेरे नाम का एक दूसरा आदमी मुंशीलाल लाकर खड़ा किया गया लेकिन मैंने उसको भी और उस कांग्रेसी को भी हराया है। मैं झोपड़ी में रहने वाला जरूर हूं लेकिन इस तरह से बिकने वाला नहीं हूं। मेरे टूटने का सवाल नहीं पैदा होता। जो आपकी करतूतें हैं कांग्रेस के लोगों, उनके लिये आपको पश्चाताप होना चाहिये। धन चला जाता है तो कुछ नहीं जाता, तन्दुरुस्ती जाती है तो थोड़ा चला जाता है लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। और मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस वालों की यही करतूत रही तो सन् ७२ में आपको पता चलेगा, सन् ७२ आपको बतायेगा कि आप ८ घंटे के लिये भी अपना शासन नहीं चला पायेंगे। इसका जवाब सन् ७२ में जनता आपको अवश्य देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने, के लिये खड़ा हुआ हूं। जो सदन में अनुदान इस समय प्रस्तुत है उससे प्रदेश की ८० प्रतिशत की जनता प्रभावित है। यह ऐसा अनुदान है कि अगर उसका ठीक से इस्तेमाल हो तो मुल्क और सूब की हालत सुधर जाय लेकिन यहां भूमि की ऐसा व्यवस्था की गयी है कि भूमि आज जोतने वालों के पास है नहीं बल्कि उनके पास है जो अपने हाथ से हल नहीं चलाते, दूसरों से चलवाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हालत सुधरे तो आपको नये तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा।

सरकार ने जो आधा लगान माफ किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अलाभकर जोतों पर से जो कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी सिद्धांत है, लगान अवश्य हटायेंगे। अधिष्ठाता महोदय, यह तो आप जानते ही हैं कि यहां का हरिजन वर्ग कितना पिछड़ा हुआ है। अभी हमारी

[श्री दुर्योधन]

सरकार ने जो शिक्षा विभाग में कटौती की है उसको देखकर मुझे चिन्ता हुई कि इस प्रदेश में तानाशाही की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है और ऐसा मालूम होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में यह सरकार है और वह लोग इस तरह से छाये हुये हैं कि वे यह चाहते हैं कि अब भी वही हजारों वर्ष बीती हुई चीजें देश पर लागू हों। आप जानते हैं कि आज की क्या स्थिति है ? छोटे मजदूर और किसानों की क्या हालत है ? वे जमीन के लिये मर रहे हैं। आप यहां पर बैठे हुए हैं। इसमें गरीब किसान और गरीब मजदूर के लिये आप क्या देने जा रहे हैं ? इसकी आप पूरी तरह से कल्पना कीजिये। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इस २० साल की हुकूमत में जो गरीब किसान था वह और गरीब हुआ है और अमीर काश्तकार और अमीर हुआ है। गरीबों के हाथ में जमीन नहीं छोड़ी गई है। जमींदारों के हाथ में वह जमीन गई है। जांच कमीशन बैठा दिया जाय तो मालूम होगा कि एक एकड़, एक बीघा, और एक मंडा वाले काश्तकार के हाथ से वह जमीन निकल गई है। हमारे मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। जब य माल विभाग को सम्भाले हुये थे तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि गरीब किसानों क हाथ में उसन बहुत सारी जमीन को निकलवाने में मदद की। जब किसी काश्तकार का इत्तफाक से बैल मर जाता है तो वह अपनी जमीन को दूसरे के साथ मिलकर जोतता है जो उस जमीन से पैदावार हो सकती है उसमें से उसको हिस्सा मिल जाता है। लकिन इधर काबिज वाले काले कानून की वजह से जो इतने गरीब थे, किसी बड़े आदमी के यहां हलवाहे का काम करते थे। उसको छोड़ दिया तो लेखपाल को पैसा दिया और अपने नाम उन बड़े आदमियों ने उस जमीन को दर्ज करा लिया। जमीन दर्ज होने के बाद वह लड़ नहीं सके। वह जमीन उनके हाथ से निकल गई। इस तरह से काश्तकार बेदखल होते चले गये। इसलिये हम चाहते हैं कि चाहे जितनी भी हद बन्दी करना पड़े ५ बीघे या ३ बीघे, वह उन काश्तकारों को जरूर मिलनी चाहिय। आप जानते हैं कि बैल से खेती होती है। वह किसी मशीन से खेती नहीं करते हैं। कोई नहीं जानता है कि बैल किस वक्त मर जाय। जब बैल मर जाता है तो किसान के पास इतनी शक्ति नहीं रह जाती है कि वह तुरन्त खर्च करके बैल ले लें और जोत लें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अफसरों के दौरे हुआ करते हैं वह इतने खराब होते हैं। अफसर गांव में जाते हैं। वहां लेखपाल होता है। वह २००, ३०० रुपये का काश्तकारों से इन्तजाम करता है। उसके लिये दूध वही का इन्तजाम करता है। वह मौके पर गलत इन्द-राज करता है। इस तरह से इसमें बहुत लूट होती है। पहले खेती पर नाप दुरुस्त कराइये तब पैदावार बढ़ेगी। अगर नाप दुरुस्त न किये तो पैदावार बढ़ने वाली नहीं है। इधर गांव में जो परती जमीन थी वह भूमिहीनों को नहीं मिली। जांच कमीशन से इस बात का पता लगा लिया जाय कि अभी कोई जमीन भूमिहीनों को नहीं मिली। सब बड़े लोगों ने जोत लिया है। उनके पास चाहे जमीन जितनी रही हो उन्होंने फिर भी उसको लिया और अपने लड़कों के नाम उसको दर्ज करा लिया। यह सारी परिस्थिति इस प्रदेश के अन्दर विद्यमान है। आपको चाहिये कि आप इन तमाम चीजों के ऊपर विचार करें। इस कानून में संशोधन करें। आपके यहां जितनी भी जमीन बटी चाहे वह लखीमपुर में बटी हो और चाहे वह नैनीताल में बटी हो वह हरिजनों को या भूमिहीन लोगों को नहीं मिली है। उसमें बड़े बड़े लोगों को मिली है। आप जानते हैं कि सीलिंग से जितनी भी जमीन निकली है वह गरीब काश्तकारों को नहीं मिल पाई है। जिनके पास बड़ी बड़ी सीर हैं उनको रखने के लिये मिली है। उनके यहां परती पड़ी हुई है लेकिन फर्जी पड़ताल लेखपाल से करालो है इसलिये उनकी परती पड़ी हुई, जमीन को निकलवाने की व्यवस्था करें। इसलिये मैं आप से यह कहूंगा कि इन तमाम सुधारों के लिये एक जांच कमीशन बिठाइये और जिन लोगों ने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लिया है उन से जमीनें वापस ली जायं तथा वे जमीनें भूमिहीनों को दी जायं। गांव में बसने वाला जो खेतिहर मजदूर है उस के लिये कोई कानून नहीं है। उसे एक, डेढ़ रुपया रोज मिलता है, जब कि लखनऊ में एक समय का नाश्ता एक डेढ़ रुपये में होता है। वह दिन

भर उसके लिये काम करता है। उस के बच्चे हैं, उन की पढ़ाई लिखाई है, दवा दारू है। वह कैसे अपना काम चलाये? आप उन गरीबों को उठाने के लिये क्या कर रहे हैं। आपने शिक्षा अनुदान में बहुत कटौती कर दी है। यह सौभाग्य की बात है कि आप ने लगान सवा ६ एकड़ तक का आधा कर दिया। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। हमें इस प्रदेश और देश का निर्माण करना है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का मस्तक ऊंचा हो, लेकिन अगर आप (कांग्रेस) हमारी नकल करेंगे तो आप भी हमारी तरह से ही हो जायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रगतिशील कदम पर दृढ़ रहें और मुल्क को आगे बढ़ायें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का अनुदान रखा है उसके समर्थन में आदरणीय सदन के सभी सदस्यों के समक्ष खास कर के अपने प्यारे दोस्त जो सामने बैठे हैं, उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। और श्रीमन्, यह भी चाहता हूं कि मेरी बात प्रदेश की जनता तक पहुंचे और हमारे भाई लोग जरूर उसे पहुंचायेंगे। क्योंकि एक बात साफ है कि जनता की आवाज कमजोर होती है। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इन तीनों बातों का क्रम मैं रख नहीं पा रहा हूं, यह हमारी मजबूरियां हैं। जो माननीय सदस्य उधर चुन कर आये हैं, हमारे धर्मबीर जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं हमारे जर्मन मास्टर हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि यह जनता की आवाज बड़ी कमजोर होती है। पुराना किस्सा तो कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और इसलिये उसे मैं कहना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, यह वह आदरणीय सदन है जिस में बाबू गेंदा सिंह इधर मौजूद थे और बापू की फोटो भी उस समय लगी थी। माननीय चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने, उस समय इस सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि देश में बड़ा संकट है, चवन्नी का लगान बढ़ाना चाहिये। मैं पिटीशन से खारिज हो चुका था। मैं हाईकोर्ट में गया, दरख्वास्त दी और मैंने कहा कि जज साहब, मुझे केवल एक दिन के लिये विधान सभा में पहुंचा दीजिये। मुझे कुछ कहना है। मैं आया और मैंने बैठक में भाग लिया था।

(इस समय २ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उस समय विरोधी दल के साथी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश पर बड़ा संकट है। हम ने कहा कि कारखानों का पैसा ले लो, चीनी मिलों को जब्त कर लो, टैक्सटाइल मिलों को जब्त कर लो, लोहा, कोयला, कपड़ा ले लो, लेकिन गरीब किसान पर, जिस का बेटा इस संकट में कट रहा है, यह भार मत डालो। लेकिन जो नतीजा निकला, जो प्रस्ताव पास हुआ, उस के श्रीमन्, आप भी दर्शक रहे हैं, आप ने और देश के लोगों ने उसे देखा। हम ने कहा कि यह गुप्त जी की सरकार, जो उस जमाने में बनी थी, जिस में हमारे गेंदा सिंह जी भी शामिल थे, किसानों के बेटों का दर्द नहीं समझती। यह नहीं समझती कि उस के बेटे खेमकरन और कश्मीर में कट रहे हैं और यहां हम किसान की पाकेट काट रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने किसान के बेटे का गला कहां काटा और डकैती कहां डाली, इसका कोई जवाब आप के पास नहीं है। गुप्ता जी ने मुझे धमकाया और उन्होंने कहा कि क्या करोगे? मैंने कहा "हमीं जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल"? हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि उग्रसेन जोश में मत आओ, इस पर हमने कहा कि आज नहीं तो कुछ नहीं। हमने बलवा मचाया, बापू और कांग्रेस के एकमात्र नेता, श्री गेंदा सिंह के सामने मुझे उठा कर यहां से फेंका गया लेकिन एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला कि उग्रसेन जायज रास्ते पर है और तुम गलत रास्ते पर हो। मुझे खुशी है और इस सरकार की बलिहारी है जिसकी वजह से माननीय गेंदा सिंह जी ने उधर बैठ कर जो सही बात थी और अच्छी बात थी, उसे कह तो दिया। अगर वे सरकार की हैसियत में इधर होते तो कभी भी उस बात को नहीं कह सकते थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ कर देना चाहिये।

हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह ने पूरे लगान को माफ करने की बात कही है लेकिन इसके लिये वे चाहते हैं कि कोई और साधन मिल जायं और धीरे-धीरे उसे करें। हमारे माननीय

[श्री उग्रसेन]

राजस्व मंत्री ने जो एलान कर दिया है कि सवा ६ एकड़ तक का आधा लगान माफ और आज कह दिया कि २ रुपये से नीचे का पूरा परा सब माफ। क्या आपको माननीय राजस्व मंत्री की बात पर विश्वास नहीं है। मैं विरोध पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने पूरे लगान माफी का ऐलान कर दिया तो आपके दिमाग में यह शंका क्यों पैदा हो गयी कि सवा ६ एकड़ का बकाया आधा लगान अगले साल तक माफ नहीं हो जायगा? इसी तरह से आगे चल कर १००-२०० एकड़ वाले सुरजीत सिंह मजीठिया आदि का लगान भी माफ हो जायगा जैसा कि हमने कहा है। माननीय बहुगुणा जी के कटौती प्रस्ताव को देखें, माननीय गेंदा सिंह जी के कटौती प्रस्ताव को देखें--उसमें है--कमी करने का उद्देश्य सवा ६ एकड़ तक के अलाभ कर जोत से मालगुजारी हटाने का सुझाव देना। अब यह सुझाव दे रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं। इससे तो अच्छा दीपंकर जी का है, अश्विनी कुमार जी का है। दीपंकर जी ने लिखा है--सवा ६ एकड़ तक भमि रखने वाले सब किसानों का लगान समाप्त कर दिया जाय। लेकिन संशयात्मा विनश्यचित। संशय से नाश होता है। माननीय गेंदासिंह जी के दिमाग में संशय है, वे सोचते हैं "सर्व नाशे समुत्पने, अर्द्ध तजति पंडितः" उन्होंने सोचा कि अखबार में नाम आ जाएगा, रेडियो पर ऐलान हो जायेगा, इस तरह से यह बात भी हो जायगी और हमारी बात भी हो जायगी, शायद दोबारा उधर बैठने का मौका मिल जाय। रामायण राय जी ने कहा था कि अब उग्रसेन को नौकरी मिल जायगी। जहां तक मुझे नौकरी मिलने की बात है, मुझे तो कबीर का वह वाक्य याद आता है कि हमें तो लोगों की झाड़ू लगाना पसन्द है, हमें तो एस० वी० डी० की चपरासीगिरी पसन्द है और उग्रसेन चपरासीगिरी की ज्वाला को ही जलाता रहेगा। मैंने तो जितेन्द्र जी से, भीमा जी से कहा कि भाई उधर जाकर क्या करोगे, और अपने विचारों से हट कर जालियों की सरकार बैठा कर क्या जनता की कचूमर निकालना चाहते हो? उधर ४६ की कैबिनेट बन गयी है, माननीय बनारसी दास जी रात के दो-दो बजे तक घमते फिरते हैं। मैं तो सोचने लगता हूं कि "कालनेमि केहि कारण आवा"। न मालुम कब किसको पकड़ ले।

श्री अध्यक्ष--

और जब वे मौजूद नहीं होते तभी आप बोलने लगते हैं।

श्री उग्रसेन--

माननीय बनारसी दास जी मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे ज्यादा मुहब्बत करता हूं लेकिन वे मुझ से कम मुहब्बत फरमाते हैं।

जहां तक राजस्व मंत्री जी ने ऐलान किया है कि अभी हम सवा ६ एकड़ तक का आधा लगान माफ कर रहे हैं लेकिन जब चीन और पाकिस्तान का हमला हुआ था तब चीन सरकार ने क्या किया था। चीन के मुकाबले में तो उनकी फौज ३० मील प्रति दिन के हिसाब से ५ दिन में १५० मील पीछे हट गयी। हमारे नेता, माननीय डांगे, डाक्टर लोहिया, माननीय रामसेवक यादव, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी तथा अन्य विरोधी दल के नेता चिल्लाते रहे कि कहां जा रहे हो। प्यारे कहां जा रहे हो? प्यारों ने कोई सुनवाई नहीं की। हो सकता है आपके दिमाग में कीड़ा काटता हो। कीड़ा यह है कि यह राज हट जायगा तो हमारा राज आ येगा। एक पैसे के ३ आम तो ३ पैसे के ९ आम ऐसा मत समझना। इस प्रदेश की जनता कांग्रेसी पापी राज्य बरदाश्त नहीं कर सकती। चौधरी साहब ने सवा छः एकड़ को अलाभकर जोत कहा, और किसी मंत्री ने कहा। जब मंत्रियों के भाषण होने लगते हैं तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूं कि काम मेरा कर रहे हैं और गेंदा सिंह, इसी तरह से रास्ता दिखाते जाइये। आज विरोधी पक्ष सबल है। नतीजा यह है कि इतने लोग मदद में कब बैठते थे जो आज बैठते हैं। १०-२० का फर्क है, मालूम होता है जैसे हाउस आफ कामन्स चल रहा है। सब लोग दिलचस्पी लेते हैं। जनता ने जो मुझे चुनकर भेजा तो बड़े कायदे से चनकर भेजा कि कहीं चौधरी साहब

की सरकार को घमंड हो जाय, "कहीं लामर न आ जाय गांव में" आखिर पान दरीबा गया या नहीं, दारुलशफा गया या नहीं।

पूर्वी जिले के लोग मानेंगे कि अकाल सहायता में हमने और हमारे दल ने कार्य किया है। हमने और चन्द्रबली ने खांचियां ढोईं, कितनी सड़कें बनवाईं देवरिया में। हुकुम सिंह मेरे चचा, मंत्री थे तो मैंने कहा कि देवरिया, गोरखपुर में टेस्टवर्क की मजदूरी बढ़ा दो तो उन्होंने बहराइच में तो बढ़ा दी, देवरिया, गोरखपुर में नहीं बढ़ाई। मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि फैमिन कोड में ऐसी तबदीली लाइये कि आज की मंहगाई को देख कर मजदूर को मजदूरी मिल सके, इसमें किसी को एतराज नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि टेस्ट वर्क में काम कराइये, मजदूरी की जगह पर गेहूं देंगे। इनके राज्य में क्या हुआ कि वह गेहूं कहां बंटा? माननीय सुचेता कृपालानी के क्षेत्र में टेस्ट वर्क में बंटा, न गेंदा सिंह के क्षेत्र में बंटा, न उग्रसेन के क्षेत्र में बंटा।

मैं आप से कहता हूं कि आज तो कितने, सैकड़ों मुफ्त भोजनालय चल रहे हैं, ग्रामवासी जी भी चलाते हैं। मैं चिल्लाता रह गया इनके जमाने में तो किसी मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। आज मुझे खुशी है कि गेंदा सिंह मांग करते हैं मुफ्त भोजनालयों की। ७ खुलने वाले हैं। कहते थे कि मुफ्त कैसे? मैं कहना चाहता हूं कि एक ट्रेनिंग कैम्प हो जाय जिसमें हमारा और गेंदा सिंह का भाषण हो जाय लेकिन सिद्धान्त को आपने माना, हमारी सरकार ने माना। सैकड़ों खुल रहे हैं। कल मंत्री जी, झारखंडे राय जी ने साफ कह दिया कि चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण कर दो, चीनी मिलों के स्क्रैप को बेच दो, कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मीरतन काटन मिल का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये, डायर मीकिन ब्रिवरी की शराब की बोतल पर ४ रुपया बढ़ा दीजिये। आदमखोर लामर ही पी जायंगे। हम तो पीन से रहे। आज आदमखोर दारुलशफा में घूम रहे हैं। हमसे तो खैर बात नहीं करते। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ८ करोड़ जनता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आपने ली है। ऐसा मत कीजिये कि प्रदेश की जनता आपके नाम पर थूके और आपका इतिहास इतना गंदा हो कि जितना २० साल में भी गंदा नहीं हुआ। हमको तो 'जिस राह पर नेता चलते हैं, मरघट से उधर वह जाती नहीं है'। मुझे महात्मा बुद्ध की बात याद आती है। महात्मा बुद्ध कुशीनगर में गेंदासिंह के यहां से पाव नगर से रात को आये। श्रीमन्, गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश था "दीपः बिहरथः" इसका अर्थ है कि अपना अन्तर्द्वीप जलाओ। यानी इन माननीय चन्द्रभानु गुप्त और कमलापति त्रिपाठी से प्रेरणा न लेकर अपने अन्तःकरण से प्रेरणा लो। राजस्व विभाग से, भ्रष्टाचार दूर होगा, पूरी मालगुजारी भी खत्म होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। गुप्ता जी ने चवन्नी लगायी, उनको भी जाना पड़ा, सुचेता जी को भी इसी चवन्नी के कारण जाना पड़ा, दो दो मंत्री गये, दो दो चवन्नी गयीं, अब दो रुपये छः आने के लालच में पड़े हैं।

अब मैं एक सुझाव माननीय राजस्व मंत्री जी को देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। रेवेन्यू मैनुअल बहुत पुराना है। शायद सन् १८५७ का है, अंग्रेजों के समय का। इसकी बहुत सी धारायें जनहित में नहीं हैं। उनको तुरन्त बदला जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री के अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस सदन में पालिटिकल बातों की चर्चा की गयी, मैं उनके बारे में कुछ न कह कर, कुछ बातें दुर्भिक्ष के संबंध में कहना चाहूंगा। सही मानी में आज प्रदेश की हालत ऐसी है कि अगर सरकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

पक्ष से पालिटिकल लेक्चर के अलावा कुछ दुर्भिक्ष आदि के संबंध में भी कहा गया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा । श्रीमन्, हमारे जिले में एक भी बगीचा ऐसा नहीं है जहां ५० फीसदी से कम नुकसान हुआ हो । विशेषकर कुंवानो से लेकर घाघरा क बीच का जो हिस्सा है और गोरखपुर जिले के पश्चिम का जो हिस्सा है वहां की स्थिति बड़ी खराब है और सरकारी पक्ष की तरफ से एक भी शब्द इस संबंध में नहीं कहा गया है। माननीय उग्रसेन जी ने भी उसका जिक्र नहीं किया। जो माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं वे उसको जानते हैं। गोरखपुर, इलाहाबाद सड़क पर पेड़ों के गिर जाने के कारण काफी दिनों तक बन्द रही। छोट-छोटे किसान वहां झोपड़ियों में रह रहे हैं और उनकी भी हालत खराब है । आज एक एक किसान इस काम म लगा हुआ है कि उसको खपरैल कहीं से मिल। लकिन सरकार की तरफ से इस बात की कोई कोशिश नहीं हुई कि ऐसे मुसीबतजदा लोगों को तकावी के सिलसिले में या अहेतुक अनुदान के सिलसिले में कोई सहायता प्रदान की जाय।

यह दूसरी घटना थी । बोने की हालत यह थी कि खेत के खेत साफ हो गये, मकान साफ हो गये । माननीय झारखंडे राय जी मौजूद नहीं हैं । उनके भाषण के आधार पर तो दो दो सेर के ओले गिरे । वे जो खयालात इस सदन में जाहिर कर चुके थे वे ही अब मिनिस्ट्री में जाने के बाद कहां गये : माननीय राजस्व मंत्री जी को तो बुन्देलखंड दिखलाई देता होगा लेकिन हम मुसीबतजदा लोगों को ओर कौन देखता है । अगर उनसे यह बात कही जाय तो उनको यह बात अच्छी न लगे लेकिन में राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज भी आप पता लगाएं कि बगीचों की क्या हालत है। पूर्वी जिलों के लोग आम की गुठली की रोटी खाकर जिन्दा रहते हैं लेकिन वे आम भी गये और आम की गुठली भी गई । आप कौन-सी व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आप उनको जिन्दा रख सकें ?

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बड़ा शोर है राशन की दुकानों का । मैं कहना चाहता हूं कि उस इलाके में कितनी राशन की दुकानें हैं : कितनी व्यवस्था की है, कितने लोगों को राशन देते हैं, कितनों के खाने का इन्तजाम करते हैं ? आपने कुछ नहीं किया । आपने हमको शीरा चाटने के लिये छोड़ दिया। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि बाजार के भाव सस्ते होंगे । दुनिया का यह कायदा रहा कि फसल के समय काश्तकार या मार्केट दोनों में काश्तकारों की फसल खरीदने क लिये मुनाफाखोर भाव बढ़ाते हैं । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री को तो जुलाई म सस्ता दिखाई देगा । मैं सस्ते का इन्तजार कर रहा हूं । भाव जरा देखें कि क्या थोक व फुटकर भाव हैं । कहीं कुछ दिखाई नहीं देता । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो हालत उन इलाकों की है जहां कहते हैं कि मुफ्त भोजनालय चलाये जायेंगे और दूसरी तरफ राशन की भी व्यवस्था नहीं होगी । मैं कदापि इस सरकार की तारीफ नहीं कर सकता और चाहता हूं कि इस तरह आदमियों की जिन्दगी और पशुओं की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करनेवाली सरकार जितनी जल्दी जाय उतना अच्छा होगा । मैं इसलिये कहता हूं आज जो हालत है इनसे उम्मीद थी और यह कहा गया था कि घी के दिये जलाये जायेंगे। आपने देखा और आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकार समय रहते चेते । जैसा कि उधर के बैठने वालों से मुझे अन्दाज लगता है कि अब वे उधर रहने वाले नहीं हैं। मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इधर बैठें ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी बात आती है अलाभकर जोत की, अगर उसकी चर्चा न करूं तो बात अधूरी रह जायेगी । इसलिये मैं यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रभुनारायण सिंह जी, स्वयं राजस्व मंत्री जी, झारखंडे राय जी और वे सभी लोग जनसंघ के चंगुल में फंस गये। वह भी जनसंघ के चंगुल में आये, नारा उन का था कि अलाभकर जोतों से लगान माफ करो लेकिन नारा पूरा उन्हीं का हुआ जो कहते थे कि लगान आधा करो। मैं नहीं चाहता कि सरकार

सुरजीत सिंह मजीठिया का भी लगान पूरा माफ हो, मैं चाहता हूं कि गरीब छोटे किसान बुरहू का माफ हो और अलाभकर जोत कोई ऐसी न हो जिस का लगान पड़े। मैं इस राय से इत्तिफाक करता हूं कि अगर बहस यह होती कि अलाभकर जोत सवा ६ एकड़ है या दस एकड़ है या १२ एकड़ है या ४ एकड़ है तो वह इस वक्त अच्छी लग सकती थी लेकिन आज की बहस इस बात पर है कि अलाभकर जोतों का लगान पूरा माफ हो या आधा हो। जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। जनसंघियों का नारा है कि अलाभकर जोतों का लगान आधा किया जाय और वह किया गया लेकिन मंत्री जी तो हमारे रहनुमा रह चुके हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष वह रह चुके हैं और हमेशा हमें उन्होंने सिखाया कि अलाभकर जोतों का लगान माफ होना परमावश्यक है। लेकिन आज उनके हाथ से यह चकाचौंध देने वाली बात है और जिस तरह से धीरे-धीरे यह संशोधन होते जा रहे हैं। मुझे तो प्रसन्नता होगी यदि राजस्व मंत्री जी आज अपने भाषण के उत्तर के समय एलान करें कि सवा ६ एकड़ तक की जोतों का लगान आज की तारीख से माफ किया, आज १५ जुलाई से माफ किया और उसके बाद जब वह बिल लायें तो उसमें यह प्राविजन करें कि आज की तारीख के बाद से केवल लाभकर जोतों पर ही लगान पड़ेगा। लेकिन हमें दुख है कि ऐसा अभी तक कोई संकेत उधर से नहीं मिला है। ऐसी हालत को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि सदन के सदस्यों से और उधर के बैठे हुए प्रगतिशील लोगों से क्योंकि उधर बैठे हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन के दिलों में किसानों का दर्द है और जो समझते हैं कि जनसंघ जैसे दल के साथ बैठने से कोई तालमेल नहीं रह सकता और आशा है कि वह धीरे धीरे एस०वी०डी० से अलग हो जायंगे या सीधे कांग्रेस में आ जायेंगे।

मुझे एक सुझाव यह देना है जैसा कि श्री दुर्योधन ने कहा कि खसरे की एन्ट्री लेखपाल नहीं करेगा और वह कार्य अब कानूनगो करेगा। मैं मांग करता हूं कि इस तरह से इन्क्राज रोके जायं क्योंकि इस से तमाम गरीब किसानों का अहित होता है। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि गांवसमाज द्वारा जमीन का जितना अपहरण हो रहा है वह पहले की तरह अब भी जारी है और मैं समझता हूं कि राजस्व विभाग कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकता कि इन तीन मासों में उस को रोका गया है। कोई फर्क नहीं हुआ है, अगर कोई फर्क का नक्शा हमारे सामने आता तो हमें प्रसन्नता होती। गांव समाज की जमीन का बराबर दुरुपयोग हो रहा है और सब से अधिक साजिश इस में लेखपाल के द्वारा होती है। उस की साजिश के बगैर इस तरह के गलत काम नहीं हो सकते हैं। मेरा तीसरा एक सुझाव यह भी है कि धारा २९ बी भी क्या कमाल की धारा है। इंतखा ले लो और फिर कानूनगो और लेखपाल के चंगुल में फंस कर मुकदमा लड़ते रहो। खेत पर कब्जा करे रखो, गैरकानूनी कब्जे को एक कानूनी शक्ल लेखपाल और कानून से मिल जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं नहीं जानता उस समय मुझे सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था, लेकिन वे कहते हैं कि सबसे बड़ा काम जमींदारी एबोलिशन का उनके कर कमलों द्वारा हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों का, छोटे किसानों का और मजदूरों का जिनका कोई सहारा नहीं था उनका क्या फायदा हुआ? श्रीमन्, इन के ३ महीने के कुकर्मों का एक बहुत लम्बा इतिहास है जिसे यहां पर बताने में बहुत समय लगेगा। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)––

मान्यवर, मौजूदा विधान सभा का आज का दिन और जो दिन बीता है, राजस्व विभाग की अनुदानों के सिलसिले में, एक ऐतिहासिक दिन इस प्रदेश में याद किया जायगा। मालगुजारी के सिलसिले में बहुत अर्से से इस बात की चर्चा थी कि मालगुजारी की समाप्ति किसानों के ऊपर से होनी चाहिए थी। यह प्रथा जो ३ हजार वर्षों से किसानों पर लदी हुयी थी, राजाओं के जमाने में, राजाओं के बाद जमींदारों के समय में और जमींदारों के बाद न करशाही के अन्दर, चली आ रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

थी आज उसके सिलसिले में इस राजस्व विभाग का अनुदान पेश करते समय माननीय राजस्व मंत्री ने ६ १/४ एकड़ पर जो मालगुजारी की कमी की घोषणा की है वह इसकी पूरी समाप्ति की ओर एक कदम है । इसलिये आज का दिन इस प्रदेश में ऐतिहासिक दिन होगा । आज विरोधी पक्ष में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, और जो माननीय सदस्य मंत्रि मंडल में रह चुके हैं, उन्हें २०-२५ वर्षों के अन्दर जो मुझे देखने का मौका मिला है और जो मैंने उन्हें देखा है मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया । हजारों लोगों को उन्होंने जेलों में भेजा ।

मैंने माननीय कमलापति जी के भाषण को अखबारों में पढ़ा और सुना । जिस समय १९६० में वे पुलिस मंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने नारा दिया था कि जितनी अलाभकर जोतें हैं उनसे कोई लगान न लिया जाय । उस समय अपने चंदौली के इलाके में, इसीलिए, मुझे एक साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में बन्द रखा । आज वे ही लोग इतनी बड़ी चीजें इस सिलसिले में कह रहे हैं । मुजफ्फरनगर में एक प्रस्ताव पेश हुआ, घोषणा-पत्र निकाला गया लेकिन मैं मुजफ्फरनगर के घोषणा-पत्र की बात नहीं करता हूं । माननीय कमलापति त्रिपाठी जो जमींदारी एबोलिशन कमेटी बनी थी उसके एक सदस्य थे और उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर है कि ६ १/४ एकड़ तक की जो जमीन है वह लाभकर न मानी जाय और उसे अलाभकर मानकर उसकी मालगुजारी का खात्मा होना चाहिए । जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी क्या कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए लोगों ने कभी इस बात को सोचा कि मालगुजारी को समाप्त किया जाय और आज वे लोग जिन्होंने जमींदारी एबोलिशन कमेटी में बैठकर इस कानून को पास किया, कहते हैं कि ६ १/४ एकड़ तक की भूमि को अनार्थिक माना जायगा । यह भी कहा गया कि जो अलाभकर जोतें हैं, उनकी मालगुजारी कम होनी चाहिये लेकिन उस जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद जिसमें यह कहा गया कि छोटी जोतों की मालगुजारी कम होनी चाहिये, कम की जानी चाहिये, मैं कहना चाहता हूं । हमने उस के लिये जेल काटी है, पी० डी० ए० में बन्द रहे हैं, इसलिये मैं ज्यादा जानता हूं । माननीय गेंदा सिंह जी आप ने कलर बदला है इसलिये आपको जानकारी नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । एक दम ऐसी बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जिसका सम्बन्ध इस जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट से नहीं है । कृपा कर के बतावें कि जो हवाला वह दे रहे हैं वह कहां से दे रहे हैं ।

श्री प्रभुनारायण सिंह-

उस कमेटी के सदस्य माननीय कमलापति त्रिपाठी थे कि नहीं ? दूसरे यह कि अनार्थिक जोत की कोई परिभाषा या जो जोत लाभकर नहीं है इस के सम्बन्ध में कुछ जमींदारी अबालीशन कमेटी में कहा गाया है या नहीं । आप देख लें, उस में यह कहा गया कि नहीं कि आज जमींदारी टूटने के साथ जो किसान आज अनार्थिक जोत वाले हैं उनको राहत मिलनी चाहिये ? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लें, शायद ये तीनों बातें उन्हें मालूम हो जायेंगी ।

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि आज यह लोग जिनको अनार्थिक जोतों से मालगुजारी समाप्त हुई, जिस को समाजवादियों ने हमेशा कहा, जिन पर लाठियां बरसायी गयीं, जेलें दीं कांग्रेस सरकार ने, उनको घसीटा गया, ज्यादती की गई, उस के बावजूद भी अनार्थिक जोतों से कांग्रेस सरकार ने मालगुजारी समाप्त नहीं की । उस के बाद मुजफ्फरनगर रिजोल्यूशन । उसके बाद जिस समय हमारे कांग्रेस के भाई मंत्रिमंडल में बैठे और ४ महीने का लेखानुदान लाये उस समय अपने घोषण पत्र के आधार पर इस बात की घोषणा करनी चाहिये थी कि हम अनार्थिक जोतों से मालगुजारी समाप्त करते हैं, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया ।

आज अपने घोषणा-पत्र का खयाल न करके, इसकी बहुत चर्चा करते हैं कि पूरी माफ क्यों नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि सूबे से मालगुजारी समाप्ति के सिलसिले में यह शुरुआत हुई है और जो ५० फीसदी मालगुजारी समाप्त करने का फैसला हुआ यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उत्तर प्रदेश के किसान जो ३ हजार वर्षों से मालगुजारी देते आये हैं उनको इस दासता से मुक्त करने के सिलसिले में यह पहली शुरुआत है जो उत्तर प्रदेश के किसानों को मालगुजारी माफी की तरफ ले जायगी।

माननीय कल्पल्पनाथ सिंह जनसंघ, एस० एस० पी० कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत बात करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर जो लोग लाठियां खाये हैं, जेल गये हैं, घसीटे गये, जो पी० डी० ए० में बन्द रखे गये, लाखों लोग इस प्रदेश में जेल गये, उनको दर्द आपसे कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। इसकी लड़ाई उहोंने लड़ी। और मान्यवर, उन्होंने बहुत जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट की चर्चा की। उनको शायद मालूम नहीं, चौधरी साहब के बारे में चर्चा की, उनको नहीं मालूम कि इस सूबे के किसानों को जो जमींदारी के सिलसिले में १९५२ का ऐक्ट बना अधिवासी के सिलसिले में और जब वह कानून बना कि जो किसान जमीन पर काबिज है, काबिज रहने के साथ यदि उसको बेदखल किया जाता है, उसका नाम नहीं है तो वहां पर मैजिस्ट्रेट जायगा और देखेगा और यदि बेदखल हुआ हो तो उसको कब्जा वापस दिला दिया जायगा। मैं कहता हूं कि जमींदारी एबोलीशन में सीरदारों को बिना ५ गुना दिये हुये जो सीरदारी का हक मिला उसका श्रेय चौधरी चरण सिंह को है, आपको, माननीय कल्पनाथ सिंह जी नहीं है।

धारा २१२ (ए), २२९ (बी) की चर्चा हुई।

२१२ के सम्बन्ध में हम लोग लड़े और फिर २१२-ए चौधरी साहब ने बनाई और यह कह कर बनाई कि जिस ताल और पोखरे की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है उसे बेदखल किया जायगा और इसका श्रेय चौधरी साहब को है, न कि कल्पनाथ सिंह और उनके साथियों को। बेदखली को लेकर जो कानून सन् १९५२ में बना उस समय हम विरोधी दल में थे और हमारी संयुक्त समाजवादी पार्टी ने बराबर इस बात की मांग की कि जो किसान जमीन पर काबिज हैं उनको पूरा हक मिलना चाहिये अधिवासी के रूप में। उस समय कल्पनाथ सिंह भी साथ थे। आजमगढ़ और बनारस में आन्दोलन छिड़ा था। समाजवादियों के आन्दोलन पर चौधरी साहब ने इस बात को माना था कि जो किसान काबिज है, उसको उसका हक रहना चाहिये। अगर किसानों की हमदर्दी की बात होगी और छोटे किसानों की हमदर्दी की बात होगी तो चौधरी साहब पहले श्रेणी में होंगे और आप सब पिछली श्रेणी में होंगे। पहले आप जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट पढ़ें और समझें और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार हड़बोंग भाषण देने से काम नहीं चलेगा।

आज राजस्व मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि सवा ६ एकड़ तक की जोतों पर लगान आधा हो जायगा। हमने यह घोषणा की थी, इस देश से मालगुजारी की प्रथा समाप्त होगी और यह भी घोषणा की गयी कि मालगुजारी का टैक्सेशन रिग्रेसिव टैक्स है, उन्नत मुल्कों में मालगुजारी पर टैक्सेशन नहीं है और जो मुल्क पिछड़े हुए हैं वहीं पर मालगुजारी प्रथा चल रही है। हम यह मानते हैं कि मालगुजारी को जाना चाहिये पूरे तौर से, यह हमारी मान्यता है और उसकी घोषणा भी सरकार की तरफ से कर दी गयी और उसी सिलसिले में यह हमारी पहली किस्त है कि सवा ६ एकड़ की खेती पर से आधी मालगुजारी के खात्मे का आज ऐलान किया गया। हमारे माननीय सदस्य सोचें कि तीन महीने के अन्दर इस सरकार ने क्या किया। ५, ६ करोड़ रुपया मालगुजारी में छोड़ा, २ करोड़ भूमि भवन कर में छोड़ा और १० करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिया। २० करोड़ रुपया इस सरकार ने ३ महीने के अन्दर अपने बजट को ऐडजस्ट करते हुए छोड़ने का फैसला किया और हमारे माननीय सदस्य फिर भी कहते हैं कि इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने ३ महीने में इस प्रदेश की जनता के दुःख

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

दर्द को समझा और उसे समझते हुए सारे मामले को निबटाने की लगातार यह सरकार कोशिश कर रही है।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने पूर्वी जिलों की चर्चा की और वहां के किसानों की तकलीफ की बात कही। सूख की चर्चा की। उस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार की निगाह पूरे तौर से उस तरफ है और उस मसले को देख रही है और उसको अच्छी तरह से हल भी करना चाहती है लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि इसके साथ-साथ सारे प्रदेश की जनता की तकलीफ और परेशानी भी दूर हो और २० साल में जो आपने क ्म किये उनको दृष्टि में रख कर भी हमको वह कार्यवाही करनी है जिससे इस प्रदेश की जनता को राहत मिले और वह कार्यवाही स्थायित्व पाये। हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है कि चूंकि हम सरकार में हैं, इसलिये जिस तरह से हम चाहें कर दें। इस सूबे का हित हमारे ध्यान में है और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यों को नपे तुले तरीके से कर रहे हैं और जो हमारे आश्वासन हैं इस प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ उनको पूरा करना चाहते हैं। ऐसी हालत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज विरोध में बैठने के बाद हमारे माननीय दोस्तों को अनार्थिक जोतें ज्यादा दिखायी पड़ रही हैं। हमें इस बात को खुशी है। यदि वह अपदस्थ न होते तो शायद यह दलील उनके दिमाग में कभी न आती क्योंकि इसके पहले हमेशा उनकी तरफ से यह कहा जाता था, मुजफ्फरनगर प्रस्ताव को छोड़कर, कि ऐसा नहीं करेंगे बल्कि मालगुजारी बढ़ाने की बात करते थे और इसके साथ-साथ किसानों पर कर भार बढ़ाना चाहते थे। आज जब इस सरकार ने उधर कदम उठाया तो हमारे माननीय दोस्त जो कि आज इस बात को समझ रहे हैं कि मौजूदा सरकार निहायत निष्ठा के साथ अपने वायदों को पूरा कर रही है तो उनको परेशानी हो रही है क्योंकि वे समझते थे कि सरकार अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिये शायद बजट को इम्बैलेन्स कर दे, इसीलिये बहुत जोर दिया गया प्रोग्रामों पर। लेकिन मैं उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिन बातों के लिये कमिटेड है उनको पूरा करेगी और हम यह भी साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आज जहां तक हम लोगों का सवाल है हम इस सरकार को किसी भी हालत में गिरने नहीं देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के माध्यम से ही इस प्रदेश की जनता की सेवा हो सकती है।

श्री केशवदेव (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह जो कल से बहस मुबाहिसा हो रहा है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन दोनों पार्टियों में से कोई काश्तकार नहीं है और अगर कोई काश्तकार है तो वह बेचारा बोला नहीं है अभी तक। एक कहावत मुझे याद आती है कि किसी औरत के हाथ ने कड़े बनवाये और वह जिस किसी से बात करे तो कभी यह हाथ दिखाये और कभी वह हाथ दिखाये, मगर किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि ये कड़े कब बनवाये। तब उसने अपने घर में आग लगा ली और कहा कि इधर आग बुझाओ उधर आग बुझाओ। तब एक आदमी ने पूछा कि ये कड़े कब बनवाये। उसने कहा कि अगर यह कल ही पूछ लेते तो मैं क्यों अपने घर में आग लगाती। सरकार अगर यह पूछ लेती कि किसान इस छूट को चाहता भी है या नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान इस छूट को बिलकुल नहीं चाहता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रार्थना करूंगा कि जरा शान्त रहें। हर विचार को सुनना चाहिये।

श्री केशवदेव—

आप हल्ला क्यों मचाते हैं? ईमानदारी से अगर आप पूछें तो चौधरी साहब भी नहीं चाहते थे इसे माफ करना। उन पर तो दबाव डाल कर यह कराया गया। हमें आपको

यह लगान माफी नहीं चाहिये। हमें इस वक्त चाहिये पानी, हमें चाहिये खाद, हमें चाहिये बीज।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण सिंह---

इस पर कटौती का प्रस्ताव वापस हो जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष---

वह अपनी राय दे रहे हैं।

श्री केशवदेव---

श्रीमन्, मैं अपनी राय दे रहा हूं। इधर से और उधर से जो यह लगान माफी की मांग की जा रही है यह तो सस्ती लीडरी की जा रही है। माननीय उग्रसेन जी ने देखने में कोई सुझाव नहीं दिया। पहले मैं किसान वाली बात समझा दूं। आप बताइये कि आज १२ छटांक का गेहूं बिक रहा है, अगर आपने ६ रुपये या १० रुपये सालाना बचत दे भी दी तो उससे क्या होता है। अगर आप देना चाहते थे तो किसान के पशुओं के लिये चिकित्सालय देते, बच्चों की चिकित्सा का प्रबंध करते, ट्यूबवेल देते और बिजली देते। माननीय कृषि मंत्री जी समझ लें कि आपने इस समय बीज के लिये हाईब्रिड बाजरा जो दिया है वह हमको १२ रुपये किलो मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप समस्त प्रोजेक्ट को रोक कर इतना खर्चा अगर आप ट्यूबवेल पर लगा देते तो खाद्य समस्या ही आपकी हल हो जाती। आप काश्तकार के बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध करते। आज तराई क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते हैं। आपने फिर भी स्कूलों की संख्या की बजट में कटौती कर दी है कि एक साल में यू० पी० में सिर्फ ११० स्कूल खुलेंगे। पिछले वर्ष जब मैं ब्लाक प्रमुख था तो एक-एक ब्लाक में तीन स्कूल बच्चों के और तीन स्कूल बच्चियों के---इस तरह से ६ स्कूल खुले थे। लेकिन इस साल मेरे जिले में केवल दो स्कूल ही बांट में आयेंगे। इस तरह से आप क्या सुधार कर पायेंगे? यह आपका पूंजीपति ढंग है। आपका लड़का तो आई ए० एस० हो जायेगा और कोठी में रहेगा और शुरू से ही बाल केन्द्र में चला जायेगा। लेकिन मेरा छोटा बच्चा जिसके चारों तरफ नदी होगी, वह स्कूल नहीं जा सकेगा। वह १४/१५ साल का होने पर पढ़ने जायेगा दूसरे गांव के स्कूल में। तो इसमें कितना बड़ा आयु का फर्क हो गया, यह आप किसान को क्या दे रहे हैं? उनके लिये चिकित्सा का प्रबन्ध कीजिये। भैंस आजकल ८०० रुपये की आती है लेकिन उसकी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध आपने नहीं किया है। अगर आप २५ मवेशियों में से ५ भी बचा पाये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी कसर निकल आयेगी। आप आज लगान आधा करके जो बड़े खुश हो रहे हैं तो क्या आप वही खड़ुवा वाली बात कर रहे हैं?

मैं निवेदन कर दूं। पहले आप सीधा सादा हिसाब समझ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपस में बातचीत कम हो। बहुत व्यवधान हो रहा है।

श्री केशवदेव---

आज की बहस में सूरत शक्ल और शक्ल की बात तक आ गयी है। अगर इसकी तुलना करते हैं तो अपने मंत्रियों को देखिये और हमारे मंत्रियों को देखिये। सूरत, शक्ल और अक्ल सब में फर्स्ट क्लास हैं।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरियाना जी आप बैठ जायं। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चेतराम पचपेड़ा—

अभी-अभी श्री केशवदेव हरियाना आपके समक्ष बोल रहे थे। वह कल कह रहे थे कि हमारे मंत्रियों को देखिए और अपने मंत्रियों को देखिए। तो क्या सदन में दो तरह के मंत्री हैं, एक उनके मंत्री और इधर के मंत्री?

श्री अध्यक्ष—

वह तो पुराने मंत्रियों की बात कर रहे हैं।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

माननीय हरियाना साहब ने कहा कि हमारे और इधर के मंत्री। इसके साथ-साथ यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि वह मंत्री इतने मोटे और चिकने क्यों दिखायी देते हैं और यह इधर के मंत्री इतने दुबले पतले क्यों हैं?

श्री अध्यक्ष—

समझदार के लिये इशारा काफी होता है।

श्री केशव देव—

मैं चौधरी चरण सिंह जी से खास तौर से निवेदन करूंगा, और कृषि मंत्री जी भी जरा देखें कि आपने हाइब्रिड मक्का और बाजिरा, सुनौरा १४, लरमारो जो दिया है उसकी मात्रा के मुताबिक आपको खाद का प्रबन्ध करना है। खाद जितनी आपके देश में निर्यात होती है, और उत्पादन होता है उसको मिला कर अगर हिसाब लगाया जाय तो अलीगढ़ का कितना रकबा है उसको अगर इकट्ठा कर दें तो ऐसे १२ जिलों में ही समाप्त हो जायगी। तो इस वक्त आप खाद की फैक्टरी लगाइये, बिजली लगायें, हम इस बार लगान सवाया करवा लेने को तैयार हैं। मैंने कच्चे ३ बीघे में साढ़े तीन सौ मन गेहूं तैयार किया है, अगर मेरे पास ट्यूब-वेल होता तो सौ मन गेहूं बड़ी आसानी से ज्यादा पैदा हो जाता। लेकिन आप का ध्यान इधर नहीं है। आप लोगों को फुर्सत ही कहां मिलती है। रातभर हमारे विकल जी हमारे कमरों में घूमते रहते हैं। इस कमरे में कौन रहता है? तुम किधर जा रहे हो? तुम हमारी तरफ टूट आओ। अब यह हो रहा है तो किसान की किसको पड़ी है। यह सोशलिस्ट पार्टी को संयुक्त करने में, कम्युनिस्टों को मिलाने में, अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए एक तमाशा लगान रूपी खड़वा का दिखाया है। किसानों की तरफ तवज्जह देनी है तो गांव में जा कर सुनो, पी० डब्लू० डी० के बंगलों में बड़े-बड़े रईसों के यहां दावत खाने से यह चीजें सुनने को नहीं मिल सकतीं। बनारसी दास जी की बात उन्होंने कही। यह बनारसी दास की ही कृपा है कि "तबला बाजे धीन धीन और एक एक पर तीन तीन।" आप रोकिये बनारसीदास को लेकिन एक दो दिन का मामला है, फिर तो जयराम जी होगी ही आपकी सरकार की। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए समय दिया।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने अभी कहा कि तबला बाजे धीन धीन। तो न इधर से न उधर से वैसे ही तबला बजता है धीन धीन जैसे वह बीच में कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मालूम होता है, इसको आप अच्छा समझते हैं।

*गृह उप मन्त्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर आज हम लोग वादविवाद कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे सूबे के लिये एक ऐतिहासिक महत्व का प्रस्ताव है। मान्यवर, यहां से कहा गया कि मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने सवा छः एकड़ तक का लगान माफ करने का प्रस्ताव पास किया। किया अवश्य, लेकिन चुनाव के पहले। मगर उस प्रस्ताव का क्या महत्व है इस पर जरा आप विचार करें। आजादी के ठीक एक साल पहले जयपुर में एक प्रस्ताव पास किया था कांग्रेस ने और उसमें कहा गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, इंश्योरेंश का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मैं उस तरह २० साल की बात नहीं करता। मैं कहता हूं १९४८ में, एक असेम्बली ने नहीं प्रस्ताव पास किया था बल्कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था किन्तु वह प्रस्ताव आज तक रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। बावजूद इसके कि सोशल कन्ट्रोल ओवर बैंक हो, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। ऐसी पार्टी यदि यह कहे कि हमने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया था और अगर हम गद्दी पर रहते तो उसे कार्यान्वित करते, यह बात किसी व्यक्ति की समझ में आने वाली नहीं है। जिसकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क हो, उसकी बात का किसी को कोई विश्वास नहीं हो सकता है।

मान्यवर, कहते हैं मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया—१८ दिन सरकार आपकी बनी, जिस एक बात पर कांग्रेस सरकार गिरी वह था राज्यपाल का अभिभाषण। उसके अन्दर चार आने की छूट दी गई—अगर मुजफ्फरनगर के प्रस्ताव का कोई अर्थ था आपके विभाग में तो उसी प्रस्ताव में सवा छः एकड़ के लगान की छूट का ऐलान किया जाता। यह कटौती के प्रस्ताव का आडम्बर नहीं है तो क्या है। फिर आडम्बर किसे कहते हैं। फिर आडम्बर दुनिया में होता क्या है?

मान्यवर, एक लांछन यह लगाया जाता है कि हम ने सवा छः एकड़ का प्रस्ताव रखा था १९ सूत्री प्रोग्राम में और हमने उसका आधा ही किया है इस वक्त। मान्यवर, आज भी कांग्रेस की जो नीयत है, उससे स्पष्ट है कि जो कांग्रेस के भाई गरीब जनता के बड़े चैम्पियन बन कर बातें करते हैं वह एक तरफ इसी पार्टी ने एक बजट रखा है जिसमें टैक्स बढ़ाये गये हैं, हमारी पार्टी ने टैक्स बढ़ाये नहीं, एक गरीब जनता को कितनी बड़ी राहत है। हमने १० करोड़ रुपया आज कर्मचारियों को दिया और भूमि भवन कर माफ कर दिया तथा ५० प्रतिशत के क्रम से हम चल रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। इस तरह की बातें केवल इसीलिये तो कही जाती हैं कि आज आप सत्तारूढ़ नहीं हैं, आप शासन में नहीं हैं तो इसका कोई क्या करे, आपने जो किया उसका ही यह नतीजा है।

कहा गया कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आज शामिल हैं, इसके अन्दर जनसंघ और जन-कांग्रेस शामिल है, इनके साथ तुम प्रगतिशील लोग क्यों शामिल हो। यह सोशलिस्ट बजट है या कम्युनिस्ट या पूंजीपतियों का? इस तरह की बातें यहां पर कहीं गईं। मैं, मान्यवर, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह सरकार संयुक्त विधायक दल की सरकार है, न यह कम्युनिस्ट की सरकार है, न जनसंघ की सरकार है, न यह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार है, न रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। यह संयुक्त विधायक दल की सरकार है। वह १९ सूत्री प्रोग्राम के आधार पर बनी है। आज आप कहते हैं कि यह तो अवसरवादिता है। यह अवसरवादिता नहीं है, यह हमारी जनता का मैनडेट है। १९६७ के चुनाव का जो फल निकला उसका मतलब यही था कि जनता कांग्रेस को नहीं चाहती, जनता ने कांग्रेस को रेजेक्ट किया और जनता ने बहुमत कांग्रेस को नहीं दिया। साथ-साथ यह भी सही है कि जनता का दिमाग इतना साफ नहीं रहा इस सवाल पर....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रुस्तम सैटिन]

जनता ने कांग्रेस के विपक्ष में किसी एक पार्टी को चुना नहीं। सन् ६७ के चुनाव का जो पैटर्न है वह बड़ा विशेष और पेटेन्ट है। जनता ने यह निश्चय कर लिया था कि किसी भी हालत में कांग्रेस को शासन में नहीं जाने दिया जाएगा और वह परिणाम निकला। यह सही है कि जनता ने कांग्रेस के मुकाबले में किसी दूसरी एक पार्टी को नहीं जिताया लेकिन हम सबसे कहा कि तुम चलो और कांग्रेस को हटाओ। हम सात पार्टियों के लिये कहा गया कि हमारा रास्ता साफ नहीं है। रास्ता है और वह जनता ने दिखाया है कि कांग्रेस को नहीं जीतने दिया जायगा और उसे शासन नहीं करने दिया जायगा। कहा जाता है कि एक तरफ कम्युनिस्ट, दूसरी तरफ जनसंघ है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, रिपब्लिकन और जनकांग्रेस है और सही बात है कि हममें पोलिटिकल सिद्धान्तों के मतभेद हैं मगर जनता ने हम सबको कांग्रेस के विरुद्ध चुनकर भेजा और कहा और मैनडेट दिया कि तुम लोग शासन बनाओ और हमने सरकार बनायी और यदि हम अपने अपने सिद्धांतों पर सरकार बनाने का प्रयास करते तो सरकार नहीं बन पाती और जनता का वह मैनडेट फ्रस्टेट हो जाता। हमने कहा कि जनता राजा है, उसका फैसला शिरोधार्य है और हमने एक रास्ता निकाला और वह यह है कि जिन सवालों पर मतभेद न हो, जिन सवालों पर हम एकमत हो जायं उनको हम निश्चित करें और एक सरकार बनावें।

हमने १९ सूत्री कार्यक्रम बनाया और यह सरकार उन कार्यक्रमों के अनुसार जनता के मैनडेटों को पूरा कर रही है। जनता ने हमसे कहा था कि कांग्रेस ने इन २० सालों में जो घाव हम पर लगाये हैं उन घावों पर पहले मरहम लगाओ, पहले इनको ठीक करो और हमें अपने पैरों पर खड़ा करो और उसके बाद हम यह फैसला करेंगे कि कौन इस देश का शासन करेगा और कौन नहीं करेगा। और इस लिये इस देश के अन्दर जितने भी लोग इस देश की जनता को बचाना चाहते थे कांग्रेस के कुशासन से उन्होंने मिलकर एक फैसला किया था जनता के कष्टों को दूर करने के लिये और हम उन पर ही आज शासन चला रहे हैं। हमारे अन्दर उस मामले में मतभेद नहीं है। हम तो रात दिन सुना करते थे मान्यवर, कि गुप्ता जी कभी कमलापति जी को पटक रहे हैं और कभी कमलापति जी गुप्ता जी को पटक रहे हैं और फिर कभी दोनों मिलकर सुचेता जी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो आपकी एकता थी कि एक पार्टी में रहते हुये आप एक नहीं हुये थे और हर एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा था और यही कारण था कि आप सरकार में नहीं आ सके। आप शासन से किस लिये अलग किये गये? क्योंकि आपने जनता का कोई काम नहीं किया, आपने जनता की तरफ देखा नहीं। आपने कुछ बड़े-बड़े पूंजीपतियों की तरफ देखा। किस लिये देखा कि ६५ लाख की थैली मिल जायगी तो प्रदेश का शासन संभल जायगा। माननीय गुप्ता जी ने एक दिन भाषण में कहा था कि थैली उसको मिलती है जिसका जनता सम्मान करती है। ६५ वर्ष में ६५ लाख की थैली किस लिये दी गयी है। (बहुत सी आवाजें—इसलिये कि जनता उनसे प्यार करती थी।) क्या महात्मा गांधी जी को जनता प्यार नहीं करती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जनता प्यार नहीं करती थी? कभी पंडित नेहरू को ७० वर्ष की अवस्था में ७० लाख की थैली नहीं दी गयी, क्यों? क्या इन दोनों से अधिक गुप्ता जी जनप्रिय थे इसलिये इनको थैली दी गयी? मान्यवर, यह सोचने की बात है। इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश और प्रदेश को बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है और बेचने का दाम उसको मिलता था और उसी बेचने का आज नतीजा है कि गद्दी इनके हाथ से चली गयी। इनको सोचना चाहिये कि ये थैलियां इनके गले में नाग बन गयी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री दत्ता, आप बैठिये, आप जोर से बोल रहे हैं।

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, आज समाजवाद का पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है। उसके लिये तो हम मुद्दतों जेलखाने की हवा खाते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर शास्त्री। आप आपस में शास्त्रार्थ क्यों कर रहे हैं।

श्री रुस्तम सैटिन—

कल कमलापति जी कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़ाई के जमाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। (व्यवधान) आपने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने माननीय सदस्य हैं उनकी अंग्रेजी राज्य काल की जितनी जेल की सजा है उसको जोड़ लिया जाय और कम्युनिस्ट पार्टी के सेन्ट्रल कमेटी के जितने सदस्य हैं उनकी कांग्रेस सरकार के काल की जेल की सजा जोड़ ली जाय, अगर उनकी दुगुनी न निकले तो मैं इस बात को मान जाऊंगा।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाजहांपुर)—

अभी जो ४ चुनाव हुये हैं इस हाउस के उनके विषय में आपके दल के क्या विचार हैं वह भी तो प्रकट करें।

(व्यवधान)

श्री रुस्तम सैटिन—

श्रीमान् जी, उन्होंने क्या कहा मैं कुछ सुन नहीं पाया। इसलिये उनका जवाब देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। हमने जो आज छूट दी है ५० फीसदी उसके लिये आपको सचमुच बधाई देनी चाहिये। जो कार्य आप नहीं कर सके मैं नहीं कहता कि २० वर्ष की हकूमत में नहीं कर पाये बल्कि जो मुजफ्फरनगर प्रस्ताव के बाद भी नहीं कर सके जिसको कहते हुये माननीय सदस्यों के गले नहीं थकते हैं, केवल ४ आना लगान माफ किया तो उसके लिये आपको बधाई देनी चाहिये कि हमने ५० फीसदी छोड़ा। कुछ भाइयों ने कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। वे कर सकते हैं मगर मैं कहता हूं कि चाहे यह मात्रा कितनी ही हो लेकिन गरीब जनता के लिये छोटे काश्तकार के लिये इसका बहुत महत्व है। हमारी जो पालिसी पूरे लगान को माफ करने की है हम उस ओर बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारी सरकार पूरा लगान क्रमशः इसी प्रकार से माफ करेगी और इस तरह से एक नया वातावरण प्रान्त के अन्दर उत्पन्न करेगी।

मान्यवर, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे को गिराने की कोशिश छोड़ दें। मान लीजिये कुछ लोग प्रलोभनवश खरीदे जायं या प्रलोभनवश मिलाये भी जायं. . . . . (व्यवधान) यह सरकार केवल तीन तरह से टूट सकती है। पहली बात तो यह है कि यह सरकार जनता का विश्वास खो दे। मगर आज जनता यह नहीं चाहती है कि यह सरकार टूटे। दूसरा तरीका यह हो सकता है इस सरकार के टूटने का कि पार्टियों में आपस में मतभेद होकर अलग अलग हो जायं। मगर १९ सूत्री कार्यक्रम उनके लिये एक ऐसा दृढ़ सिम्बल है जिसमें सब साथ हैं इसलिये टूट नहीं सकती हैं। तीसरा तरीका जो इस सरकार को तोड़ सकता है जिसको आप होशियारी के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिये कार्लटन होटल में बिड़ला का आफिस भी खुल गया है आपकी मदद के लिये, अगर मान लीजिये इस प्रकार से प्रलोभनवश तोड़ेंगे तो क्या होगा? होगा यह कि इस प्रदेश की जनता यह महसूस करेगी कि उसके जनतान्त्रिक अधिकारों को चुनौती हुई है। याद रखिये कि तब तो १९८ ही आये थे लेकिन इस कार्य से अगले चुनाव में इतने भी चुनकर नहीं आयेंगे।

श्री गेंदासिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर कल से बहस हो रही है और मैं ऐसी उम्मीद करता था कि जिन बातों को इधर से उठाया गया था उन बातों का कोई उत्तर मिलेगा। श्रीमन्, मैंने तो अपने पूरे भाषण में किसी राजनीति की चर्चा नहीं की। अगर भूल से हो गयी हो तो

[श्री गेंदासिंह]

में नहीं कह सकता। मैंने इस अनुदान में जो सबसे प्रमुख बातें थीं उनकी तरफ सदन का ध्यान दिलाया था।

श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई विधान परिषद् का सदस्य इस माननीय सदन में आकर कंवेसिंग कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यहां आ ही नहीं सकते हैं। यह बिलकुल अनुचित है। अगर कोई माननीय सदस्य सदन के अन्दर हों तो कृपया बाहर चले जायं।

श्री राजबहादुर द्विवेदी--

मेरी सूचना है कि दो माननीय सदस्य जिस में एक श्री गोपाल नारायण सक्सेना हैं, यहां घूम रहे हैं और दूसरे का नाम..... (व्यवधान)

जश्री अध्यक्ष--

यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना दी। यह जो विधान सभा का मंडप है इसके अन्दर आप कह रहे हैं?

श्री राजबहादुर द्विवेदी--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

तो वह जहां हों, मुझे बतायें। अगर कोई विधान परिषद् के सदस्य यहां बैठ गये हों तो वह स्ट्रेंजर की परिभाषा में आते हैं और उनका होना यहां अनुचित होगा। अगर विधान परिषद् के कोई सदय, जो इस विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, अगर यहां हों तो फौरन चले जायं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

भाई राजबहादुर जी ने जो बात कही है वह शायद इसलिये कि कुर्सी हिल रही है। अगर हवा भी आ जाय तो उन को खतरा हो जाता है। इसलिये वह इस प्रकार की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजबहादुर द्विवेदी, अब तो आप संतुष्ट हैं? अभी भी कोई है?

श्री राजबहादुर द्विवेदी--

चले गये।

श्री अध्यक्ष--

आपके कहने के बाद।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

इस प्रकार का निराधार आरोप लगाना बहुत ही अनुचित है।

एक सदस्य--

मुझसे तो उनसे दुआ सलाम हुई है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आशा करता हूं कि जो माननीय सदस्य कोई बात कहते होंगे तो कुछ जिम्मेदारी के साथ ही कहते होंगे। आप बैठें।

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)--

श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य को दबारा कभी देखा जाय तो क्या पकड़ लें? अगर ऐसा हो तो क्या आम जनता के साथ जो सदन में आ जाती है, उस के लिये जो दंड है क्या वही व्यवहार माननीय सदस्य के साथ भी होगा?

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी काल्पनिक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस समय भी, आज या कभी कोई सज्जन जो यहां के सदस्य नहीं हैं, वह दिखायी पड़े, चाहे वह परिषद् के सदस्य हों, चाहे वह जनता के सदस्य हों या किसी बड़ी सभा के सदस्य हों, वह इस सदन के लिये स्ट्रेंजर की परिभाषा में आते हैं और इस लिये उन का यहां रहना अनधिकृत है। मैं उस के लिये उचित कार्यवाही करूंगा, लेकिन इस सदन के सदस्यों को तो सभ्यता स आचरण करना पड़ेगा। आप पकड़ें नहीं, मेरा ध्यान आकृष्ट करें। आप कृपा करे के बैठ जायं। आपस में बात न करें।

श्री गेंदासिंह--

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अनुदान सम्बन्धी जो बात थी जिसकी तरफ मैं सरकार और माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं उस पर कम से कम और लोगों का भी ध्यान जाय। सरकार का ध्यान तो जायेगा ही और सरकार की तरफ से जो लोग बोलेंगे उसका उत्तर देंगे। लेकिन श्रीमन्, कई भाइयों ने व्याख्यान दिया और उसकी शुरूआत माननीय झारखंडे-राय जी से हुई जो सरकार के सदस्य हैं। उन्होंने उस बहस को कुछ दूसरी दिशा में डाल दिया। मैं श्रीमन् उस झागड़े में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो बनी है वह इस बात को मान कर बनी है कि कांग्रेस सरकार से वह अच्छा काम करने वाली होगी। और इसमें भी सन्देह नहीं कि अगल अलग पार्टीज ने अपने अलग अलग चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किये। जब चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित हुए तो स्वतंत्रपार्टी और जनसंघ को छोड़कर बाकी सब ने कांग्रेस से आगे होने का दावा किया। श्रीमन, एक एसा वक्त आया जब कि सब को बैठ कर एक निर्णय करना पड़ा और अपने चुनाव घोषणा पत्र में कुछ नरम गरम होकर एक समझौता करना पड़ा और फिर जब एक संयुक्त विधायक दल बना तो उसने अपना एक न्यूनतम कार्यक्रम ३५ आइटम्स का बनाया। उस समय सरकार बनाने का कोई इमकान तो था नहीं लेकिन जिस समय ऐसा हुआ कि ये दल में इकट्ठा हो जांय तो उस वक्त कुछ कार्यक्रम बनाया गया और यह सोच समझ कर बनाया गया कि ३५ आइटम्स वाले कार्यक्रम को चलाया नहीं जा सकता है, इसलिये १९ प्वाइंट का कार्यक्रम बनाया गया। मैं किसी से प्रश्न नहीं करता लेकिन कुछ लोगों से मैं कहना चाहता हूं और खासतौर से अपने बड़े भाई झारखंडे राय जी से कि उन्होंने हमें इस तरह का कोई इम्प्रेशन नहीं दिया कि १९ प्वाइंट का कार्यक्रम १०–१५ वर्ष तक जब कि वे शायद रहें या न रहें तब पूरा होगा। मैंने यह समझा कि १९ प्वाइंट का कार्यक्रम उन लोगों न बनाया है जिनकी उसमें आस्था है और जो बीस साल के कांग्रेसी शासन से ऊबे हुए हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस से इस देश को छुटकारा मिले। इसके लिये सिवा १९ प्वाइंट के कार्यक्रम के और कोई रास्ता नहीं है। उस १९ प्वाइंट वाले कार्यक्रम का सबसे पहला आइटम यह था कि मालगुजारी माफ कर दगे, पूरी मालगुजारी माफ कर देंगे। अब यह बात कही जाती हैं कि चूंकि मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास कर दिया था इसलिये अभी पूरा का पूरा तो माफ नहीं होगा। अब तो सवा ६ एकड़ तक का आधा माफ करेंगे।

[श्री गेंदासिंह]

मैं बहुत अदब के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रभु नारायण सिंह उस समय नहीं थे जब कि माननीय मलिखान सिंह जी बोल रहे थे । उनकी शिकायत थी कि हम लोगों ने आज से कई वर्ष पहले आधा लगान माफ करने का प्रस्ताव किया था और हम सब ने इसका विरोध किया था । ठीक है, उन दिनों माननीय प्रभुनारायण सिंह जी और हम सब एक ही दल में थे और हमने कहा था कि सब मालगुजारी माफ न की जाय । हमने कहा था कि जो बिलकुल गरीब हैं उन्हीं की पूरी मालगुजारी माफ करनी चाहिये लेकिन जो लोग ऊपर के हैं और खेती से ज्यादा धन पैदा करते हैं और उसी से अपनी गुजर बसर करते हैं उनकी मालगुजारी न माफ की जाय । लेकिन माननीय प्रभु नारायण सिंह, झारखंडे राय जी, माननीय मंगलदेव जी और हमारे नौजवान मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी की अक्ल में वह बात नहीं आयी और आधी मालगुजारी माफ करने की बात उन्होंने मान ली । यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जमींदारी अबालीशन के वक्त भी मालगुजारी को माफ करने के हक में नहीं थे । इस पर मैंने माननीय प्रभुनारायण सिंह को टोका लेकिन वे इतने नाराज थे कि हमारी आवाज दब गयी । माननीय प्रभुनारायण सिंह तथा दूसरे अन्य मंत्री साहबान को इसके पहले मैंने कभी इतनी कड़ी आवाज में बोलते हुए नहीं सुना । वे कभी पब्लिक मीटिंग्स में भी इतनी कड़ी आवाज में नहीं बोलते थे । माननीय झारखंडे राय जी ने जब बोलना शुरू किया तो हमने समझा कि हमीं लोगों को सऊर से बैठ कर सुनना चाहिये । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यह जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें । वह तो पढ़े-लिखे आदमी हैं, मैं उनसे पढ़ता था, लेकिन यहां हमसे पढ़ना पड़ता है । तो उसके पेज ५९० को पढ़ लें । इसमें सर्व-सम्मत राय यह है कि हम नहीं सिफारिश करते कि अलाभकर जोत से मालगुजारी देन से एकदम मुक्त कर दिया जाय । उसमें यह कहां है कि सब माफ कर दी जाय ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि अलाभकर जोतों के संबंध में जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में एक बात कही गयी है और साथ ही साथ जो जोतें अनार्थिक हैं उनपर मालगुजारी को कम होना चाहिये। यह बात मैंने कही, पूरे की बात मैंने नहीं कही ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो समझने और कहने में फर्क की बात है ।

श्री गेंदासिंह—

मैं यह कह रहा हूं कि सिफारिश आपने की थी और जमींदारी अबालीशन कमेटी जिसके एक बड़े माननीय सदस्य मुख्य मंत्री आज के हैं उनकी प्रेरणा थी । सर्वसम्मति से माना गया आपके इस मत के अलग रहते हुए कि १० एकड़ अनइकोनामिक होल्डिंग है, आपने सवा छः एकड़ को अनइकोनामिक होल्डिंग कहा था । अगर कराची प्रस्ताव कहता है कि मालगुजारी माफ करो गरीबों की, अगर कांस्टीट्यूशन कहता है, अगर डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल आफ स्टेट पालिसी कांस्टीट्यूशन की कहती है कि इकोनामिकली जो भी बैकवर्ड हों उनको मुक्त करो तो हम कहते हैं कि सवा छः एकड़ से मुक्त कर दो । सबेरे फूलसिंह जी ने कहा था, दिक्कत यह है कि प्रभुनारायण जी और दूसरे लोग थे भी नहीं । क्या यह बात सही नहीं है कि ५४ में से २२ जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि ११ की तो प्रति व्यक्ति आय १४६ रुपये से कम है और ११ की आमदनी १४६ और १७०-१७२ के बीच में है ? तो अगर पंजाब और हरियाना ५ एकड़ की मालगुजारी माफ कर, मद्रास माफ कर दे, हमारा पड़ोसी मध्य प्रदेश साढ़े ७ एकड़ की माफ कर दे.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठें। अगर कोई ऐसे सज्जन इस सदन में हैं तो उनको फौरन बाहर जाना चाहिये, यह बहुत अनुचित है। आप अपने हाथ में व्यवस्था न लीजिये। माननीय सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठें।

(श्री गोपालनारायण सक्सेना, एम० एल० सी० जो संविद सदस्यों द्वारा धिरे हुए बाहर जा रहे थे, उनकी ओर [देख कर)

यह अनुचित है, आप कृपया फौरन बाहर चले जायं। (व्यवधान)

मैं फिर बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा, इस विधान सभा मंडप में किसी ऐसे सदस्य का जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, रहना अनुचित है। मैंने अभी एक माननीय सज्जन को देखा, माननीय गोपालनारायण सक्सेना को, मैंने कह दिया, वह बाहर चल गय। मैं समझता हूं, इस समय इतना काफी है। अगर इसमें कोई कठिनाई उपस्थित होती तब म देख सकता था।

श्री रुस्तम सैटिन—

मान्यवर, बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले इसकी शिकायत हो चुकी थी और उस वक्त वह चले गये और शिकायत पर आपने आश्वासन दिया और इसकी जानकारी क बाद स्वयं दूसरी बार वे आये हैं। तो केवल कह देना ही काफी नहीं है, इसका अधिक नोटिस लिया जाना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नियमों में यह है कि अगर कोई अजनवी सीट पर बैठेगा तो उस पर जुर्माना किया जायेगा। श्रीमन्, विधान परिषद् का भी हमारा अनुभव है, हम लोग वहां पर भी जाते हैं और वहां भी पीछे से निकल कर लाबी में चले जाते हैं। यहां पर भी अब तक यही रहा है कि पीछे स निकल कर लाबी में चले जाते हैं, यदि विधान परिषद् के सदस्य आते हैं तो। माननीय मंत्री जी के चपरासी और अधिकारी भी अक्सर यहां आते हैं। मगर सीट पर कोई नहीं बठते, सीट पर बैठने में जुर्म है। अब विधान परिषद् के सदस्य पीछे से निकल कर बाहर चले गये, तो जिस तरह से उनको अपमानित किया गया यह गलत था और उनके साथ न्याय होना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि लाबीज की गैलरीज में एम० एल० सीज० आते रहे हैं और वहां बैठते रहे हैं। लाबीज में आन का उनको अधिकार है। गोपाल नारायण सक्सेना जी विधान परिषद् के सदस्य हैं, (व्यवधान) म आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो परम्परा चली आ रही है वह जारी रहे। हम लोग भी विधान परिषद् में जाते रहते हैं। उनको आपका प्रोटेक्शन मिलना चाहिये।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व मैंने ही आपसे श्री गोपाल नारायण सक्सेना के बारे में शिकायत की थी, आपकी व्यवस्था को सुन कर वे लाबी में भाग गये। आपने उस वक्त यह कहा था कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उच्च पद पर क्यों न हो, अगर आता है तो वह स्ट्रेंजर की तरह है। आपने उसको लाउड स्पीकर से कहा था, और मैंने भी शिकायत लाउड स्पीकर से की थी, जिसको सुन कर वे लाबी में चले गये, ५ मिनट बाद वे फिर घूमत हुये आ गये और मैंने आपके सामने उनको पेश किया। इस समय परिस्थिति दूसरी है, सदन के

[श्री रमावल्लभ मिश्र]

अन्दर डिवीजन होने जा रहा है। अगर कोई स्ट्रेंजर आता है तो वह किसी भी एबसेन्ट मेम्बर की जगह ले सकता है .....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं आपका संकेत समझ गया।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर अपनी निश्चित व्यवस्था दें। माननीय गोपाल नारायण सक्सेना, एस० एस० पी० के मेम्बर हैं जो कि एस० वी० डी० में शामिल है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, अगर वे यहां किसी कुर्सी पर बैठ जाते तब तो दोषी थे, वरना मैं १५ साल से देख रहा हूं, यहां यह परम्परा रही है कि लाबीज में विधान परिषद् के माननीय सदस्य आते रहे हैं और अगर माननीय सक्सेना जी भी आये तो इसमें नियमों की कोई अवहेलना नहीं हुई है। इनको तो मान्यवर, इस वक्त अपनी परछाई से भी डर लग रहा है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

मैं एक नयी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य वे चाहे इधर के हो या उधर क हों, आवेश में आकर यदि कोई बात करते हैं तो वह उनके लिये भी घातक होती है और हमार लिय भी घातक होती है। जो काउन्सिल के सदस्य हमारे यहां आते हैं पीछे स निकलकर चले जाते हैं। जब हम काउन्सिल में जाते हैं तो उनकी गैलरी में और लाबी में जहां जान का कोई रास्ता नहीं है, हाल से ही निकल कर जाते हैं। हमारे साथ भी यह बर्ताव होने लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे हमारा पारस्परिक सम्मान घटे।

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के खड़े होने तथा तदुपरान्त बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसमें आगे वाद विवाद नहीं चाहूंगा। मैं बहुगुणा जी का आभारी हूं। हर विषय पर पांच-सात-आठ आदमियों को बोलने का अवसर दिया जाय जब समय कम हो, यह सम्भव न होगा। आज जो सदन के सामने प्रश्न आया है, उस पर मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि किसी तात्कालिक आवेश में संयम को न छोड़ा जाय। जैसा मैंने अभी कहा यह अनुचित है कि इस सदन में सभा मंडप के अन्दर कोई ऐसे सज्जन जो इस विधान सभा के सदस्य न हों, आयें। लेकिन जहां तक नियमों का संबंध है, नियमों म इस विधान मंडप के अन्दर आना वर्जित है और उन जगहों में केवल जो विधान सभा के सदस्यों के उपयोग के लिये हैं उसम भी वर्जित हैं उनमें दोनों लाबीज भी आयी हैं। लकिन मुझे ऐसा मालू हुआ कि लाबीज में दूसरे माननीय सदन के सदस्य आते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा कभी होता रहा है कि पीछे से निकल जाते हैं। तो इसमें (डाक्टर रमावल्लभ को सम्बोधित करके) वह यह कह रहे थे कि मैंने कहा था कि अनुचित है और पकड़ कर मेरे सामन पेश कर दें और मैंने दंड देने का आश्वासन दिया था, मैं क्या दंड दे रहा हूं आदि। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस सदन में एक शब्द कहा जाना बड़ा महत्व रखता है। मैंने माननीय गोपालनारायण सक्सेना का नाम लिया और मैंने कहा उनका सभा मंडप में रहना अनुचित है। पीछे से जाना पहिले जैसा बताया जा रहा था कि ऐसा होता रहा है, अगर पीछे से आयेंगे तो उस पर एतराज नहीं हुआ। लाबीज के बारे में मैंने स्वयं देखा दूसर सदस्यों को बैठे हुए, उस पर एतराज नहीं हुआ है। अगर एतराज होता है, तो भविष्य में नियमों का पालन होगा और उस पर बाद में व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस सदन के सभा मंडप में मैं आज के बाद यह निश्चित रूप से चाहता हूं, यह बात सब लोग समझ लें कि जो इस सदन के सदस्य हैं वे ही अधिकृत हैं या वे व्यक्ति या कर्मचारी जिनको अधिकार दिया हुआ है। मैं एक बात और सदन

की जानकारी के लिये बताऊं कि ऐसी भी परम्परा रही है कि माननीय मंत्रिगण के चपरासी और क्लार्क यहां आया करते थे। उनको बिल्कुल रोक दिया गया है और आदेश दिया गया है कि माननीय मंत्री का चपरासी, वैयक्तिक सहायक, माननीय मंत्री का कोई क्लार्क यहां नहीं आ सकता। हमारी विधान सभा के जो कर्मचारी हैं उनका माननीय मंत्री प्रयोग कर सकते हैं। उनके द्वारा अपनी फाइल मंगवा सकते हैं, भेज सकते हैं। यह भी विचार कर आदेश दे चुका हूं। अब इस विषय को समाप्त करते हैं।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं यह कहा था कि सारे भारत में आज इस बात को स्वीकार किया जायेगा और सारे एक्सपर्ट लोगों की राय है कि उत्तर प्रदेश गरीब है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे और वे फाइनान्स में हम सभी लोगों से वे ज्यादा जानकार हैं। हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है वह २४३ रुपया जो माननीय वित्त मंत्री ने कहा उसके अनुसार है। २४३ रुपया तो औसत है। इस सूबे में जो गरीब आदमी हैं और जो एक आधा दो एकड़ इस तरह के लोग हैं वे इस २४३ में नहीं आते हैं। वे तो उस जगह पर हैं जो सचमुच स्टार्व करते हैं। सवा छः एकड़ तक वालों को आधा माफ करना खींचतान की बात है। आपको भी व्यवस्था करने में दिक्कत होती है कि किस तरफ कितनी ताकत है। माननीय झारखंडेराय जी चले गये, रूस्तम सैटिन, प्रभुनारायण सिंह जी और प्रताप सिंह बैठे थे। इनसे मैं कहना चाहता हूं कि २० बरस से किसानों का मामला अटका रहा यद्यपि कराची प्रस्ताव पास करके कांग्रेस उनको मदद करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। चौधरी साहब भी उसमें शामिल थे। क्या कठिनाई थी उसमें, वह बतलावेंगे। अगर बिना मुंह वाले किसानों का काम नहीं हुआ तो जितनी ही सरकार अपने को मजबूत समझेगी उतना ही वह काम ठंडा पड़ेगा। गांव की जमींदारी अबालिश हो गई। बहुत से वायदे पड़े हुए हैं। मैं समझता था कि जो काम सबसे पहले होना चाहिये था उसमें झारखंडेराय जी सुलह नहीं करेंगे। आज उन्होंने सुलह की। प्रभुनारायण जी को शायद न मालूम हो, हमारे छोटे भाई राजनाराण जी ने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा अगर एस० वी० डी० १९ प्वाइंट प्रोग्राम को पूरा नहीं करेंगी। मैं उदितनारायण जी से सभी कहना चाहता हूं कि क्या कभी भी जनता के हित में डिसिप्लिन नहीं तोड़ियेगा। इस समय आप डिस्पिलन तोड़िये और खड़े होकर एलान कीजिये कि सवा ६ एकड़ तक हम माफ करते हैं पूरा लगान। भले ही आपको ये लोग निकाल दें लेकिन जनता आपको वहां बैठावेगी। जनता के हित में आप कुर्सी को बलिदान कीजिये। मैंने अपने एक अगुवा से अपील की है क्योंकि मैं समझता हूं कि आज भी उनके मन में हमारे लिये स्थान होगा। जब पंजाब माफ कर सकता है, हरियाना माफ कर सकता है, मदरास कर सकता है, मध्य प्रदेश करसकता है और हमारा पड़ोसी बिहार माफ कर सकता है और चौधरी साहब को मालूम है कि बिहार की अवस्था हमसे कितनी गिरी हुई है, मैं यहां उनके लिये कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि बिहार की अवस्था में और हमारी अवस्था में कितना जमीन आसमान का अन्तर है, अगर वह पूरी मालगुजारी माफ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप करें तो इससे कितना घाटा पड़ेगा? कुल मिलाकर लगभग १०,–११ करोड़ रुपया आपको माफ करना पड़ेगा। आप हमसे पूछिये, हम आपके साथ बैठने के लिये तैयार हैं, हम आपको बतावेंगे कि यह ११ करोड़ रुपया कहां से आ सकता है। हम आपकी थैली में डाल देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य इस तरह से न बोलें, शांति रखें!

श्री गेंदासिंह--

११ करोड़ रुपयें में १ करोड़ ५ लाख परिवारों को राहत चौधरी साहब देंगे और उन से उन की दुन्दुभी बजगी। सारे सूबे में ..... (व्यवधान)

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

यह आप गुप्ता जी से पूछिये।

श्री अध्यक्ष--

राकेश जी, आप बैठें, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह विधान सभा है।

श्री गेंदासिंह--

मैं तो कोई छेड़ने वाली बात कभी नहीं करता। मैं तो केवल अपील करता हूं कि हम कल ही कमेटी में बैठने को तैयार हैं और उस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार हैं कि जिस से हम बता देंगे कि ११ करोड़ रुपया कहां से निकालने का रास्ता होगा और केवल दो तीन मुहकमों को देखने से ही काम चल जायगा। मालगुजारी के संबंध में तो केवल मेरी इतनी ही अपील थी।

दुर्भिक्ष के मामले में चौधरी साहब कल नहीं थे, आज मैं उनसे नम्र प्रार्थन करूंगा कि दुर्भिक्ष में इस वर्ष हमारा सूबा फंसा है लेकिन उस को अपनी आंख से चौधरी साहब ने अभी तक नहीं देखा। मैंने उन से अपील भी इस के लिये की। लेकिन जब वह मुख्य मंत्री नहीं थे तब उन्होंने देखा था और देखने के बाद उन्होंने उनकी मदद भी की लेकिन आज मुख्य मंत्री की कुर्सी से वह वहां तक जाकर देखना पसन्द नहीं करते। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आज दो तीन करोड़ की आबादी इस मुसीबत में फंसी है। हमने चार्ज किया माल मंत्री को कि १०५ मौतें हुई हैं जो सिवरई ब्लाक में हुई हैं, हिसाब दिया जब कि पिछली मई में २२ हुई थीं और उस वर्ष अप्रैल में ४० मौतें हुई। इस साल मई में १०५ मौतों का कारण होना चाहिये। जिस स्थिति में एस० एस० पी० के लोगों ने लिखा है कि तुम्हारे इलाके में भुखमरी है, वह अकेले देवरिया में ही नहीं है बल्कि उधर दो तीन करोड़ की आबादी इस मुसीबत में फंसी है। अन्त में मैं कहूंगा कि आज आप गरीबों की मदद नहीं करते और अगर भारत सरकार दस, बीस या ५० करोड़ रुपया दे ा चाहती है वह आप नहीं ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ११ करोड़ की सहायता के लिये कहा--उस वक्त भारत सरकार के अफसर यहां आये थे अ र चौधरी साहब चाहें तो मैं उ की रिपोर्ट उनकी सेव में रख दूंगा। १ करोड़ रुपया टेस्ट वर्क का रखा गया लेकिन कहा गया कि उस की जरूरत नहीं है। बिहार को इसी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने ५४ करोड़ रुपया दिया गरीबों की मदद के लिये। यह गरीबों की मदद नहीं होती है बल्कि वह एक स्थायी सिलसिला गरीबों की गरीबी को दूर करने का होता है। यह उधर की एक स्थायी बीमारी है और २०-२५ जिले के लोग खाने के बिना मरते हैं, जो मुसीबत में हैं। जब तक वह मुख्य मंत्री नहीं थे तब तक वह आबादी उन के गले में नहीं थी। लेकिन मुख्य मंत्री ब ने के बाद आज वह मुसीबतजदा आबादी आपके गले में है। मेरा कोई झगड़ा नहीं है लेकिन अगर इतनी बड़ी आबादी भूखी रहेगी तो आप को जरूर उसका पछतावा होगा। मैं चाहता हूं कि आप का १९ सूत्री कार्यक्रम पूरा हो और आप मजबूती से खड़े हो सकें। मैं उसके लिये आप को बधाई दूंगा लेकिन यह समय सोने का नहीं है। मेरा अन्त में श्री झारखंडे राय जी से कहना है कि अगर तुम इस मामले में कम्प्रोमाइज करोगे तो डूब मरोगे और प्रभु नारायण सिंह जी, आप भी कम्प्रोमाइज करोगे तो डूब मरोगे।

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे दो आवश्यक सूचनाएं सदन को देनी हैं।

श्री किशनलाल दिलेर (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मुझे आप परिचय दे दें कि क्या यह वही गेंदा सिंह हैं कि जिन्होंने जनता को सलाह दी थी चूहे खाने के लिये ? श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी जानकारी करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें।

श्री रुस्तम सैटिन—

श्रीमन्, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें डूब मरना चाहिये अगर हम १९ सूत्री कार्यक्रम पूरा नहीं करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब हमने १९ सूत्री प्रोग्राम सदन में पेश किया था तो उन्होंने हमारे साथ वोट क्यों नहीं दिया था?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, उनके साथ मैं ओथ सैरिमनी देखने गया था पर मन में बड़ा कोलाहल था कि कैसे ये १९ सूत्री कार्यक्रम पूरा कर सकेंगे, जिसको हम २० साल में भी पूरा नहीं कर पाये थे, एक साल या ६ महीने में?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास दो कार्य स्थगन प्रस्ताव आये हैं। चूंकि वे ऐसे विषय से संबंधित हैं, जिन पर चर्चा हो चुकी है। अतः मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। नियम ५१ के अन्तर्गत ३ माननीय सदस्यों से सूचनायें आयी हैं। एक तो माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी की है। वह बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित है। उसको मैंने आवश्यक कार्यवाही के लिये माननीय मंत्री महोदय को भेज दिया है। जैसा मैंने पहले भी कहा मैं सब सूचनाओं को संबंधित मंत्री के पास भेज देता हूं और इसको विशेष रूप से भेज रहा हूं।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित स्वतंत्र पार्टी से कथित त्याग-पत्र देने के संबंध में आबकारी मंत्री श्री अख्तर अली खां का पत्र

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना और देनी है। आज माननीय अख्तर अली खां ने एक सूचना दी है.....

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। आपको बोलने का मैं मौका दूंगा। पहले आप सुन लीजिये

श्री चन्द्रबली—

जब मामला ही निकल जायगा तब सुनने से क्या फायदा?

श्री अध्यक्ष—

मैं जो कह रहा हूं उसे आप पहले सुन लीजिये। उसके बाद आपको सुनने का अवसर दूंगा।

माननीय अख्तर अली खां ने मेरे पास एक सूचना भेजी है कि कुछ अखबारों में समाचार छपे हैं जिससे कुछ भ्रम पैदा हो गया है जो वास्तविकता से परे है, भिन्न है। इसलिये उन्होंने प्रार्थना की है कि मैं उसको पढ़ कर सुना दूं। वह इस प्रकार है:

"आज कुछ अखबारात में स्वतंत्र पार्टी के पांच एम० एल० एज० के इस्तीफे की खबर निकली है जो गलत है। बल्कि हमने एक तहरीर अपने स्वतंत्र पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भेजी

[श्री अध्यक्ष]

है जिसकी नकल में शामिल कर रहा हूं। उसमें सिर्फ पार्टी से अपनी नीति बदलने के लिये दरख्वास्त की गयी है कि जिसके न बदलने की सूरत में हम पार्टी छोड़ देंगे लेकिन इसका यह मक़सद नहीं है कि हम एस० वी० डी० से अलग हो रहे हैं या गवर्नमेंट में शामिल नहीं रहेंगे।" ऐसा ही एक मुंशी लाल जी ने भी दिया है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण सूचनायें (क्रमागत)

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम ५१ के सिलसिले में आपने अभी कहा कि आप ऐसी सूचनाओं को विशेष कार्यवाही हेतु संबंधित माननीय मंत्री जी के पास भेज देते हैं लेकिन पिछले एक माह से यह सदन बैठ रहा है, पर किसी भी सूचना के बारे में, जिनके द्वारा वह प्रस्तुत होती है, उनको सूचना नहीं मिली है कि उन पर क्या कार्यवाही हुयी। क्या वे रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है ? जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई सूचना किसी माननीय सदस्य को नहीं मिली है। मुझे तो निश्चित रूप से कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक नियमों का प्रश्न है उनमें कहीं ऐसी अपेक्षा नहीं है कि जो कार्यवाही की जाय उसकी सूचनाएं उन माननीय सदस्यों को दी जायं जिन्होंने वे सूचनायें भेजी है लेकिन अगर ऐसी परम्परा रही है तो मैं प्रयास करूंगा कि उस परम्परा का यथाशक्ति अवश्य पालन हो।

१९६७-६८ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या २--भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री, कृपया समय का ध्यान रखें।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण)--

श्रीमन्, समय के बारे में जो आदेश हुआ है उस का पालन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो कुछ आप ने सुना है इतनी देर तक उसके बाद मुझ से यह उम्मीद करना कि मैं सबका जवाब १०, १५ मिनट में दे दूं.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कोई आदेश नहीं दिया, और न मैं आप को रोक सकता हूं। घड़ी ही आप को रोक सकती है। आप चाहें तो समय बढ़वा सकते हैं।

श्री उदितनारायण--

श्रीमन्, मैं उसे आदेश ही मानता हूं जिस तरफ आपने इशारा किया है। वैसे मैं कुछ नहीं कहता लेकिन दो-तीन बातों के बारे में पहले अर्ज कर दूं जो मेरे विभाग से संबंध रखती हैं क्योंकि शायद मैं उन बातों को भूल जाऊं। जहां तक सवा ६ एकड़ का आधा लगान माफ करने की बात है मैं क्या कहूं, मेरे दोस्त माननीय गेंदा सिंह, मेरे अनन्य मित्र रहे हैं और हैं, उन्होंने खड़े होकर वह शायद समझते हैं कि उन्होंने बड़ा भारी न्याय मेरे साथ किया है यह कह कर कि मैं इस वक्त यहां से बगावत कर दूं और यह ऐलान कर दूं कि सवा ६ एकड़ पर पूरी मालगुजारी माफ होगी। मान्यवर, मेरे पहले सरकार में मेरे दोस्त तीन साल तक रहे। अगर एक वक्त जुम्बिश भी खायी होती और कहा होता कि चूंकि कांग्रेस सरकार मालगुजारी का नाम नहीं लेती है, इसलिये हम नहीं रहेंगे सरकार में, तो मैं उन की चुनौती को स्वीकार कर लेता। वह भूल गये जब वह सरकार में रहे तो किन लोगों के साथ रहे और किस तरह और क्या कहने के बावजूद काम करते हैं। हम एक

दूसरे को जानते हैं। मैं चाहता था ये बातें न आतीं। माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी हमारे दूसरे दोस्त हैं (व्यवधान) मैं तैयार हूं अगर हमारे नेता तैयार हो जायं कि एक रोज इसी बात पर बहस हो जाय। लेकिन यह जो किसी के तर्क का जवाब न हो तो हम खड़े हो कर गाली देने लगें इस से कुछ नहीं होगा।

माननीय गेंदा सिंह जी ने अभी यह कहा कि जन्म भर वह तपस्या साधना करते रहे कि मालगुजारी माफ हो और आज वह पूरी नहीं तो आधी होते दिखाई देती है। तो उस साधना का कुछ फल तो मिला। लेकिन उधर से नहीं मिला, इधर से मिला। मैं नहीं समझता कि कभी उन्होंने अपने दोस्तों से यह बात कही कि जन्म से मेरी यह साधना है जरा मेहरबानी कर के थोड़ी पूरी हो जाने दीजिये। वह बैठे रहे जब लगान बढ़ता रहा, जब सवाया लगान बढ़ा तो उस वक्त वह मंत्रि मंडल में थे। और दूसरी बात बताऊं मैं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, वह उस के पक्ष में थे, उस वक्त गुप्ता जी की हिमायत करना चाहते थे।

गन्ने के वास्ते लड़ते रहे जन्म भर। जब सरकार में रहे तो क्या हुआ और क्या किया? मैं यहां पर ८ रोज से हूं, इन का साथी मैं भी जिन्दगी भर रहा, और इस ८ रोज के अन्दर सवा ६ एकड़ की आधी मालगुजारी माफ हो रही है, और अगर यहां रहूंगा तो आप देखेंगे कि पूरी मालगुजारी माफ होगी। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सस्ते तौर पर कह दी जाती हैं बिला इस बात का ख्याल किये कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे और हम आज तक क्या करते रहे हैं।

मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से एक नयी नैतिकता का सृजन हो रहा है, एक नयी नैतिकता बनायी जा रही है। मान्यवर, सुना होगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह अनुचित है कि माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी को कहने का अवसर न दें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं जानता था श्रीमन् कि नहीं सुन पायेंगे और अभी इतनी बातें हैं कि उन को सुनने नहीं देंगे। मेरे लिये यहां पर खड़े हो कर जो कहा गया किस खमोशी के साथ मैंने सूना.....

(माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा कुछ कहे जाने पर)

माननीय सुदामा प्रसाद जी जिनकी ख्याति हमारे झांसी के गली-गली में मशहूर है, अगर कोई उन का रेकार्ड देखने की कोशिश करेगा तो मालूम हो जायगा कि उन का क्या रेकार्ड है।

(श्री लक्ष्मी रमण आचार्य के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

सुदामा जी जब भाषण कर रहे थे तब शायद आप मौजूद नहीं थे, लक्ष्मी रमण आचार्य जी। उन्हों ने काफी कहा और राजस्व मंत्री जी ने जो कहा वह अप्रयत्क्ष रूप से कहा, कोई प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाया।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

मैंने जो आक्षेप लगाये तो उसके प्रमाण दिये। उन्होंने कहा कि मेरा भी रिकार्ड वह बतला सकते हैं। यह संदिग्ध बात उन्होंने कही। मुझे मौका दिया जाय मैं उनसे यह पूछ सकूं कि मेरे बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं उसके लिये उनके पास क्या प्रमाण है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गोस्वामी जी, आप पहले अपनी बातें सुना चुके हैं। इससे भी बढ़ कर बातें हो चुकी हैं डूबने और मरने की। फिर उन्होंने कोई आप पर विशेष चार्ज नहीं लगाया।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

मैं आपको चैलेंज देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय गोस्वामी जी, यह अनुचित है। आप खड़े हो कर चुनौती दें। आपका समय था तो आपने कहा और अब आप सुनिये।

श्री उदित नारायण शर्मा--

दो एक बातें मैं बतला देना चाहता हूं। कंसालिडेशन ऐक्ट के अन्तर्गत जो जमीन मिली और ग्राम पंचायत ऐक्ट के अधीन जो जमीन आई उसके बारे में कहा गया। मैं अगर इस स्थान पर रहूंगा जितनी गलत कार्यवाहियां हुई हैं वे सब ठीक होंगी और उनमें एक भी गलत नहीं रहने पायेगें और एक एक बिस्वा जमीन भूमिहीनों को मिलेगी, बेकवर्डस तथा अछूतों को मिलेगी, न कि वह बड़ों को मिलेगी और जिनके पास आज है उसके पास भी नहीं रहने पायेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है और उसका वफादारी से पालन किया है। जो ग्राम पंचायतों की परती है या कंसालिडेशन ऐक्ट से निकली हुई है, हम लोग यहां पर रहेंगे तो यह सब हो कर रहेगा। हम कहने वाले नहीं हैं, करके दिखायेंगे। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि हम लोग वही चीज कर रहे हैं जिसको आप पसन्द करते हैं और जो पूरे लगान की बात कही है वह भी किया जावेगा। अगर वह चाहते हैं कि किसानों का लगान माफ हो तो वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

व्यवस्था का प्रश्न है।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)--

मेरा निवेदन है कि जब तक कार्यवाही पूरी न हो जाय तब तक इस सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं यही करने जा रहा था। टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने जैसा कहा इस सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि सदन की कार्यवाही पूरी न हो जाय।

(सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ा दिया गया।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

अध्यक्ष महोदय, गोस्वामी जी के चरित्र पर जब राजस्व मंत्री ने लांछन लगाया है तो उनको अधिकार नहीं है क्या कि वे एक्सप्लेनेशन के तौर पर कुछ कह सकें ?

श्री अध्यक्ष--

यह कहा कि जिनकी ख्याति गली गली में है। अब आप यह क्यों समझते हैं कि आपको कुख्याती है ? आप अच्छी ख्याति मानिये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २--भू राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७, १७, १०, ६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं अनुदान संख्या ३८ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,२१,१०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर सोमवार, १७ जुलाई, १९६७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ जुलाई, १९६७।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६६ एल० ए०—१९६७—८४६।